बिहार में बाल श्रम उन्मूलन

हेतु सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन (एसबीसी) रणनीति

बाल श्रम के विरुद्ध बिहार

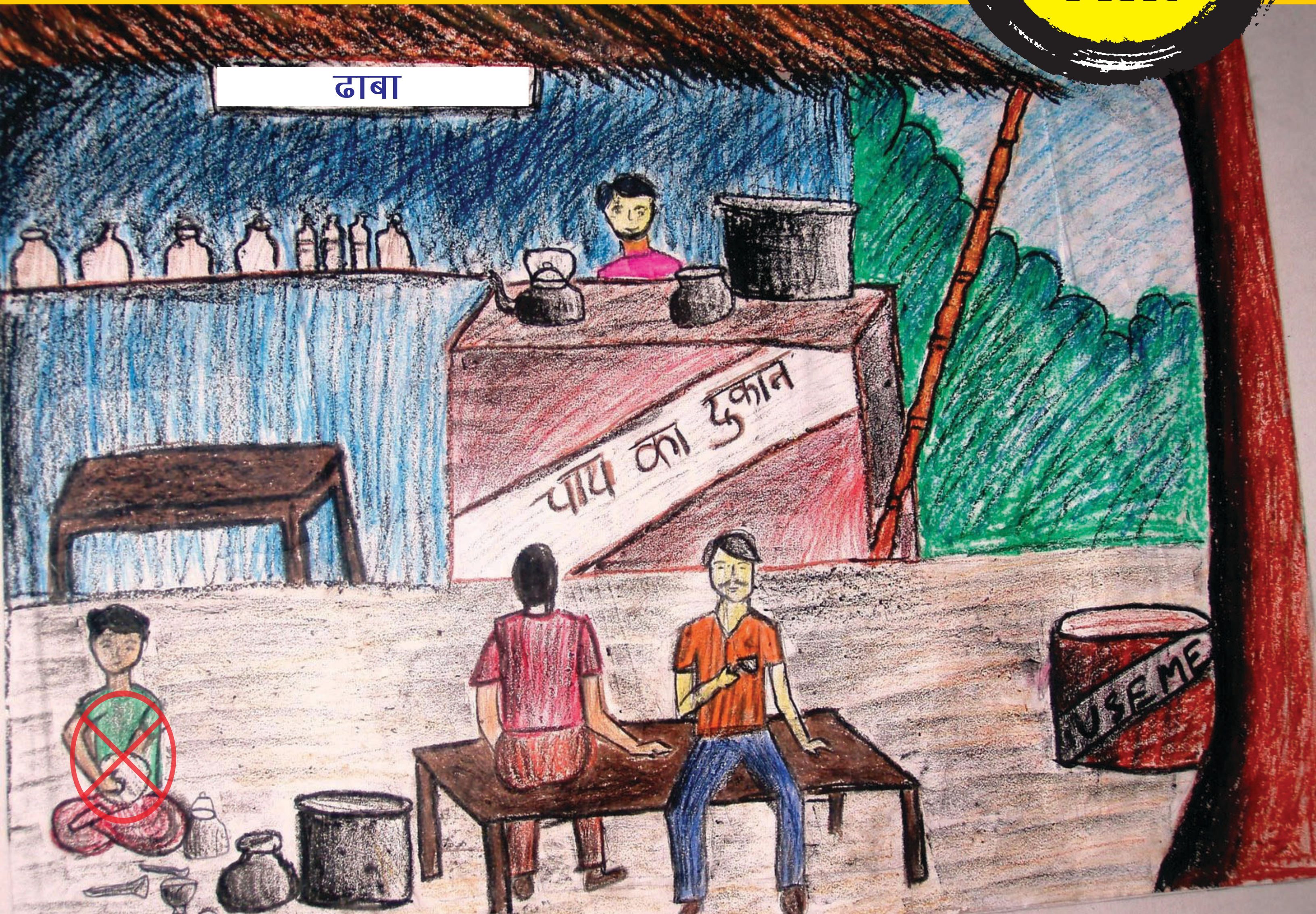

An Initiative of

Labour Resources Department
Government of Bihar

बिहार सरकार

unicef

द्वारा तैयार की गई एसबीसी रणनीति की सुगम प्रक्रिया

नीतीश कुमार
मुख्य मंत्री, बिहार

संदेश

बच्चे देश का भविष्य हैं। सही उम्र में शिक्षा, खेल–कूद एवं मनोरंजन बच्चों के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास हेतु आवश्यक है परन्तु बाल श्रम कहीं न कहीं बच्चो के बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता पर प्रहार करता है एवं देश तथा समाज की नीव को कमजोर करता है। राज्य सरकार बाल श्रम निषेध हेतु प्रतिबद्ध है एवं इस ओर हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में ''बिहार में बाल श्रम निषेध हेतु सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन रणनीति'' विषय पर प्रकाशित दस्तावेज स्वागत योग्य कदम है। मुझे अवगत कराया गया है कि कई चरणों में विभिन्न साझदारों के साथ हुये विमर्श के पश्चात् इस दस्तावेज का निर्माण हुआ है एवं बाल श्रम के कारकों एवं उनके रोकथाम को पूर्णता में समझने हेतु इस रणनीति दस्तावेज का उपयोग किया जा सकेगा। मुझे विश्वास है कि यह दस्तावेज बाल श्रम मुक्त बिहार की अवधारणा को बल देगा।

(नीतीश कुमार)

सुशील कुमार मोदी
उप मुख्यमंत्री, बिहार

संदेश

बाल श्रम उन्मूलन हेतु सामाजिक एवं व्यवहारगत परिवर्त्तन रणनीति दस्तावेज बाल श्रम के विषय को उसकी परिपूर्णता में समझने का एक सरल माध्यम है । दस्तावेज में बाल श्रम के कारकों एवं समाज में प्रचलित अवधारणाओं को इंगित किया गया है । सर्वविदित है कि बाल श्रम मूलतः गरीबी, आर्थिक वंचना एवं अशिक्षा का परिणाम है परंतु समाज एवं व्यवहार स्तर पर कई और भी कारण हैं, जो बाल श्रम को बढ़ाने में सहयोगी सिद्ध होते हैं, इन कारकों को समाप्त करना सरकार की जिम्मेवारी है ।

यूनिसेफ के सहयोग से विकसित इस दस्तावेज में राज्य में विभिन्न स्तरों पर आयोजित कई दौर की बैठकों एवं कार्यशालाओं के लिए आए विचारों को समाहित किया गया है । मुझे आशा है कि यह दस्तावेज बाल श्रम के कारकों को समझने में सहायक होगा एवं समाजिक रूप में प्रचलित ऐसी अवधारणाओं को समाप्त करने में सहयोगी होगा । ''बाल श्रम मुक्त बिहार'' राज्य के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है तथा हम हर संभव प्रयास से इस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे ।

(सुशील कुमार मोदी)
उप मुख्यमंत्री, बिहार ।

विजय कुमार सिन्हा
मंत्री, श्रम संसाधन विभाग,
बिहार सरकार

संदेश

राज्य सरकार का लक्ष्य है न्याय के साथ विकास। बच्चे किसी भी राष्ट्र की पूँजी है, तथा उनके सर्वांगीण विकास में राज्य एवं समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। बाल श्रम भविष्य के कर्णधारों पर प्रहार है और इसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सरकार कृतसंकल्प है कि हमलोग बिहार को एक बाल श्रम मुक्त राज्य बनाएँगे।

इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार तथा यूनिसेफ, गैर सरकारी संगठन, समाजिक कार्यकर्त्ता, बाल श्रमिकों के अभिभावक एवं स्वयं बाल श्रमिकों के सहयोग से विकसित **''बाल श्रम निषेध हेतु सामाजिक एवं व्यवहारगत बदलाव (एसबीसी) की रणनीति''** दस्तावेज आपके हाथों में सौपते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी, अशिक्षा तथा समाज में व्याप्त विषमताएँ है। अतएव बाल श्रम के उन्मूलन के लिए आवश्यक है कि हम इन समस्याओं को पहचाने तथा आशा है कि उनके समाधान के लिए श्रम संसाधन विभाग, यूनिसेफ, श्रमिक संगठन, मीडिया, समाज सेवा से जुड़े सभी लोग एवं संस्थाएँ अपने निर्धारित भूमिकाओं का सही-सही निवर्हन करेंगे साथ ही बिहार को बाल श्रम मुक्त राज्य बनाने की दिशा में सकारात्मक सहयोग प्रदान करेंगे।

5/9/17

(विजय कुमार सिन्हा)

आभार

प्रारूपण टीम बिहार में बाल श्रम के उन्मूलन की रणनीति के प्रारूपण का दायित्व प्रैक्सिस को सौंपने के लिए यूनीसेफ के प्रतिय विशेष रूप से सी 4 डी यूनिट के सुश्री मोना सिन्हा एवं अमिताभ पांडेय बाल संरक्षण यूनिट के श्री सैयद मंसूर उमर कादरी एवं सैफ उर रहमानय शिक्षा यूनिट की सुश्री प्रमिला मनोहरन एवं सुश्री पारूल शर्मा तथा ए एंड सी विशेषज्ञ सुश्री निपुरहन गुप्ता, के प्रति दायित्व को पूरा करने में उनके अमूल्य सहयोग एवं समर्थन के लिए आभार प्रकट करता है।

टीम श्री दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग तथा श्री गोपाल मीणा, श्रम आयुक्त, बिहार का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता है जिनके अत्यंत ही सहायक मार्गदर्शन से रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया को स्पष्ट दिशा–निर्देश प्राप्त हुआ।

टीम विशेष रूप से सरकार के विभिन्न विभाग के अधिकारियों एवं सिविल सोसायटी संगठनों ,जिनसे रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया में परामर्श लिया गया तथा विशेष रूप से मुक्त कराए गए बाल मजदूरों, उनके अभिभावकों तथा समुदाय के नेताओं के प्रति, जिन्होंने असंख्य चुनौतियों से भरे अपने जीवन एवं संघर्ष के बहुमूल्य अनुभवों एवं आभासों को साझा किया, विशेष रूप से आभारी है।

प्रयास जूवनाइल एड सेंटर, रेनबो फाउंडेशन, जस्टिस एंड केयर तथा जस्टिस वेंचर इंडिया के प्रति हम विशेष आभार का उल्लेख करना चाहते हैं जिनके सहयोग ने पूर्वी चंपारण , गया, पटना और पूर्णिया में समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात को सुलभ बनाकर अर्थपूर्णविमर्श के काम को आगे बढ़ाने में अमूल्य सहयोग प्रदान किया।

–रणनीति प्रारूपण टीम के सदस्य[1]

[1]विजेता लक्ष्मी, विजय प्रकाश, शिल्पी, प्रदीप कुमार, नैंसी प्रिया, अभय कुमार एवं अनिंदो बनर्जी

संक्षिप्त शब्दों की शब्दावली

एएनएम	सहायक परिचारिका एवं प्रसाविका
एएसइआर	वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट
आशा	मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता
बीबीए	बचपन बचाओ आंदोलन
बीबीसी	ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन
बीएमजी	बाल मित्र ग्राम
बीपीएल	गरीबी की सीमा रेखा के नीचे
बीआरसी	प्रखंड संसाधन केंद्र
सी4डी	विकास के लिए संचार
सीएल	बाल मजदूर
सीएलएफजेड	बाल श्रम मुक्त क्षेत्र
सीएलपीआरए	बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम
सीपीसी	बाल संरक्षण समिति
सीआरसी	संकुल संसाधन केंद्र
सीएसओ	सिविल सोसायटी संगठन
डीसीएचबी	जिला जनग ाना हस्तपुस्तिका
डीआइइटी	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
डीआइएसइ	जिला शिक्षा सूचना प्रणाली
एफएलडब्लू	फ्रंटलाइन कार्यकर्ता
जीइआर	सकल नामांकन अनुपात
जीआइएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
आइसीडीएस	समेकित बाल विकास सेवा
आइसीपीएस	समेकित बाल संरक्षण योजना
आइपीआरडी	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
एलआरडी	श्रम संसाधन विभाग
मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमओएलइ	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
एमडब्लूए	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
एनसीएलइ	कोई बाल मजदूर नियोजित नहीं है
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओओएससी	स्कूल से बाहर छात्र
पीआरडी	पंचायती राज विभाग
पीआरआइ	पंचायती राज संस्था
पीटीआर	छात्र–शिक्षक अनुपात
आरबीसी	आवासीय ब्रिज कोर्स
आरबीआइ	भारतीय रिजर्व बैंक
आरएसबीवाइ	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
आरटीइ	बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
एसबीसी	सामाजिक एवं व्यवहारगत बदलाव
एससी	अनुसूचित जाति
एसइआरटी	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पर्षद
एसआइइएमएटी	राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान
एसएमसी	विद्यालय प्रबंधन समिति
एसओपी	आदर्श कार्य प्रणाली
एसआरएचआर	सेक्स एवं प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य अधिकार
एसआरआरआइआइएमआबी	सामाजिक एवं ग्रामीण शोध संस्थान–भारतीय बाजार शोध ब्यूरो
एसएसए	सर्वशिक्षा अभियान
एसटी	अनुसूचित जनजाति
टीएचआर	घर ले जाने वाला राशन
एटीएलएम	पठन–पाठन सामग्री
यूडीआइएसइ	एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली
यूटी	केंद्र शासित क्षेत्र
वीइसी	ग्राम शिक्षा समिति
वीएचएसएनडी	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति

विषय सूची

आभार

संक्षिप्त शब्दों की शब्दावली

विषय सूची

अध्याय संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	बिहार में बाल श्रम उन्मूलन के लिए एसबीसी रणनीति तैयार करने की पहल पर एक नजर	4
2	बिहार में बाल श्रम–वर्गीकरण , व्यापकता एवं स्वरूप	7
3	बाल श्रम के प्रमुख निर्धारक	11
4	सामजिक प्रचलन एवं व्यवहार, जिन्हें बदलने की जरूरत है	20
5	बाल श्रम रोकने की रणनीति को आधार प्रदान करना	23
6	बाल श्रम रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई एवं रोकथाम	33
7	उपसंहार एवं आगे का रास्ता	41

परिशिष्ट 1–एसबीसी रणनीति तैयार करने के लिए किए गए विभिन्न विमर्शों के प्रतिभागियों की सूची 47
परिशिष्ट 2–एसबीसी रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया के तहत विचार–विमर्श की रूप रेखा 53

1 बिहार में बाल श्रम उन्मूलन के लिए एसबीसी रणनीति का निर्धार ा

— पहल पर एक नजर

भारत ने हाल के वर्षों में बाल श्रम कम करने एवं बच्चों को स्कूल भेजने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। फिर भी, अनुमान है कि भारत में दुनिया के बाल मजदूरों की सबसे अधिक संख्या है। यहां प्रत्येक 11 बच्चों में से एक बच्चा काम काम करता है। जनग ाना 2011, के अनुसार यहां 5 से 14 वर्ष के अपरिपक्व उम्र में 65 लाख बच्चे कार्यरत (अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र में) हैं। यह संख्या चौंकाने वाली है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि 80 प्रतिशत बच्चे ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं और प्रत्येक चार में से तीन बच्चे या तो खेतिहर मजदूर हैं या गृह आधारित उद्योगों में काम करते हैं।

बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कारण 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों का नामांकन स्कूल में कराने में काफी प्रगति हुई है, और इस अधिनियम का देश में बाल श्रम कम करने में सबसे बड़ा योगदान है। जनग ाना (2011) के आंकड़े बताते हैं कि 10–14 वर्ष के आयुवर्ग वाले ग्रामीण बच्चों के बीच बाल श्रम में सबसे बड़ी गिरावट आयी है। हालांकि शहरी इलाकों में बाल मजदूरों की संख्या बढ़ी है। यह वृद्धि 5–9 एवं 10–14 वर्ष, दोनों ही आयुवर्ग में हुई है। बच्चों का शिक्षा तथां शोषण से संरक्षण का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बाल श्रम की समस्या को हल करना जरूरी है। भारत में दुनिया के ऐसे बाल मजदूरों की संख्या सबसे अधिक हैं जो अपने अधिकारों से वंचित हैं। दुनिया के बच्चों की स्थिति पर रिपोर्ट के 2013 संस्कर ा के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष के 12 % (यानी 2 करोड़ 90 लाख) बच्चे बाल मजदूर हैं। भारत की जनग ाना, 2011 में 5से 14 और 14 से 19 वर्ष के आयुवर्ग वाले बाल मजदूरों की संख्या अलग–अलग कर बतायी गई है। इसके अनुसार यहां 5 से 14 वर्ष के 10.12 मीलियन बच्चे (5.6 मीलियन लड़के एवं 4.4 मीलियन लड़कियां) आर्थिक रूप से सक्रिय थे । बिहार में कुल 4,51,590 बाल मजदूर थे और देश के बाल मजदूरों की आबादी का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा बिहार का था (2011 जनग ाना)।

बाल श्रम कमी का एक सकारात्मक रूझान स्कूलों में बढ़े नामांकन एवं स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या में कमी के रूप में दिखता है। एएसइआर के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2013 से ही 6 से 14 वर्ष के आयुवर्ग वाले बच्चों का स्कूलों में नामांकन दर लगातार काफी अधिक रहा है और आज 96% से अधिक बच्चे स्कूल में हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वैसे बच्चों (6 से 14 वर्ष की आयु वाले) के अनुपात में मामूली कमी आयी है, जिनका नामांकन स्कूल में नहीं हुआ है। उनका यह अनुपात 2012 के 3.5% से घटकर 2013 में 3.3 %हो गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एसआरआरआइ–आइएमआरबी अध्ययन के अनुसार स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या 2009 के 61 लाख से घटकर 2014 में 60 लाख हो गई थी। बिहार में प्राइमरी स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीइआर) 143.6 तथा अपर प्राइमरीस्तर पर 59.8 है। प्राइमरीस्तर के जीआइआर के मामले में बिहार का 9वां स्थान है। हालांकि अपर प्राइमरी के मामले में बिहार का जीइआर सबसे कम है। स्कूल नामांकन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम छात्रों का प्राइमरी स्तर पर आनुपातिक हिस्सा क्रमशः 19.8% , 2.2% , 63.7% और 15.2% है जबकि अपर प्राइमरी स्तर उनका यह औसत क्रमशः 15.4 %, 1.7% , 65.9% , और 13.2% है। नामांकन में प्राइमरी स्तर पर जेंडर का अंतर 1.4 प्रतिशत अंक और अपर प्राइमरी सतर पर 2.4 प्रतिशत अंक है। जहानाबाद जिले का प्राइमरी और अपर प्राइमरी, दोनों ही स्तर पर जीइआर सबसे कम है। जबकि प्राइमरी स्तर पर सहरसा और मधेपुरा तथा अपर प्राइमरी स्तर पर कैमूर और बेगुसराय का जीइआर सबसे ज्यादा है।

बाल श्रम की समस्या कम करने की दिशा में सरकार, सिविल सासायटी संगठन , सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया तथा अन्य एजेंसियां संगठित प्रयास कर रही हैं। हालांकि सीमित विकल्प तथा वंचित परिवारों के आर्थिक अवरोधों के कारण बाल श्रम अभी भी जारी है। प्रायः स्कूल को भी वैसी संस्था के रूप में नहीं माना जाता जो कि परिवार को गरीबी के दुष्चक्र से निकालने और रोजगार उपलब्ध कराने में कोई भूमिका अदा सकती है। इसके कारण माता–पिता के पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर कोई उत्साह नही रह जाता। इसतरह अनेक कारक हैं, जिनपर एक ऐसी रणनीति बनाने के समय

ध्यान होगा जिसमें बाल श्रम की जटिल समस्या एवं इसके प्रतिकूल प्रभावों को हल करने की क्षमता हो ,और जो मुख्य हितधारकों को भरोसा दिलाने में सक्षम हो।

बिहार सरकार राज्य में बाल श्रम पूरी तरह खत्म करने तथा सभी बच्चों के लिए स्कूल जाने लायक माहौल बनाने के संबंध में अपने इरादे को कई मौकों पर व्यक्त कर चुकी है। इसके लिए वर्ष 2009 में बाल श्रम उन्मूलन, मुक्ति एवं पुनर्वास कार्य योजना भी बिहार को '' **बाल श्रम मुक्त राज्य** '' बनाने की दृष्टि के साथ बनी थी। प्रस्तावित एसबीसी रणनीति बिहार की राज्य कार्य योजना की सहायता के लिए है और इसमें कार्य योजना के इरादे को साकार करने की दिशा में आगे ले जाने का प्रयास किया गया है।

बाल श्रम रोकने पर सरकार के दृढ़ता को देखते हुए बाल श्रम के सवाल को हल करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों को एकजुट कार्रवाई के लिए साथ आने की जरूरत महसूस होती है। इस इरादे के अनुरूप, देश के लिए वर्ष 2013–17 के यूनीसेफ कार्यक्रम में भी बच्चों के संरक्षण के अधिकार को सुनिश्चित करने की गंभीरता पर बल दिया गया है और इसे बच्चों के स्थायी कल्याण के व्यापक लक्ष्य को हासिल करने का एक प्रमुख शर्त माना गया है।
बाल श्रम से संबंधित पहलों को सशक्त करने की जरूरत को ध्यान में रखकर यूनीसेफ (बिहार) की कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट (सी4डी) ईकाई ने प्रैक्सिस– इंस्टीट्यूट ऑफ पार्टिसिपेट्री प्रैक्टिसेज तथा यूनीसेफ के अधीन की अन्य प्रासंगिक ईकाइयों, विशेषकर बाल संरक्षण एवं शिक्षा ईकाई के सहयोग से सामाजिक एवं व्यवहारगत बदलाव (एसबीसी) की रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। इसका मकसद एक ऐसे सुरक्षात्मक माहौल को सशक्त बनान में मदद करना है जहां बच्चों को उनकी उत्तरजीविता एवं समग्र विकास के लिए खतरा पैदा करने वाले बाल श्रम की बाध्यता से बचाया जा सके।

रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया में सरकारी अधिकारियों, सिविल सोसायटी संगठनों , फ्रंटलाइन कार्यकताओं, समुदाय के नेताओं एवं बाल मजदूरों एवं बाल श्रम से मुक्त कराये गये बच्चों समेत विभिन्न वर्ग के बच्चों और उनके अभिभावकों समेत विभिन्न तरह के हितधारकों के साथ विचार–विमर्श किया गया।

1 1एसबीसी रणनीति बनाने के लिए परामर्श प्रक्रिया का स्वरूप

परामर्श प्रक्रिया का मकसद बाल श्रम रोकने के लिए सामाजिक एवं व्यवहारगत बदलाव की रणनीति को उपयुक्त बनाने के सिलसिले में मुख्य हितधारकों की आवाज, अनुभव एवं अनुशंसाओं को जानना था। बाल श्रम के विभिन्न आयामों के विश्लेष ा के लिए सहभागिता के कई साधनों एवं तरीकों का इस्तेमाल किया गया। इसमें मुख्य ध्यान मुद्दे के साथ जुड़े और उसे रोकने की वैकल्पिक र ानीतिक विकल्पों की प्रभावोत्पादकता पर दिया गया। स्पष्ट रूप से, बच्चों को बाल श्रम की बाध्यता से बचाने लायक सुरक्षात्मक माहौल बनाने लायक रणनीति बनाने के क्रम में अन्य बातों के अलावा विभिन्न तरह की भूमिकाओं, प्रभावों, संवाद के माध्यमों, सेवाओं तथा आदयेताओं की क्षमताओंको जानने की कोशिश की गई ।

पांच कार्यशालाओं की श्रृंखला परामर्श प्रक्रिया का मुख्य आधार बनी। प्रत्येक कार्यशालाओं में विभिन्न तरह के हितधारकों को शामिल किया गया। सबसे पहले राज्यस्तर का कार्यशाला संवादनीति तैयार करने की प्रक्रिया की अनिवार्यताओं की पहचान के लिए आयोजित की गई। इसके बाद मुक्त कराए गए बाल मजदूरों के समूह, उनके परिवार के सदस्यों, समुदाय के नेताओं, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न सरकारी विभाग के जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ अलग–अलग कार्यशालाएं आयोजित की गई। विचार–विमर्श के अंत में विभिन्न कार्यशालाओं से एकत्रित विभिन्न हितधारकों के एकत्रित विचारों को प्रैक्सिस की कोर टीम द्वारा समन्वित किया गया आर उन्हें बाल मजदूरी रोकने के सामाजिक एवं व्यवहारगत बदलाव की रणनीति तैयार करने में शामिल किया गया। चित्र 1.1 में विभिन्न कार्यशालाओं का कुछ फोटो एकसाथ है। रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया की प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

अक्तूबर 1–15, 2016	विभिन्न विचार–विमर्शों के कार्यक्रमों एवं तरीकों का निर्धार ा
अक्तूबर 22, 2016	राज्यस्तरीय प्रारंभिक कार्यशाला
नवंबर 11–12, 2016	चिरैया प्रखंड, पूर्वी चंपारण में जिलास्तरीय कार्यशाला (मुक्त कराए गए बाल मजदूरों, उनके

अभिभावकों, समुदाय के नेताओं तथा फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को शामिलकर)

नवंबर 14–15, 2016	कसबा प्रखंड, पूर्णिया । में जिलास्तरीय कार्यशाला
नवंबर 18, 2016	पटना में बाल मजदूरी से मुक्त कराई गई लड़कियों के साथ विचार–विमर्श
नवंबर 23–24, 2016	गया में शेरघाटी प्रखंड के मुख्य हितधारों का जिलास्तरीय कार्यशाला
नवंबर 29, 2016	पटना में जिलास्तर के पदाधिकारियों के साथ विचार–विमर्श
दिसंबर 2, 2016	प्रमुख सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श
दिसंबर 5– 15, 2016	रणनीति तैयार करने के लिए जानकारियों का डिजिटलीकर । एवं समन्वयीकर ।

Diagram 1.1 Snapshots from consultations with various stakeholders

परिशिष्ट 1 में विभिन्न विचार–विमर्शों की कार्यसूची एवं तरीकों की सूची दी गई है, जबकि परिशिष्ट 2 में विभिन्न विचार–विमर्शों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का नाम एवं संक्षिप्त परिचय है।

2 बिहार में बाल श्रम–वर्गीकरण , व्यापकता एवं स्वरूप

बिहार में जनग ाना 2011, के अनुसार बाल आबादी का अनुपात (46%) भारत के सभी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है और यहां सभी राज्यों की तुलना में दूसरी सबसे बड़ी संख्या में बाल मजदूर हैं। यहां 13 ऐसे जिले हैं (देखें दायीं ओर का चित्र) जहां बाल मजदूरों की आबादी 30,000 से ज्यादा है। ये जिले हैं– पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया ा, अररिया, भोजपुर, पटना, नालंदा, नवादा, और गया। इन सभी जिलों में सबसे अधिक बाल मजदूर गया में हैं। गया जिले में कुल 78, 929 बाल मजदूर हैं। 2011 की जनग ाना के अनुसार अरवल जिला में सबसे कम बाल मजदूर रिकार्ड किए गए हैं, जहां इनकी संख्या 5,832 है। अनुमान लगाया गया है कि बिहार के सभी बाल मजदूरों में से एक तिहाई से अधिक खेती एवं खेती से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ग्रामीण इलाकों में बच्चे कटनी एवं रोपनी समेत खेती से जुड़े कामों का बहुत बड़ा बोझ उठाते हैं और इन मौसमों के दौरान स्कूलों में उनकी उपस्थिति बुरी तरह प्रभावित होती है। चित्र 2.1 में बिहार में मुख्य बाल मजदूरों का आयुवार वर्गीकरण दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि दस लाख से अधिक बाल मजदूर काम में लगे हुए हैं।

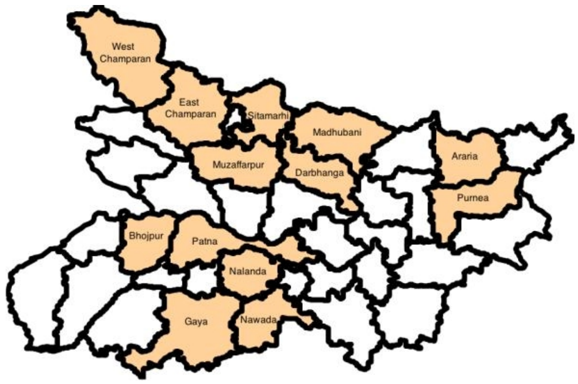

-चित्र 2.1– जनगणना 2011, के अनुसार बिहार में बाल मजदूरों का विभिन्न आयु समूह में वितरण (मुख्य कामगार के रूप में वर्गीकृत)

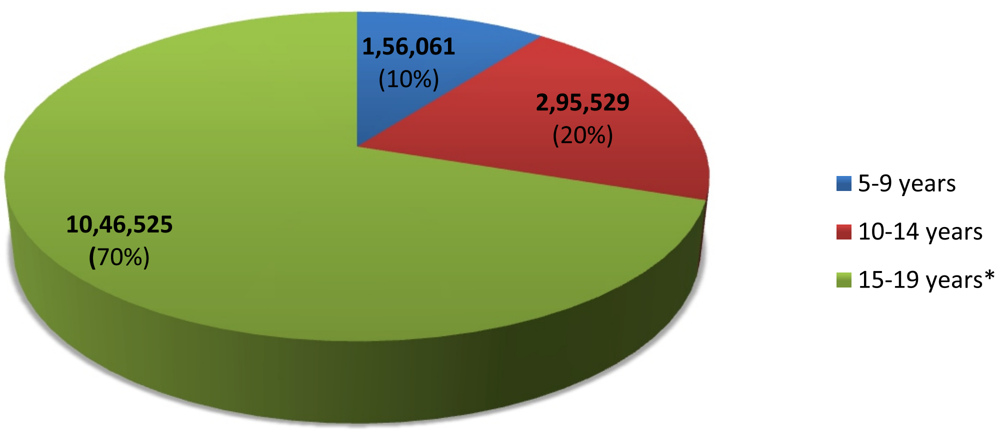

*: नोट : इसमें 18 – 19 वर्ष की आयु वाले वयस्क शामिल हैं। हालांकि इस श्रेणी के अधिकांश मजदूर 15–18 वर्ष की आयुवर्ग के हैं।

जनग ाना 2011 के अनुसार देश के बाल मजदूरों में से करीब 10.7% बिहार में रहते हैं। जैसा कि चित्र 2.1 में दिखाया गया है, बिहार के कुल बाल मजदूरों में से कम से कम एक तिहाई 5–14 वर्ष के आयुवर्ग के हैं, जो बच्चों के संरक्षण का अधिकार का घोर उल्लंघन है। हालांकि पिछले दो जनग ाना के बीच बाल मजदूरों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आयी है।इसबीच 5–14 वर्ष के आयुवर्ग के बाल मजदूरों की व्यापकता में 2.6% की गिरावट दर्ज की गई है। चित्र 2.2 विभिन्न जनग ानाओं के दौरान बाल श्रम के प्रचलन को दर्शाता है, जो पिछले कुछ वर्षों के उतार–चढ़ाव उक्त रूझान को इंगित करता है। वर्ष 1991 में बाल मजदूरों की संख्या में 14.5% की भारी गिरावट दर्ज की गई। 1991 की जनग ाना में बाल मजदूरों की दर्ज संख्या में कमी बाल मजदूरों द्वारा किये जाने वाले कामों की प्रकृति में बढ़ी हुई अनिरंतरता का परि णाम हो सकता है। इसकी पुष्टि इस अवधि में बाल मजदूरों के बीच सीमांत मजदूरों की बढ़े हुए दर्ज अनुपात से होती है। भारत के

ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में इस बात की अधिक संभावना रहती है कि सीमांत मजदूर मौसमी, अनिरंतर या आकस्मिक कामों में लगे होते हैं और इसके दर्ज नहीं हो पाने की बहुत संभावना रहती है।

चित्र 2.2 बाल श्रम (आयुवर्ग 5–14 वर्ष) के अनुमानित व्यापकता की प्रवृत्ति

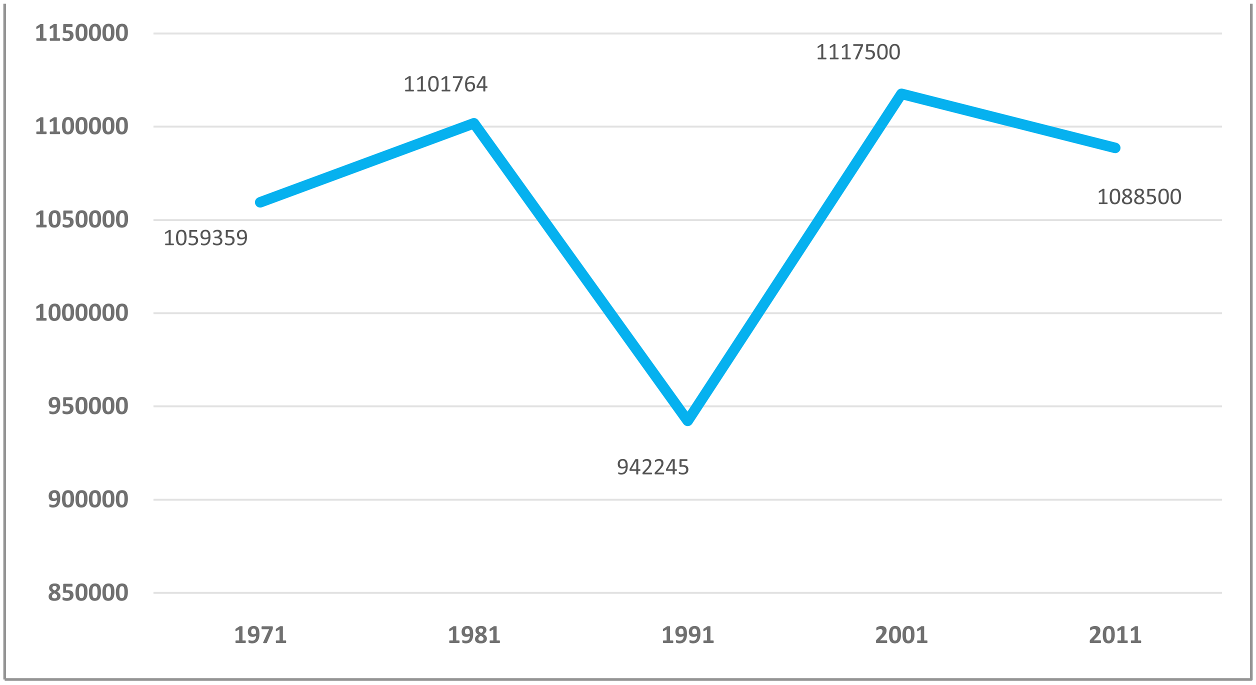

बच्चों द्वारा किये जाने वाले कामों का वर्गीकरण

हितधारकों के साथ विचार–विमर्श में राज्य और राज्य के बाहर बच्चों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न तरह के कामों का पता लगा। राज्य के बाहर बच्चे मुख्य तौर पर जिन कामों में लगे हुए हैं उनमें जरी का काम, चूड़ी बनाने , पटाखा बनाने और ईंट भट्ठा पर काम के अलावा घरेलू नौकर का काम शामिल है। इन कामों में लगे बच्चे मुख्यतः शहरी केंद्रों, विशेषकर हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में काम करते हैं। ईंट भट्ठा पर बच्चे सामान्यतः अपने अभिभावक के साथ काम करते हैं। कुछ समुदायों, जैसे गया में भुईयां, में यह बात आम है कि वे अपने पूरे परिवार के साथ साल में करीब छह माह के लिए ईंट भट्ठा पर काम करने के लिए राज्य के बाहर, जैसे उत्तर प्रदेश, चले जाते हैं। पूरे गया क्षेत्र में कम आयु के बच्चों का प्रवासन अनुसूचित जाति के समुदायों , विशेषकर भुईयां एवं मुसहर, जाति के बच्चों के बीच आम है। मोतिहारी में बातचीत के दौरान पता चला चला कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे , मुंबई में बैग बनाने का काम करते हैं। इसक अलावा काठमांडू में वे सड़क निर्मा ा का काम करते हैं। जबकि गांव में रहने वाले बच्चे मुख्य तौर पर ग्रामीण खेती से जुड़ा काम तथा आसपास के ढाबा एवं चाय दुकान में काम करते हैं। सभी स्थानों पर कार्यस्थलों के एजेंटों, ठेकेदारों का मजबूत नेटवर्क होता है और गांव में उनके संपर्क वाल बिचौलिय विभिन्न स्थानों पर काम के लिए बच्चों को भेजने वाले मुख्य व्यक्ति होते हैं। ये बिचौलिये माता–पिता और साथ ही साथ बच्चों को काम पर ले जाने के लिए राजी कराते हैं और जो परिवार अपने बच्चों को काम के लिए बाहर भेजने को राजी होते हैं उन्हें अग्रिम भुगतान के तौर पर रुपया(ठेकेदार/नियोजक द्वारा दिया हुआ) देते हैं।

राज्य के अंदर जिन कामों में बाल मजदूर कार्यरत हैं उनमें गैरेज, दुकान एवं स्टोर में काम, सड़क किनारे वाले होटलों एवं ढाबों में काम, सार्वजनिक स्थानों पर चाय–विस्कुट बेचने, अगरबत्ती, बीड़ी, चूड़ा, मिठाई, आटा, मसाला या बिस्कुट बनाने के काम, के अलावा खेती से जुड़ा विभिन्न तरह के काम शामिल हैं। बहुत सारे बच्चे सिलाई, सुअर पालन, मशरूम की खेती आदि जैसे विभिन्न तरह के घरेलू उद्यम में लगे होते हैं। कचरा बिनना, भीख मांगना, बर्तन या जगह साफ करना, इस्तेमाल की हुई सामग्री या रद्दी एकत्र करना, अखबार बेचना, समारोहों में नौकर का काम करना, कुछ अन्य उद्यम हैं जिनमें बहुत

सारे बच्चे लगे होते हैं। चित्र 2.3 में बिहार के 9 विभिन्न जिलों से जिलास्तर के अधिकारियों की दृष्टि से बाल श्रम के मुख्य अवसरों की सूची प्रस्तुत की गई है।

मुक्त कराए गए बाल मजदूरों के साथ बातचीत में बच्चों द्वारा काम की कई तरह की शोष ाभरी स्थितियों की जानकारी दी गई। इनमें लंबे और थकाऊ काम के घंटे, अक्सर एकदिन में 10 से 14 घंटे तक काम करने के अलावा रविवार को भी काम करने की बाध्यता; घटिया किस्म का भोजन और रहने की जगह ;पिटाई एवं शारीरिक दुर्व्यवहार तथा खेलने का अवसर नहीं मिलन के साथ–साथ अन्य स्थितियां शामिल हैं। कार्यस्थल से कहीं भी बाहर नहीं जाने देने का उल्लेख यंत्र ाा के एक प्रकार के तौर पर किया गया। इसके अलावा अंतराष्ट्रीय सीमा के निकट वाले कुछ जिलों में बच्चों को यौन शोषण के लिए भी राज्य से बाहर ले जाने का मामला सामने आया। घरेलू नौकर के काम को बच्चों के लिए बहुत ही जोखिम वाला काम बताया गया। इसमें उन्ह अक्सर विभिन्न तरह का शारीरिक एवं यौन दुर्व्यवहार झेलना पड़ता है।

चित्र 2.3–, जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई पहचान के अनुसार बाल मजदूरों के लिए काम के मुख्य अवसर

	जिला								
बालश्रम के अवसर	सीतामढी	नवादा	पूर्णिया	गया	मोतिहारी	मधुबनी	समस्तीपुर	जहानाबाद	नालंदा
चमड़ा बैग का कारखाना, मुंबई	✔				✔				
चूड़ी लहटी	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	
जरी का काम	✔		✔	✔	✔				✔
होटल–ढाबा	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
ईंट भट्ठा पर परिवार के साथ	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔
गैराज में मोटर/साइकिल मरम्मती	✔	✔			✔	✔	✔		
दुकान की सफाई एवं पानी पहुंचाना	✔								
कालीन उद्योग	✔		✔	✔	✔			✔	✔
मांस/मूर्गा/ मछली दुकान	✔	✔							
प्लास्टिक बोतल उठाना		✔							
कबाड़ी दुकान		✔							
सड़के किनारे की दुकान/चाय दुकान		✔	✔	✔	✔				
अगरबत्ती बनाना		✔							
कपड़ा दुकान		✔	✔	✔	✔				
जूता दुकान		✔	✔	✔					
सिनेमा हॉल में चाय–बिस्कुट बेचना		✔					✔		
जेनरेटर		✔							
दर्जी का काम		✔			✔				✔
बीड़ी बनाना		✔			✔				
सर्कस/आर्केस्ट्रा/म्यूजिक ग्रुप		✔	✔	✔	✔				
चावल मिल			✔						
प्लाईवुड उद्योग			✔		✔				
कुकुरमुत्ता की खेती			✔						
चूड़ा उद्योग									
पटाखा उद्योग			✔	✔					
मिठाई दुकान				✔					
विवाह समारोहों में नौकर			✔	✔	✔				
घरेलू नौकर					✔				✔
मेला /डिजनीलैंड			✔	✔					
बेकरी			✔	✔					
खेती					✔		✔		
कचड़ा चुनना					✔				
इलेक्ट्रानिक्स पार्टस/ मोबाइल स्टोर					✔				
अखबार बेचना					✔				
आटा/मसाला मिल					✔				
बिस्कुट कारखाना					✔				
भीख मांगना					✔				

सुअर पालना					✔				
यौन दुर्व्यवहार					✔				

जनग ाना 2011 में बताया गया है कि भारत में 5– वर्ष आयुवर्ग के 65 लाख बच्चे खेती एवं घरेलू क्षेत्र में काम करते हैं। बच्चों की यह संख्या इस आयुवर्ग के कुल बाल मजदूरों का करीब 64.1% है। इसी तरह बिहार में करीब 61 कामगार बच्चे इसी तरह के क्षेत्र में लगे हुए हैं।

3 बिहार के परिप्रेक्ष्य में बाल श्रम के प्रमुख निर्धारक

बाल श्रम विविध तरह की बाध्यताओं, वंचना, व्यवस्थागत खामियों या निहित स्वार्थ के कारण होता है, जो अक्सर पुनर्वास के उपायों की कमी या महत्वपूर्णसरकारी नीतियों की सुलभता के अवरोधों के कारण और बढ़ता है। एसबीसी रणनीति तैयार करने के क्रम में विभिन्न हितधारकों के साथ हुए विचार–विमर्श में इस समस्या के लिए जिम्मेवार विभिन्न तरह के कारक सामने आए, जिन्हें इसके तात्कालिक के साथ–साथ अंतर्निहित कारण ां को दूर करने वाली रणनीति के जरिये व्यापक रूप से निपटाने की जरूरत है। बॉक्स 3.1 में उदाहरण के साथ वैसे कारको का उल्लेख किया गया है जिनपर विभिन्न स्तर की कार्रवाई की संभावना है। इन कारकों की पहचान विचार–विमर्श में भाग लेने वाले सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई है।

बॉक्स 3.1– बाल मजदूरी के निर्धारक तत्वों का नमूनाः

कार्रवाई योग्य	दीर्घकालिक कार्रवाई की जरूरत
नाबालिगों की असुरक्षा के बारे में जागरूकता	बाल विवाह से संबंधित सामाजिक मानदंड
बाहर जाने वाले लोगों का सुरक्षित प्रवासन सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में उनका निबंधन	जाति आधारित भेदभाव तथा आजीविका के पारंपरिक विकल्पों को अपनाने का बच्चों की बाध्यता
स्कूलों की आधारभूत संरचना संबंधी खामियों को दूर करना	मनरेगा जैसे महत्वपूर्णकार्यक्रमों का आशा के प्रतिकूल कार्यान्वयन
न्यूनतम मजदूरी के प्रावधानों को लागू करना	ऋणग्रस्तता
बच्चों का लत	एकाकीपन (मानसिक रूप से बीमार बच्चों तथा टूटे परिवारों के बच्चों का)

दस्तावेज के इस अध्याय में बाल श्रम के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों के वर्गीकृत चयन की चर्चा की गई है।

3.1 धार ााओं तथा सामजिक मानदंडों से संबंधित

- **धारणा कि किशोर व्यक्ति काम करने लायक बड़े हो गए हैं / उन्हें संरक्षण की जरूरत नहीं**

बिहार के ग्रामीण परिवेश के परिप्रेक्ष्य में बचपन की धारणा का एक अलग अर्थ होता है। बहुत सारे वंचित परिवारों में अक्सर बारह साल के बच्चे को काम करने लायक मान लिया जाता है। साथ ही किसी बच्चे के काम शुरू करने की कानूनी आयु के बारे में बहुत कम लोगों जानकारी है। यह बात पूर्वी चंपारण , पूर्णिया और गया के माता–पिता के साथ बातचीत में सामने आयी। इन जिलों में बहुत ही कम माता–पिता को काम शुरू करने के कानूनी आयु के बारे जानकारी थी। मुक्त कराए गए कई बच्चों ने भी बताया कि काम शुरू करने के कानूनी आयु के बारे में वे सिर्फ मुक्त होने के बाद जान पाए।

किशोर आयु वाले बच्चों को आमतौर पर अपना देखभाल करने लायक परिपक्व मान लिया जाता है । इसके कारण अक्सर बच्चों पर अपने लिए जुगाड़ करने का बोझ दे दिया जाता है, ताकि विवाह के बाद वे अपने परिवार की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार बन सकें। लड़कियां जेंडर की पारंपरिक भूमिका में बंधी होने के कारण दूसरे तरह से प्रभावित होती हैं। उनपर छह वर्ष की आयु

से ही घर के कामकाज का बोझ डाल दिया जाता है। वे परिवार को आर्थिक रूप से भी मदद करती हैं तथा कम आयु में विवाह होने के बाद माँ बनने का दबाव भी झेलना पड़ता है।
बाल श्रम विभिन्न तरह के बहुत सारे क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर है और इसमें जेंडर का भेदभाव भी दिखता है। लड़कियां अधिकांशतः घरेलू कामकाज, खेती और कचरा चुनने आदि काम में लगायी जाती है और वे न सिर्फ काम की शोष ाभरी स्थितियों से बल्कि विभिन्न तरह के दुर्व्यवहारों से भी असुरक्षित हैं, बल्कि उन्हें विभिन्न तरह के दुर्व्यवहारों का भी सामना करना पड़ता है। प्रक्रिया के दौरान जिन लड़कियों से बातचीत की गई उन सब ने हर बार डांट–डपट, बुरी नजर, और अश्लील टिप्पणियों की चर्चा की , जिनका उन्हें काम करने के दौरान नियमित रूप से सामना करना पड़ता ह। लड़के और लड़कियों का अलग–अलग तरह का अनुभव बाल श्रम के सवाल को जेंडर के विभेदक नजरिये से देखने और उसके अनुसार हल खोजने को जरूरी बना देता है।

- **स्कूली शिक्षा को अनुपयोगी मान लेना, खासकर कामचलाऊ साक्षरता हासिल कर लेने के बाद**

शिक्षा के प्रति किसी की धारणा बनाने के लिए बहुत सारे मुद्दे जवाबदेह जान पड़ते हैं। जीवन की दिन–प्रति–दिन की चुनौतियों से निपटने में स्कूलो शिक्षा को बिल्कुल ही अप्रासंगिक एवं अनुपयोगी मान लेने की धारणा को बलवती करने के लिए विभिन्न तरह की संस्थागत खामियों की पहचान की गई। शिक्षण की खराब गुण वत्ता, शिक्षकों की उदासीनता, आदयेता हासिल करने की परेशानियां, स्कूल की दूरी तथा पढ़ाई या स्टेशनरी का खर्च वहन करने की अक्षमता को कुछ वैसे कारण ों के तौर पर गिनाया गया जिसके कारण माता–पिता अपने बच्चे को काम पर भेजना ज्यादा उचित विकल्प मानते हैं। काम करने को अक्सर तात्कालिक एवं वास्तविक लाभ वाला जीवन कौशल मान लिया जाता है , जबकि शिक्षा के लाभ को भविष्य में प्राप्त होने वाली बहुत दूर की चीज समझा जाता है। अधिक से अधिक, बच्चों को रोजमर्रे की जरूरत पूरी कर सकने लायक शिक्षा हासिल करने की अनुमति दी जाती है। इसकारण बच्चे द्वारा कामचलाऊ साक्षरता हासिल कर लेने के बाद किसी तरह गुजर–वसर कर सकने वाले बहुत सारे लोगों की स्कूल में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती।
पूरे साल के लिए आजीविका के विकल्पों का अभाव, तंगहाली के दबाव तले किसी दूसरो जगह चले जाने की विवशता के कारण बड़े पैमाने पर बच्चों द्वारा बीच में ही स्कूल छोड़ देना (ड्रॉप आउट), अपनी अनुपस्थिति में घर पर परवरिश का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं होने के कारण संरक्षण के तरीके के तौर पर कार्यस्थल पर बच्चों को अपने साथ ले जाने की माता–पिता की मजबूरी आदि जैसे कई कारण हैं जिनके कारण बच्चे अक्सर बाल श्रम की जाल में फंस जाते हैं। बच्चे को आजीविका उपार्जन के काम में लगाना, परेशानियों का सामना करने के मकसद से अक्सर सोचा–समझा निर्णय होता है। जबतक विकास के अवसरों में खासा सुधार नहीं होता, तबतक ऐसी बाध्यताओं से उबरना नामुमकिन है।

- **साथियों का दबाव;झटपट कुछ रुपये कमा लेने के लिए काम पकड़ लेने के लिए साथियों द्वारा प्रभावित**

शहरी जीवनशैली का आकर्ष ा और माता–पिता द्वारा पूरी नहीं की जा सकने वाली अपनी आकांक्षाओं या कल्पनाओं को पूरा करने की इच्छा, भी बच्चों को अपने लिए पैसे का जुगाड़ कर लेने के लिए काम पकड़ लेने को प्रोत्साहित करता है। अच्छा भोजन, रहने की बेहतर स्थिति, पसंदीदा मोबाइल फोन, अच्छे कपड़े, उन्मुक्त जीवनशैली आदि की पहचान भी कुछ वैसे आकर्ष ाों के तौर पर हुई जिनमें फंसकर बच्चे खुद को काम में फंसा लेते हैं और कभी –कभी विभिन्न तरह के शोषण के शिकार बनते हैं।

बच्चे अपने कुछ वैसे साथियों से भी प्रभावित हो जाते हैं जो संयोगवश अपेक्षाकृत बेहतर काम हासिल कर रहे होते हैं, जहां आजादी पर रोक तथा शोषण कम या बहुत ही कम रहता है। ऐसे बाल मजदूर अपने काम एवं बड़े शहर की जिंदगी के बारे में अच्छा प्रभाव डालते हैं। ऐसे बच्चे जब अपने मूल स्थानों में वापस आते हैं तो वे दूसरे बच्चों को काम शुरू करने के लिए प्रभावित करते हैं। कभी–कभी नियोजक भी इन बच्चों को अपने साथ और अधिक बाल मजदूरों को लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह घर पर प्रतिकूल माहौल (सीमित संसाधन, हिंसा, दुर्व्यवहार, भावनात्मक समर्थन आदि का अभाव के तौर पर प्रकट) तथा बेहतर जीवन की आकांक्षा , एकसाथ बच्चों को काम के लिए दूसरी जगह जाने के लिए आकर्षित करते हैं।

- **बच्चों पर घरेलू कामकाज में मदद करने का दबाव**

बच्चों को माता–पिता द्वारा अक्सर अपना मददगार माना जाता है। घर के कामकाज में उनका योगदान बचपन के शुरुआती दिनों से ही शुरू हो जाता है और किशोरावस्था तक पहुंचने पर यह भार और बढ़ जाता है। लड़के और लड़कियां दोनों ही जेंडर की भूमिका पर आधारित घरेलू काम काज में हाथ बंटाते हैं। सामान्यतः लड़कियां ज्यादा नुकसानदेह स्थिति में होती हैं क्योंकि उनपर महज छह साल की उम्र में ही घरेलू कामकाज का बोझ डाल दिया जाता है। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा की चिंता उन्हें सीखने, आगे बढ़ने और बचपन का आनंद उठाने के अवसरों से वंचित कर देता है। बच्चों को बहुत कम उम्र से ही पारिवारिक आमदनी में

सक्रिय योगदान के लिए तैयार किया जाता है। वे कम उम्र से ही कार्यस्थल पर माता–पिता की मदद करना शुरू कर देते हैं और उनकी मदद के दौरान प्रशिक्षित होते हैं। कम उम्र में शादी कर देने का प्रचलन और शिक्षा की कम गुण वत्ता के कारण माता–पिता अपने बच्चों को कम उम्र में काम लगाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं जवाबदेह नागरिक बनाने के अपने निर्णय को तर्कसंगत मान लेते हैं।

3 2 आर्थिक अवरोधों से संबंधित

- **निम्न आय, ऋ ाग्रस्तता तथा आपातस्थितियों से उत्पन्न अत्यधिक आर्थिक दबाव**

माता–पिता प्रायः अपने बच्चों को मजबूरीवश काम करने के लिए भेजते हैं और यह बात सभी विमर्श के दौरान मुख्य कारण के तौर पर उभर कर सामने आयी। शिक्षा की कम गुण वत्ता तथा आर्थिक अवरोध ने मिलकर समुदायों के बीच बाल श्रम की गहरी घुसपैठ करा दी है और जहां लोग अल्प साधनों के साथ जी रहे हैं , उनके परिप्रेक्ष्य में यह अवांछित भी नहीं है। बच्चों को काम करने के लिए मजबूर करने के पीछे निम्न कारण ों के साथ–साथ बहुत सारे आर्थिक कारण उभर कर सामने आए:

- घर या जमीन की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न आर्थिक दबाव
- पारिश्रमिक का निम्न दर आर्थिक क्रियाकलापों में परिवार के सभी सदस्यों की संलग्नता को बढ़ाता है
- परिवार में आय अर्जित करने वाले सदस्य का न होना/ निधन हो जाना
- परिवार का आकार बड़ा होने के कारण संसाधनों की तुलना में जरूरतों का अधिक होना
- टूटा परिवार या एसे परिवार जहां बच्चे अपने पिता द्वारा छोड़ दिए गए हैं
- परिवार के कमाने वाले सदस्य को शराब की लत हो
- बच्चे अनाथ हो गए हो
- परिवार के सदस्यों की बीमारी से उत्पन्न आर्थिक संकट
- कर्ज अदायगी का बोझ
- आपदा के कारण हुई क्षति

अक्सर आर्थिक अवरोध बच्चों को शोष ाभरी स्थितियों में धकेलते है। विभिन्न विमर्शों के दौरान जीवन की बेहतर सुविधाएं , बेहतर वेतन, लाभ आदि देने के नाम पर एजेंटो द्वारा धोखा देने के उदाहरण सामने आए।

- **कर्ज या अग्रिम राशि के लिए जमानत के तौर पर गिरवी रखे गए बच्चे**

कई उदाहरण आए, जो बताते हैं कि माता–पिता द्वारा लिए गए बड़े कर्ज की जल्द अदायगी के लिए अक्सर बच्चों को काम में लगा दिया जाता है। ऐसी स्थितियां लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज्यादा प्रभावित करती हैं, क्योंकि उनके ऊपर बेटा के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए परिवार और समाज का दोहरा दबाव होता है। आमतौर पर परिवार का बोझ अपने कंधे पर लेना भी एक '' अच्छ बेटे'' का गुण माना जाता है।

इस तरह के घटनाओं की जानकारी उन मामलों में अधिक मिली जहां माता–पिता ने स्थानीय साहूकारों से कर्ज ली थी । ये साहूकार यथासभव जल्द से जल्द कर्ज अदायगी के लिए दबाव डालते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कभी–कभी जमानत के तौर पर साहूकार के यहां कम मजदूरी पर काम करने के लिए बच्चे को गिरवी रखना पड़ता है। कर्ज लेने के कई कारण हैं, लेकिन कई बार मजदूर अपनी मजदूरी के एवज में अग्रिम राशि ले लेते हैं जो बाद में बाल श्रम का एक कारण बनता है। उदाहरण स्वरूप, कई बार ईट भट्ठा पर काम करने वाले परिवार अपने एजेंट/नियोजक से अग्रिम भुगतान ले लेते हैं। उन्हें और अधिक लोगों को काम पर लाने के लिए एकमुश्त राशि दे दी जाती है। इस तरह, अग्रिम ली गई राशि को चुकता करने तथा काम से अधिक आय अर्जित करने के मकसद से इनके द्वारा अपने बच्चों को भी काम में लगा दिया जाता है।
बिहार में जनग ाना 2011 के अनुसार अठारह वर्ष से कम आयु के दस लाख से ज्यादा बच्चों को मुख्य कामगार के तौर पर पंजीकृत किया गया है, यानी वैसे लोग जो साल के अधिकांश हिस्से (कम से कम छह माह) में काम करते हैं एवं खेतिहर मजदूर के तौर पर काम करने वाले बाल मजदूर। जो काम बैंक और वित्तीय संस्थाएं नहीं करती उन्हें शोषक साहूकार पूरा करते हैं। यद्यपि अनुसूचित व्यावसायिक बैंक 7 %वार्षिक ब्याज पर खेती के लिए सब्सिडी वाला कर्ज देने और अपने संस्थान द्वारा दिए गए कुल कर्ज का 18% कर्ज खेती के काम के लिए देने को बाध्य है, लेकिन किसी न किसी कारण से ऐसा कभी नहीं हुआ है।भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार भी एक लाख रुपये तक के कर्ज के लिए किसी जमानत की मांग नहीं की जानी चाहिए, लेकिन

व्यवस्था जिस तरीके से काम करती है उसमें छोटे किसानों को निजी साहूकारों की जाल में फंसने को मजबूर किया जाता है और बच्चे आधुनिक गुलामी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं।

- **प्रवासन पर आश्रित परिवार, यह अक्सर पसंद किया जाता है कि दूर जाने के पहले युवा कामगार का परिवार बस जाये**

अगर लड़के कमाना शुरू नहीं किए होते हैं तो कभी–कभी उनके माता–पिता द्वारा उनकी शादी जल्द करा देना उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए एक आवश्यक उपाय मान लिया जाता है। यह माना जाता है कि परिवार का बोझ लड़के को आय अर्जित करने के लिए बाध्य करेगा और वे परिवार के प्रति अपने दायित्व को समझेंगे। इसी तरह अगर परिवार का आकार बड़ा है तो अक्सर लड़कों पर कम आयु में ही कमाना शुरू करने तथा अपने एवं अपने भाई–बहनों की शादी के लिए पैसा जमा करने का दबाव बनाया जाने लगता है।

- **किशोरों के बीच यौन क्रिया/घर से भाग जाने जैसे घटनाएं बड़े पैमाने पर होने के कारण अक्ससर कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है।**
- **किशोरों** विशेषकर लड़कियों, के किसी के साथ भाग जाने या यौन संबंध बना लेने तथा परिवार की बदनामी या अनादर कराने का भय भी बच्चों की शादी कम आयु में करा देने के एक कारण के रूप में उभर कर सामने आया। लोग ऐसा विश्वास करते दिखे कि किशोर अब पहले की तुलना में ज्यादा परिपक्व हैं और उनकी मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है, जो यौन गतिविधियों में उनकी संलिप्तता में झलकती है। यह स्थिति ज्यादातर आर्थिक रूप से वंचित हाशिये पर रहने वाले समुदायों के बच्चों के बीच पायी जाती है, जिनके माता–पिता दोनों ही दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ऐसे में इनका जल्द विवाह करा देना ऐसी संभावनाओं को टालने का विवेकपूर्णतरीका है।

किशोरों के बीच शादी से पहले यौन संबंध बना लेना काफी प्रचलित है और कई बार सुरक्षित सेक्स के बारे में जानकारियों की सुलभता नहीं रहने तथा गर्भनिरोधकों की अनुपलब्धता रहने के कारण अवांछनीय परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं और जब परिवार हस्तक्षेप करता है तो कम आयु में शादी कर देना बच्चों के रिश्ते को वैध बनाने का सर्वाधिक समझदारी वाला निर्णय लगता है। साथ ही, जिन समुदायों में कम आयु में विवाह कर देने का प्रचलन है, उनके बच्चों की सोच भी कुछ ऐसी ही बन जाती है और जल्द विवाह नहीं होने पर वे सोचना शुरू कर देते हैं कि विवाह के लिए शायद उनकी आयु अधिक होती जा रही है और इसके कारण वे मानसिक तनाव में आ जाते हैं। लोग इसे यौन गतिविधियों में संलिप्त होने का एक कारण भी मानते हैं। कम आयु में विवाह हो जाने पर कम आयु में ही बच्चा भी पैदा हो जाता है जिसे लड़कियों के पारिवारिक जीवन को स्थिर बनाने का एक महत्वपूर्णतरीका माना जाता है।

एसबीसी रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया में मुक्त कराए गए बाल मजदूरों से हुई बातचीत का विश्लेष ा करने पर बाल श्रम के प्रचलन पर आर्थिक कारण ों का बहुत ज्यादा प्रभाव दिखा (देखें बॉक्स 3.2)। इस बाचतीत में बाल मजदूरी के मुद्दे से जुड़े कई आर्थिक कारण ों की पहचान हुई।

Box 3.2 – Child Labour – Compelling factors and potential preventive scenarios

A **Force Field Analysis** (Assessment by rescued child workers in Purnea)

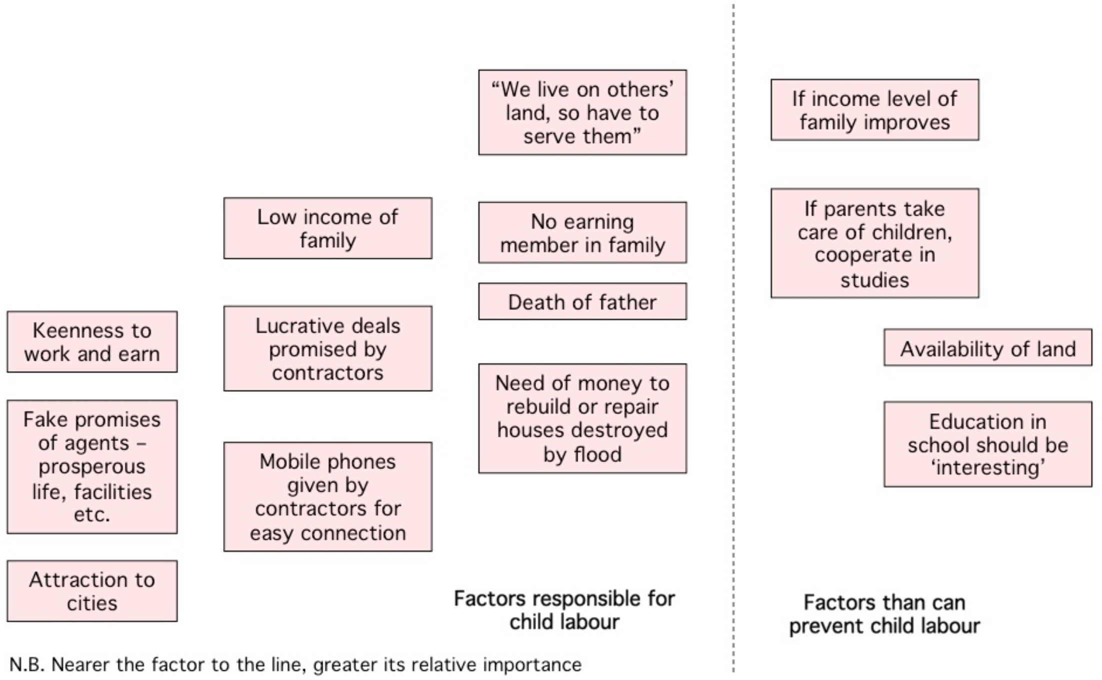

3.3 स्कूल स्तर की प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं की खामियों से संबंधित

- **स्कूल में बच्चों का अप्रिय अनुभव (भेदभाव, निरादर आदि)**

हाशिये पर रहने वाले सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चों को स्कूलों में अक्सर निरादर का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त स्टेशनरी खरीद पाने में माता–पिता की असमर्थतता, साफ–सफाई नहीं रहने, घर के कामकाज या आर्थिक कार्यकलापों में मदद करने के कारण स्कूल से अनुपस्थित रहने की मजबूरी, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि आदि कई कारण हैं जिनके कारण इन्हें शिक्षक या दूसरे बच्चों द्वारा अक्सर अपमानित किया जाता है।

शारीरिक दंड अभी भी दिया जाता है और अक्सर इसे बच्चों को अनुशासित करने का आवश्यक उपाय मान लिया जाता है। जबकि बच्चों द्वारा पढाई पूरी किए बगैर बीच में ही स्कूल छोड़ देने (ड्रॉप आउट) का यह भी एक कारण उभर कर सामने आया। फिर अगर बच्चे अगर अपने घर के दूसरे कामकाज के कारण होमवर्क पूरा नहीं कर पाते तो स्कूल में दंडित होने का भय भी क्लास में ड्रॉप आउट को बढ़ाता है।

- **स्कूलों में निम्न स्तर की पढाई /निम्न स्तर का आधारभूत संसाधन एवं सुविधाएं**

शिक्षा सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वालो महत्वपूर्णबुनियादी सुविधा है । लेकिन स्कूलों में निम्न स्तर की सुविधाएं एवं गुण वत्तायुक्त आधारभूत संरचना नहीं होने कारण ऐसा लगता है कि आर्थिक रूप से वचित परिवार शिक्षा की सुविधा का लाभ हासिल नहीं कर पाया है। शिक्षा की गुण वत्ता सिर्फ इस बात से नहीं होती कि छात्रों को किस तरह पढ़ाया गया, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि छात्रों ने क्या सीखा। विचार–विमर्श के दौरान मोतिहारी में एक माता–पिता ने कहा, '' बच्चे स्कूल जाते हैं फिर भी वे अपना नाम तक नहीं लिख सकते और वे आठवीं क्लास में पढ़ते हैं। ऐसे में उन्हें स्कूल भेजने का क्या मतलब है।'
हालांकि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन बहुत सारे सरकारी स्कूल कानून द्वारा तय मानकों को पूरा करने में काफी पीछे हैं। इसके अलावा पढ़ाने के तरीके में कमियां हैं जिसके कारण लोगों को इस बात को लेकर संदेह रहता है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कोई लाभ भी होगा। एएसइआर की राज्य रिपोर्ट 2014 के अनुसार सिर्फ 12.7 %स्कूल छात्र–शिक्षक अनुपात के बारे में आरटीआइ के मानकों को पूरा करते हैं। इसी तरह 60.5 %स्कूल क्लासरूम–शिक्षक अनुपात का मानक पूरा करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लास VIII में सिर्फ 43.4% छात्र अंग्रेजी के साधार I वाक्य को पढ़ सकते हैं और क्लास–Iके

73.9%छात्र अंग्रेजी के कैपिटल लेटर को भी नहीं पढ़ सकते। हिंदी भाषा के मामले में क्लास III के सिर्फ करीब 13.8% छात्र अक्षरों को पढ़ सकते हैं । साथ ही सरकारी स्कूलों में क्लास V के सिर्फ 44.6 %छात्र क्लास II स्तर के पाठ को पढ सकते हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुण वत्ता को बहुत कम महत्व का चीज मान लिया जाता है और बच्चों को स्कूल भेजने में दिलचस्पी नहीं रहने का यह एक बड़ा कारण है।

गया में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के साथ विचार–विमर्श में इस्तेमाल करने लायक शौचालयों का नहीं होना लड़कियों के ड्रॉपआउट का एक बड़ा कारण के रूप में सामने आया। बिहार के लिए एसइआर (2014) में भी इस बात का उल्लेख है कि राज्य के 33% स्कूलों में इस्तेमाल करने लायक शौचालय नहीं है। इसके अलावा करीब 25.4 %स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा नहीं है तथा 14.3 %स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय तोहै लेकिन उनमें ताला लगा हुआ था। इसीतरह करीब 14.1 %स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय था लेकिन वह इस्तेमाल करने लायक स्थिति में नहीं था। करीब 6.4 स्कूलों में शौचालय की सुविधा थी ही नहीं।

- **स्कूल की अरुचिकर शिक्षण शैली/ बच्चों को बांधकर रखने में अक्षम**

सिविल सोसायटी संगठनों के साथ विचार–विमर्श में पता चला कि बिहार के स्कूलों में पाठ्यक्रम को बहुत अधिक संशोधित करने तथा छात्रों की सीखने की क्षमता में सुधार के लिए पठन–पाठन सामग्री का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने की जरूरत है। शिक्षण का पारंपरिक तरीका छात्रों को स्कूलों में बनाए रखने में अप्रभावी साबित हुआ ह। सिविल सोसायटी संगठन के कुछ सहभागियों का कहना था कि स्कूल की सफलता को निर्धारित करने में शिक्षण शैली अहम भूमिका अदा करती है। वंचित समूह के बच्चों को पढ़ाने की पुरानी शैली अप्रभावी साबित हुई है और इसकारण परस्पर संवादात्मक शिक्षण शैली एवं आकर्षक पठन–पाठन सामग्री का इस्तेमाल करने की जरूरत है। शिक्षण शैली में बच्चों के प्रति संवेदनशील दृष्टिको I रखना भी शामिल है।

विमर्श में यह बात सामने आयी कि शिक्षण की घटिया गुण वत्ता तथा स्कूलों की असुलभता, विशेषकर उन स्थानों में जहां स्कूलों की संख्या कम है या जहां इलाके के बच्चों की संख्या वहां मौजूद स्कूलों की क्षमता से बहुत अधिक है, के कारण अक्सर स्कूल जाने को लेकर बच्चों की दिलचस्पी कम हो जाती है। साथ ही जो बच्चे प्राइमरी स्तर के क्लासों में सही तरीके से उपस्थित नहीं रहे हैं उनके लिए ऊपर के स्तर की पढ़ाई को समझ पाना कठिन हो जाता है जो आखिरकार उन्हें ड्रॉप आउट की ओर प्रेरित करने का कारण बनता है।

- **प्रवासी परिवारों के बच्चों/बेघर बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की कमी**

माता–पिता जब काम की तलाश में दूसरी जगह जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल करने वाले की अनुपलब्धता या अपने गांव के नजदीक आवासीय एवं स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने की सीमित संस्थागत व्यवस्था भी उन्हें अपने बच्चे को साथ ले जाने के लिए मजबूर करती है, और इसके कारण बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति आर्थिक बदहाली झेल रहे हाशिये पर रहने वाले समुदाय के लोगों के बीच ज्यादा आम है। उदाहरण स्वरूप, अपने माता–पिता के साथ ईंट भट्ठो पर बच्चों का पलायन बहुत आम है। ऐसा भी होता है कि जब वे गांव लौटते हैं और माता–पिता उन्हें फिर से स्कूल भेजते हैं, लेकिन तब उनके लिए खुद को स्कूल के माहौल एवं जरूरतों के अनुसार बनाना लगभग असंभव हो जाता है। और यह स्थिति ऐसे बच्चों को बहुत ही हतोत्साहित करने वाला साबित होती है।

- **स्कूल की दूरी (विशेषकर लड़कियों के मामले में ड्रॉपआउट का एक आम कारण)**

गांव/घर से स्कूल की दूरी एक प्रमुख बाधक है, विशेषकर लड़कियों के लिए, क्योंकि माता–पिता को लड़कियों की सुरक्षा का भय बना रहता है। अगर दूरी बहुत अधिक है, तो कई बार आने–जाने का खर्च गरीब परिवारों के लड़कों को प्रभावित करता है। यू–डीआइएसइ के ताजा आंकड़ों के अनुसार आज भी बिहार की 1896 बस्तियां एक किलोमीटर की परिधि में प्राइमरी स्कूल से वंचित हैं।

- **उच्च शिक्षा की सुविधाओं या लाभप्रद अवसरों का न होना , विशेषकर लड़कियों के मामले में**

आमतौर पर, बहुत से समुदायों में लड़कियों की शिक्षा पर अधिक पैसा या समय लगाना बेकार माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि विवाह के बाद तो वे कहीं दूर चली जायेंगी। घर में सही माहौल का नहीं होना तथा घरेलू कामों के बोझ के कारण लड़कियों के मन में शिक्षा के प्रति दिलचस्पी नहीं रह जाती जो अंततः ड्रॉप आउट में परि ात होती है। जिन परिवारों में माता और पिता दोनों ही दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वहां लड़कियों का विवाह जल्द कर देना एक पुण्य काम माना जाता है, क्योंकि इससे वे न सिर्फ अपने उत्तरदायित्व , बल्कि सुरक्षा की चिंता से भी उबर जाते हैं। सीमित आवाजाही के कारण लड़कियों को अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्रों, विशेषकर खेती या घरेलू कामकाज करना पड़ता है।

- **बच्चों के अनुकूल शिक्षा शैली का इस्तेमाल करने वाले शिक्षकों की घोर कमी**

बहुत सारे स्कूलों में शिक्षक क्लासरूम शिक्षण में पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जहां छात्रों के लिए शिक्षक के साथ पारस्परिक संवाद बनाने का बहुत कम अवसर रहता है। व्याख्यान विधि बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली शिक्षण शैली है और सीखाने–सीखने वाली विधि (टीएलएम) का अपेक्षाकृत सीमित इस्तेमाल होता है। एएसइआर की 2014 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सिर्फ 12.1% स्कूलों को वर्ष 2013–14 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत टीएलएम अनुदान मिला। क्लासरूम शिक्षण को ज्यादा आकर्षक बनाने की सख्त जरूरत है ताकि सीखना आसान हो सके। सीखाने–सीखने की गुण वत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों का उन्मुखीकर ा तथा संदर्भ से जुड़ा उपयुक्त शिक्षण सामग्री तैयार करना उपयोगी होगा। खासकर सत्र के बीच में क्लास शुरू करने वाले बच्चों के लिए यह बहुत अधिक मददगार साबित होगा। सिविल सासायटी संगठनों ने पाठ्यक्रम में जीवन कौशल एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल कर स्कूल पाठ्यक्रम को अधिक प्रासंगिक एवं बच्चों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए संशोधन की जरूरत पर सहमति व्यक्त किया। वास्तव में, भारत में सभी स्कूलों को तीन तरह का अनुदान मिलता है, यथा, विद्यालय रखरखाव अनुदान, विद्यालय विकास अनुदान एवं पठन–पाठन सामग्री अनुदान। हालांकि एएसइआर की रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत सरकार ने अधिकांश राज्यों को टीएलएम के लिए पैसा भेजना बंद कर दिया है।

- **विद्यालय प्रबंधन समिति सही तरीके से क्रियाशील नहीं हैं**

अधिकांश स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति को अनियिमित बताया गया। समिति एवं इसके सदस्यों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व के बारे में बहुत ही सीमित जागरूकता है। यू–डीआइएसइ के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2015–16 के दौरान सिर्फ 47.3% सरकारी स्कूलों में ही समिति की नियमित मासिक (वर्ष में कम से कम 9) बैठक हुई। हालांकि 96.6 सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्क्लों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन कर लिया गया था। समुदाय के सदस्यों को भी समिति में सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिलता है लेकिन वे ना तो अपनी भूमिका समझते हें और ना ही उन्हें नि यिों को प्रभावित करने का अधिकार होता है। तंत्र को इस तरह तैयार करने की जरूरत है कि समिति की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी स्कूल की प्रक्रियाओं की गुण वत्ता की बेहतरी में सहायक हो सके।

- **स्कूल के कुप्रबंधन में निर्णायक तरीके से हस्तक्षेप करने को लेकर समुदाय के नेताओं की अक्ष**मता

समुदाय के नेता अक्सर अपने ही दायित्वों में उलझे रहते हैं और संस्थाओं ,जैसे स्कूल, को ऐसी जगह मान लेते हैं जहां वे निर्णायक तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। स्कूल जैसी संस्थाओं की अपनी व्यवस्था होती है जो अक्सर खुद को किसी बाहरी हस्तक्षेप से बचाने का प्रबंध करते हैं।

3.4 महत्वपूर्णसरकारी नीतियों एवं कल्याण योजनाओं के संचालन की खामियों से संबंधित

- **बाल एवं किशोर श्रम (निषेघ एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का कमजोर कार्यान्वयन**

हालांकि बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (सीएलपीआरए) 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को रोजगार म लगाने को प्रतिबंधित करता है, लकिन इसका कार्यन्वयन आशा के अनुरूप नहीं रहा है और इसके प्रभाव का बहुत कम प्रमा ा मिलता है। सच कहें तो सिफ स्कूल जाने वाले सिर्फ अपवाद हैं। हालांकि वे भी अपने घरों में काम करते ही हैं। बच्चों को सड़क किनारे के ढाबों, होटलों, ईंट भट्ठों, घरों आदि में काम करते आसानी से देखा जा सकता है। यहां तक कि नियोजक को सीएलपीआरए के बारे में जानकारी होने के बावजूद उनके यहां बच्चों को काम करते देखा जा सकता है। विचार–विमर्श के दौरान वैसी बहुत सारी जगहों के बारे में पता लगा, जहां बच्चे आमतौर पर काम करते हैं, जैसे, चूड़ी बनाने, बिंदी बनाने, बैंग बनाने, मछली बेचने , जमीन भराई, छोटी दुकानें चलाने, गैराज/मरम्मती दुकान में मिस्त्री, लदान–उठान का काम, ट्रेनों में गुटखा बेचने आदि काम में बच्चे लगे रहते हैं। हालांकि कान्न के तहत उल्लंघन करने वालों के लिए सजा बढ़ा दी गई है , लेकिन सीएलपीआरए के तहत अभियोजन और सजा का दर बहुत ही खराब है।

- **महत्वपूर्णयोजनाओं एवं सेवाओं से अलग कर देना (जैसे, स्वास्थ्य की देखभाल, रोजगार, आवास, आहार/सामाजिक सुरक्षा**)

वंचित परिवारो को उच्च प्राथमिकता वाले सार्वजनिक सेवाओं एवं योजनाओं से अलग कर देने का उल्लेख कई परिवारों द्वारा पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए विभिन्न रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होने के मुख्य कारण के तौर की गई। यहां तक कि मनरेगा

योजना के तहत सौ दिन के रोजगार की गारंटी का प्रावधान भी निरर्थक बन गया है क्योंकि गया जिले के शेरघाटी प्रखंड के जिन 30 वयस्कों के समूह से बातचीत की गई उनमें से मुश्किल से कुछ ही दंपत्ति इस योजना के बारे में कुछ बता सके। मोतिहारी के एक पंचायत के मुखिया के अनुसार पारिश्रमिक निर्गत होने में बहुत अधिक देरी होने के कारण यह योजना बैठ गई। इसी तरह जनवितरण प्रणाली तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित किये जाने के कारण परिवारों को आजीविका के कार्यकलापों में अपने बच्चों को लगाने के लिए बाध्य किया।

- **स्कूलों एवं सेवा प्रदाता संस्थाओं के कामकाज पर प्रशासनिक नियंत्रण का सीमित विकेंद्रीकर ा**

बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को आवश्यक सेवाओं के प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित अधिकारों का हस्तांतर ा नहीं हुआ है, जबकि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 165 में इस पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप स्कूल एवं शैक्ष िाक प्रक्रियाएं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रभाव से पूरी तरह अछूता है। पूर्वी चंपारण के चिरैया प्रखंड के मुखियाओं के साथ विमर्श में जनप्रतिनिधियों द्वारा दोषी शिक्षकों के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायतों के सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं होने के अनेक उदाहरण सामने आए।

- **पुनर्वास के लिए कमजोर हस्तक्षेप,/अर्थ पूर्ण शिक्षा, कॅरियर मार्गदर्शन, कौशल वृदि्ध के अवसरों आदि का नहीं होना**

विगत में बहुत सारे बाल मजदूर मुक्त कराए गए हैं। हालांकि, उन्हें सफल एवं स्थायी तरीके से मुख्यधारा के साथ फिर से जोड़ने का सबूत बहुत कमजोर रहा है। ऐसा व्यापक पुनर्वास रणनीति तथा सीमित संसाधन वाले स्वयंसेवी संगठनों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण हुआ है। सिविल सोसायटी संगठनों एवं साथ ही साथ बच्चों क साथ विमर्श से पता चला कि पुनर्वास के मौजूदा उपाय मुक्त कराए गए बच्चों का भरोसे लायक भविष्य सुनिश्चित करने में बहुत ही अपर्याप्त एवं अप्रभावी साबित हुए हैं। राज्य में मौजूद आश्रय गृहों के पास पुनर्वास को सुलभ बनाने, नियोजक एवं सरकार से मुआवजा सुनिश्चित कराने या मनोरंजन अनौपचारिक शिक्षा, मनो–सामाजिक काउंसिलिंग, खेल, जीवन कौशल तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं, उपलब्ध कराने के लिए अपर्याप्त संसाधन एवं सीमित विशेषज्ञता है । जबकि ये सभी सुविधाओं का होना बाल मजदूरों के सफल समेकन के लिए जरूरी है।

- **बाल मजदूरी के लिए उकसाने वाली स्थितियों तथा पूर्वावस्था की प्राप्ति के लिए जवाबदेह स्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ**

बच्चों को सिर्फ काम से मुक्त करा देने के बजाय निरोधक उपायों तथा बाल मजदूरी के लिए जिम्मेवार मुद्दों को हल करने के सतत प्रयासों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है । उन सवालों को हल करने की जरूरत है जिनके कारण उन्होंने पहली बार बाल मजदूरी को स्वीकार किया था। बाल मजदूरों को मुक्त कराने तथा उन्हें फिर से स्कूल भेज देने के सारे प्रयास आवश्यक व्यवस्था एवं संसाधनों के अभाव में विफल साबित हुए हैं।लक्षित समूह को अपेक्षित गुण वत्ता की सेवाएं , विशेषकर स्कूल, आश्रय गृह आदि संस्थाओं की ओर सुनिश्चित नहीं कराई जा सकी हैं। इसके अलावा समुदाय के स्तर पर मुसीबतें बरकरार रही हैं जिसके कारण यथास्थिति बनी हुई है।

- **आश्रय गृहों में स्वतंत्रता में कटौती का एहसास, विशेषकर शहरी जीवन के आकर्ष ाों से परिचित होने के बाद**

मुक्त कराए गए बच्चों के आश्रय गृहों के अनुभव उत्साहजनक तस्वीर नहीं पेश करते। विभिन्न राज्यों के आश्रय गृहों में रहने का साझा अनुभव न सिर्फ गुण वत्ता सेवाएं उपलब्ध कराने में संस्थागत खामियों को उजागर करता है बल्कि संस्थानों को बच्चों के अनुकूल बनाने की सख्त जरूरत भी बताता है। मुक्त कराए गए बाल मजदूरों के एक समूह से पूर्वी चंपारण के चिरैया प्रखंड में हुए विमर्श में मुक्त कराए जाने के बजाए पुलिस द्वारा 'पकड़' लिए जाने की बात सामने आयी। दूसरे राज्यों से मुक्त कराए गए और बिहार वापस लाए जाने के पहले आश्रय गृहों पर रह चुके बच्चों ने बताया कि आश्रय गहों में मामूली बातों, जैसे खाना नहीं खाने, कमरे में झाड़ू ठीक से नहीं लगाने आदि के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा न सिर्फ उनकी पिटाई की गई बल्कि उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया। आश्रय गृहों में ऐसी प्रतिकूल स्थितियों के कारण बच्चे ऐसा महसूस करने लगते हैं कि वे कार्यस्थल पर ही बेहतर स्थिति में थे। साथ ही, कई बार अपनी कमाई के पैसे से उनके अंदर अधिकारिता की जो भावना जगती है उसके कारण वे काम से वापस आना पसंद नहीं करते।

- **बच्चों को काम पर भेजने वाले परिवारों की आर्थिक मजबूरियों के साथ हमदर्दी**

पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों, दबदबा वाले लोग आदि जैसे समुदाय के सबसे प्रभावशाली लोग अक्सर बच्चों को काम पर भेजने वाले परिवारों के साथ हमदर्दी रखते हैं। समान परिस्थितियों वाले होने वाले के बावजूद वे बच्चों को काम पर भेजने वाले

परिवारों को प्रभावी तरीके से प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि समान परिस्थितियां अक्सर आदमी की मानसिकता को ऐसे प्रचलनों को जायज या तर्कसंगत मानने के लिए अनुकूलित कर देती हैं ।

प्रायः स्थानीय परिवारों के साथ विवाद का भय भी स्थानीय नेताओं को बच्चों को काम पर भेजने के बारे में परिवारों के निर्णय में हस्तक्षेप करने से रोकता है।

3.5 बाल श्रम के फलते–फूलते बाजार से संबंधित

- **कालीन बनाने, जरी का काम, ढाबा आदि से संबंधित उद्यम में बाल मजदूरों को लगाने का अधिक लाभ**

कुछ क्षेत्र हैं जहां काम की प्रकृति के कारण बाल मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है , जैसे कालीन बनाने, चूड़ी कारखाना, आदि। इन उद्यमों में कम पारिश्रमिक दी जाती है साथ ही अधिक घंटों तक नीरस काम कराया जाता है। मुक्त कराए गए बच्चों के साथ विमर्श के दौरान हैदराबाद की चूड़ी कारखाने से मुक्त कराए गए एक बच्चे ने बताया कि इस कारखाने में ज्यादातार बच्चों को काम पर रखा जाता है और उनका काम सुबह पांच बजे से शुरू होता है एवं रात एक बजे तक लगातार काम लिया जाता है। इसबीच सिर्फ दो बार भोजन दिया जाता है। इस दौरान बच्चे अगर सो जाते हैं तो नियोजक उन्हें डाटता–फटकारता भी है। अक्सर माता–पिता को अग्रिम भुगतान कर दिया जाता है। इसी तरह ईंट भट्ठों में काम करने वाले परिवार एवं नियोजक वहां बाल मजदूरों के इस्तेमाल से इंकार करते हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। माता–पिता एकदिन में अधिक ईंट बना लेने की गरज से काम में अपने बच्चों को भी लगा लेते हैं क्योंकि उन्हें भुगतान बनी हुई ईंट के हिसाब से ही मिलता है। जितना अधिक ईंट बनायेंगे, उतना अधिक भुगतान होगा।

- **आर्थिक रूप से तंगी में रहने वाले पृष्ठभूमि के बाल मजदूरों की सुलभ उपलब्धता/ अधिक आपूर्ति**

हाशिये पर रहने वाले समुदाय के बच्चे परिवार की आर्थिक मजूरियों के कारण अक्सर शोषण भरे माहौल में और कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। दो जून की रोटी के जुगाड़ के लिए संघर्ष कर रहे हाशिये पर रहने वाले समुदायों के बच्चों के लिए काम सीखना आजीविका के लिए अनिवार्यता मानी जाती है। बच्चों को विभिन्न तरह के कामों में लगाया जाता है जहां उन्हें वयस्कों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भो हो सकते हैं। अक्सर माता–पिता अपने बच्चों को कार्यस्थल पर लेकर जाते हैं क्योंकि घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता; अक्सर बच्चे माता–पिता के काम के बोझ में हाथ बंटाते हैं जिसके लिए उन्हें अलग से कोई भुगतान नहीं मिलता। माता–पिता इसे अपने बच्चे के भविष्य के लिए जरूरी मानते हैं क्योंकि वे उनके संरक्षण में प्रशिक्षित होते हैं और आगे समय आने पर वे अपना भरण–पोषण खुद कर सकते हैं। कभी–कभी बच्चों को मरम्मती की दुकानों में ड्राइवर आदि के साथ प्रशिक्षु के तौर पर भी रखा जाता है, जहां उन्हें कोई अधिक भुगतान नहीं होता क्योंकि वे नया काम सीख रहे होते हैं।

- **नियोजकों या कार्यस्थल के एजेंटों के साथ समुदाय के नेताओं की संभावित सांठ–गांठ**

समुदाय के सदस्यों द्वारा कुछ ऐसे उदाहरण भी दिए गए जहां समुदाय के प्रभावशाली लोग ही एजेंट के तौर पर काम करते हैं और बच्चों को काम पर भेजते हैं।

4 प्रमुख सामाजिक मानक, धारणाएं, प्रचलन, व्यवहार एवं उनके निर्धारक,जिन्हें बदलने की जरूरत है

बाल श्रम का प्रचलन अनेक व्यवहारगत एवं संस्थागत कारकों के कारण फल–फूल रहा है। इसे रोकने के लिए संस्थागत कारकों से निपटना जरूरी है, जिसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतियों का कड़ाई के साथ कार्यान्वयन तथा ठोस कार्रवाई की जरूरत है। संस्थागत कारकों के अलावा, व्यापक पैमाने पर प्रचलित चिंताजनक सामाजिक प्रचलनों एवं उनके व्यवहारगत पहलुओं से निपटना एक गंभीर चुनौती है जिनसे निपटने की जरूरत है।

बच्चों पर काम शुरू करने का दबाव बनाने वाले संरचनात्मक एवं व्यवहारगत, दोनों ही कारक आपस में गहरे रूप से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर व्यवहार या आदतवश बच्चे स्कूल नहीं भेजे जाते तो ऐसे व्यवहारों को स्कूल का घटिया आधारभूत संरचना, सीमित सुविधाएं या हतोत्साहित करने वाला माहौल रास्ता दिखा सकता है। इसी तरह, अगर नियोजक बच्चों को काम लगाने से परहेज नहीं करते तो इसका एक कारण बाल श्रम पर प्रतिबंध से संबंधित कानून को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पाने की तंत्र की अक्षमता हो सकता है। इसलिए, बाल श्रम के उन्मूलन के लिए एक प्रभावी सामाजिक एवं व्यवहारगत (एसबीसी) बदलाव की प्रभावी रणनीति को बाल श्रम के अबाधित रूप से जारी रहने के लिए जवाबदेह मुख्य व्यवहारगत एवं सामाजिक प्रचलनों पर फोकस करने तथा दोनों कारकों पर दूरगामी एवं स्थायी प्रभाव डालने की क्षमता वाले उपयुक्त उपायों को प्रस्तावित करने की जरूरत होगी।

जैसा कि पहले के अध्याय में चर्चा की गई है , बाल श्रम के उन्मूलन के लिए एसबीसी रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया में बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों एवं उनके अभिभावकों समेत बच्चों को काम करने के लिए मजबूर करने वाली स्थितियों/परिस्थितियों के आसपास रहने वाले प्राथमिक हितधारकों के अलावा फ्रंटलाइन (जैसे टोला सेवक, विकास मित्र, पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि आदि) कार्यकर्ताओं से विभिन्न पहलुओं पर विमर्श करना अनिवार्य होगा। इन विमर्शों तथा बाल श्रम से संबंधित पूरक जानकारियों के आधार पर इस अध्याय में चुनिंदे प्रमुख व्यवहारों एवं प्रचलनों की चर्चा की गई है जिन्हें रणनीति को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की कोशिश करनी चाहिए।

4.1 अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के बजाए काम करने के लिए भेजते हैं

हाल के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में 11 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। समझा जाता है कि इनमें से अधिकांश बाल मजदूर हैं। बच्चों का शिक्षा का अधिकार हासिल नहीं हो पाने के विभिन्न कारण ों में एक बड़ा कारण अभिभावकों द्वारा अपने संदर्भ से जुड़े तर्कसंगता और बाध्यताओं के तहत या तो स्वेच्छा से या अनिच्छा से बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के संबंध में उनके व्यवहारगत सवालों से जुड़ा है।

स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर समुदाय की अपनी सोच होती है जो मुख्यधारा के विचार से अलग भी हो सकती है। बच्चों एवं अभिभावकों के साथ विमर्श के दौरान बच्चों को स्कूल से दूर रखने के पक्ष म कई तर्क सामने आए; जैसे, उन्हें ऐसा नहीं दिखता कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाएगा, शिक्षा की तुलना में काम करने से ज्यादा तात्कालिक लाभ होता है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णतर्क स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की गुण वत्ता को लेकर (वास्तव में, सरकारी स्कूलों में क्लास V के बच्चे जो क्लास II की किताबें पढ सकते हैं उनका औसत मात्र 44.6% है– एएसइआर रिपोर्ट 2014) था। बहुत लोगों की राय थी कि जीवन की दिन–प्रतिदिन की चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यात्मक साक्षरता काफी है (, '' इतना पढ़ लो ताकि अंकों को पढ़ लो और बस/ट्रेन में बगैर किसी परेशानी के यात्रा कर सको,'' यह बयान स्थिति को दर्शाता है)। बच्चा होने का बोध भी एक कारण है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में दाढ़ी मूंछ आ रहे किशोर को कमाने एवं अपना भर ा–पोषण लायक मान लिया जाता है।

बच्चों पर काम शुरू करने का दबाव डालने की बाध्यता मुख्य तौर पर आर्थिक बाधाओं एवं महत्वपूर्णयोजनाओं एवं सेवाओं (जैसे, स्वास्थ्य की देखभाल, रोजगार, आवास, आहार/सामाजिक सुरक्षा आदि से संबंधित) से वंचित रहने के कारण है। साथ ही इलाज एवं विवाह के लिए कर्ज लेने की मजबूरी और कर्ज की अदायगी भी परिवार में बच्चों को काम पर भेजने का दबाव बनाती है।

4.2स्कूल से डॉपआउट (बीच में ही स्कूली पढ़ाई छोड़ने वाले) करने वाले बच्चे

यद्यपि 2014–15 में ड्रॉपआउट दर में 2.1 %की गिरावट आयी , फिर भी देश में ड्रॉप आउट बच्चों की कुल संख्या में से 19 %बच्चे बिहार के हैं। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआइएसइ) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट का औसत वार्षिक दर 25.9 है।

बच्चों के ऊंचे क्लास में जाने क साथ ही ड्रॉपअप दर में वृद्धि विभिन्न व्यवहारगत कारकों के साथ–साथ संरचनात्मक कमियों का परि णाम है। यहां तक कि लोगों द्वारा शिक्षा के मूल्य का एहसास किए जाने और अपने बच्चों को पढ़ाने तथा समृद्ध बनाने की चाहत रखने

के बाद भी शिक्षा व्यवस्था को लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की जरूरत है। गया में दलित बच्चों के साथ बातचीत में जाति एवं वर्ग आधारित भेदभाव के जटिल रूप को स्कूल जाने से रोकने के लिए निरूत्साहित करने का कारण बताया गया।
साथ ही, अरुचिकर शिक्षण शैली एवं घर से कम दूरी पर स्कूल का सुलभ नहीं होना (विशेषकर लड़कियों के मामले में) बच्चे की स्कूली शिक्षा के महत्व को प्रभावित करता है। फिर, आर्थिक दबाव एवं मदद की व्यवस्था की अपर्याप्तता बच्चों के ड्रॉप आउट एवं आजीविका से जुड़े घर के कामकाज में उनकी मदद लेने की संभावनाओं को , विशेषकर आर्थिक रूप से वंचित परिवारों में , बढ़ाता है। आगे के अध्याय में प्रस्तावित कुछ रणनीति में इन समस्याओं से निपटने की कार्रवाई एवं आगे के रास्ते के बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं।

4 3 बाल विवाह से जुड़े सामाजिक मानदंड, जो 'जिम्मेदार' बनने के लिए युवा दुल्हे से कमाई शुरू करने की अपेक्षा करता है

पिछले कुछ दशकों की तुलना में बाल विवाह की व्यापकता में कमी आयी है,। इसके बावजूद बाल विवाह/ कम आयु में विवाह का प्रचलन बड़े पैमाने पर जारी है। बाल विवाह और बाल मजदूर के बीच का संबंध 'मुर्गी' और 'अंडे' की पहेली जैसी है और रणनीति के सामने समाधान के लिए यह एक बहुत ही जटिल समस्या के रूप में सामने आया। यह बचपन की धारणा के साथ भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे समुदायों की धार ााओं में एक किशोर बच्चा नहीं रह जाता है और उसे कमाने एवं परिवार की आय में मदद करने लायक वयस्क मान लिया जाता है। इस कारण , जिन इलाकों में बाल श्रम बड़े पैमाने पर है, वहां बच्चा ज्यों ही परिवार की आमदनी में मदद करने लगता है ओर शारीरिक रूप से वयस्क दिखने लगता है, उसे विवाह करने लायक मान लिया जाता है। बाल विवाह की सांस्कृतिक स्वीकृति एवं इससे जुड़ी अपेक्षाएं भी बच्चों को काम करने एवं अपने विवाह के पहले बचत के लिए तैयार करती हैं। इसके अलावा, कम आयु में विवाह के लिए जिम्मवार कई अन्य कारकों की पहचान हुई जिनमें कम आयु में बच्चों द्वारा यौन संबंध बनाने एवं लड़के –लड़कियों का साथ भाग जाने का भय भी शामिल है। बाल विवाह एक सामाजिक प्रथा है और समुदाय अक्सर इसके पक्ष में परिस्थितजन्य तर्क प्रस्तुत करता है। इसे उच्च शिक्षा या कौशल विकास का अवसर नहीं मिलने पर लड़कियों (विशेषकर) एवं लड़कों को लाभप्रद तरीके के काम में लगाए रखने के तंत्र के तौर पर भी माना जाता है। इसलिए बाल विवाह के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता लाने के प्रयासों के साथ शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की पहल को एसबीसी रणनीति का हिस्सा बनाने की जरूरत है।

4 4 बच्चोंको बीच में ही पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉप आउट) से रोकने के लिए स्कूल के अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन प्रभावी तरीके से नहीं कर रहे

एक संस्था के रूप में स्कूल बाल मजदूरी की व्यापकता को कम करने की उच्च क्षमता रखता है। राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के मकसद से शिक्षा के साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान , छात्रवृत्ति एवं मध्याहन भोजन के मद में काफी अधिक रकम का आवंटन होता है और खर्च किया जाता है। बहुत हद तक शैक्षिक उपलब्धियों, विशेषकर साक्षरता एवं नामाकन के स्तर, एवं स्कूल में बच्चों को बनाये रखने पर इसका सकारात्मक असर पड़ा है। लेकिन हाशिये पर रहने वाले वर्गों को, विशेषकर प्राइमरी स्तर के बाद, शामिल करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
जैसा कि पिछले अध्याय में चर्चा की गई है, राज्य में बेहतर आधारभूत संरचना, गुण वत्तायुक्त शिक्षा, बेहतर शिक्षण शैली तथा ऐसे माहौल का निर्मा ा जो हर बच्चे को स्कूल में होने की मांग को बढ़ाता हो की जरूरत है। इस दिशा में स्कूलस्तरीय पर्याप्त सुधार की जरूरत है। विमर्श के दौरान, स्कूलों की निम्न उपलब्धियों के लिए स्कूल के कामकाज पर प्रशासनिक नियंत्रण का सीमित विकेंद्रीकर ा एक प्रमुख कारण के रूप में उभर कर सामने आया। शिक्षा व्यवस्था में लोकतांत्रिक निरीक्ष ा की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना बिहार में शिक्षा क समग्र परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल़ सकता है। स्कूलकर्मियों को बेहतर शिक्षण शैली अपनाने के योग्य बनाने तथा स्कूल की उपलब्धियों की मॉनिटरिंग एवं निगरानी (ट्रैकिंग) रखने के तंत्र को सशक्त करने की जरूरत है। उदाहरण स्वरूप विद्यालय प्रबंधन समिति एवं पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार हस्तांतरित कर यह काम किया जा सकता है। शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाकर बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की प्रभावी रणनीति समय की मांग है।

4.5 नियोजक बच्चों को काम में लगाने से परहेज नहीं करते

एक ओर परिवार की विकट आर्थिक बाध्यताओं के कारण बच्चों को काम पर भेजने की मजबूरी की हैं तो दूसरी ओर बाल श्रम का फलता–फूलता बाजार है। बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम आशा के अनुरूप कार्यान्वयन नहीं होने के कारण बाल मजदूरों की मांग निरंतर बनी हुई है। बच्चों को दास बनाना अपेक्षाकृत आसान है, वो भी कम लागत में, और इसीकारण वे नियोजकों की पसंदीदा विकल्प बने हुए हैं। साथ ही कुछ क्षेत्रों , जैसे, कालीन बनाने, चूड़ी उद्योग, जरी उद्योग आदि में, बाल मजदूरों की मांग विशेष रूप से अधिक है,। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार औसत रूप से हर माह 72 बच्चों को मुक्त कराया जाता है तथा 13 जिलों में 30,000 से ज्यादा बाल मजदूर रिकार्ड में हैं। एजेंटों और बिचौलियों (जो शहर में आकर्षक सुविधाओं के साथ काम की उपलब्धता की सुनहरी तस्वीर पेश करते हैं) का नेटवर्क व्यापक स्तर पर फैला हुआ है और उनका पता लगाना मुश्किल है। बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम में हाल में हुआ संशोधन अब 14 वर्ष से भी कम आयु के बच्चों को परिवार आधारित उद्यमों में सहयोग की अनुमति देता है। संशोधन में हाशिये पर रहने वाले बच्चों , जो अपना अधिकांश समय काम करने में ब्यतीत करते हैं, के लिए लचीला

रास्ता छोड़ दिया गया है। ऐसी पृष्ठभूमि में, एसबीसी रणनीति की सख्त जरूरत न सिर्फ बच्चों को मजदूर बनने से रोकने के लिए बल्कि विभिन्न प्रकार के हिंसा, जिसका सामना उन्हें कार्यस्थल पर करना पड़ता है, से उन्हें संरक्षण प्रदान करने की भी है।

4.6 मुक्त कराए गए बच्चों का फिर से बाल मजदूर बनना

बाल मजदूरी से मुक्त कराए गए वैसे बच्चों की संख्या बहुत अधिक है जो फिर से काम करने लगते हैं। और यह बाल श्रम के पूर्णउन्मूलन के लिए एक बहुत कठिन चुनौती है। काम करने के दौरान कठिनाइयां और हिंसा झेल चुके बच्चे आखिर क्यों फिर से काम शुरू करना चाहते हैं, इसे अच्छी तरह समझने और उसे रणनीति का हिस्सा बनाने की जरूरत है।

काम की तलाश में बच्चों का शहरों में पलायन बहुत आम है और एकबार बच्चों को आधुनिक जीवन शैली की हवा लग जाती है तो यह उनके लिए अपने मूल स्थान को लौटने में एक बाधक के रूप में काम करता है। विमर्श के दौरान, बच्चों ने परिवार के टूटने या घरेलू हिंसा के कारण होने वाली भावनात्मक कठिनाईयों के अलावा आर्थिक समस्याओं का जिक्र किया जिनके कारण उनके मन में अपने घर के माहौल के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है।

आश्रय गृहों से वापस आने के बाद मुक्त कराए गए बच्चों के लिए घर की स्थिति अक्सर समान बनी रहती है, जिसका एहसास कुछ बच्चों को जानबूझकर अपने हितों से समझौता करने एवं विभिन्न कठिनाइयों के बीच फिर से काम शुरू करने को प्रेरित करता है। साथ ही पुनर्वास का विकल्प भी बहुत सीमित है और बच्चे पुनर्वास की समुचित व्यवस्था तथा अपनी रुचि का कौशल हासिल करने का अवसर या अर्थपूर्णकॅरियर मार्गदर्शन नहीं होने के कारण फिर से बाल मजदूरी के जाल में फंस जाते हैं ।

4.7 बाल मजदूरी के स्थानीय मामलों को रोकने में समुदाय के नेता पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं होते

बाल मजदूरी में बच्चों के प्रवेश को रोकने के लिए मजबूत स्थानीय सामूहिक या सामुदायिक नेता सबसे अच्छी निवारक भूमिका निभा सकते हैं। स्थानीय समुदाय, विशेषकर संभावित बाल मजदूरों के लिए वे न सिर्फ अधिक सुलभ होते हैं बल्कि वे अपने इलाके के लोगा की पसंद पर भी प्रभाव डालते हैं। चित्र 4.1 में पूर्णिया ा म मुक्त कराए गए बाल मजदूरों का विश्लेष ा गांव के मुख्य हितधारकों के सापेक्ष प्रभाव एवं पहुंच के संदर्भ में प्रस्तुत की गई है।

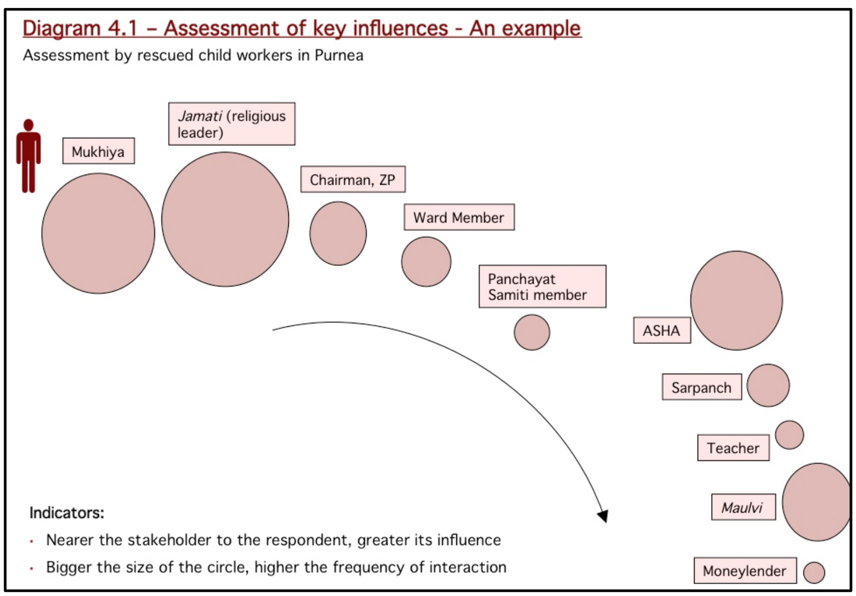

बाल श्रम के उन्मूलन में समुदाय के नेताओं या सामूहिकता की क्षमता का उपयोग एसबीसी रणनीति द्वारा करने की जरूरत है। बाल मजदूरों को काम में लगाने वाले परिवारों के प्रति समुदाय के नेताओं की सहानुभूति की भावना जो बाल मजदूरी को निरूत्साहित करने में अधिकारों पर जोर दने से रोकता है, का इस्तेमाल अच्छे परि णाम के लिए किया जाना चाहिए ताकि बाल श्रम का रोकने की पहल बच्चों के सर्वोत्तम हित में कारगर हो सके। स्कूल के मामलों में समुदाय के नेताओं के प्रभाव को बढ़ाने की जरूरत है जो अभी स्कूल स्तर की प्रक्रियाओं की सीमित समझ तथा प्रशासनिक नियंत्रण के अभाव में सीमित है। दूसरी ओर, चूंकि समुदाय के नेता उसी सामाजिक वर्ग के होते हैं, इसकारण वे बाल श्रम की संस्कृति एवं परंपरा को वैधानिकता प्रदान कर देते हैं। और फिर, कभी–कभी समुदाय के नेता कार्यस्थल के एजेंटों के साथ जुड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में बाल संरक्षण समिति जैसी स्थानीय सामूहिकता या तंत्र बच्चों के अवैध व्यापार को विफल करने में भूमिका अदा कर सकता है।

5 बाल श्रम रोकने की रणनीति को आधार प्रदान करना

राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार राज्य सम्मानजनक जीवन के अधिकार के साथ हिंसा, दुर्व्यवहार, एवं शोषण से मुक्त बचपन को बढावा देने के लिए सकारात्मक उपाय करने को प्रतिबद्ध है। दस्तावेज के इस अध्याय में समाज एवं व्यवहारगत बदलाव के लिए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न हितधारकों के साथ हुए विचार–विमर्श से प्राप्त र ानीतियों का एक ढांचा रेखांकित किया गया है। बाल मजदूरी के लिए जवाबदेह विभिन्न सामाजिक–आर्थिक तथा व्यवहारगत कारकों को ध्यान में रखकर इनकी अवधारणा तैयार की गई है। इस अध्याय में प्रस्तावित र ानीतियों का ध्यान विशेष तौर पर बाल मजदूरी के मुख्य निर्धारक तत्वों तथा बदलाव की जरूरत वाले सर्वाधिक गंभीर व्यवहारों एवं प्रचलनों , जिनके बारे में पिछले अध्यायों में चचा की गई है, पर केंद्रित है। स्पष्ट रूप से बाल श्रम के बने रहने के लिए कई कारक जिम्मेवार हैं, जो बच्चों के लिए शोषण के दुष्चक्र में फंसने के सिवा बहुत कम विकल्प छोडते हैं।

इस अध्याय में रेखांकित र ानीतियों को कार्रवाई के सात महत्वपूर्णक्षेत्रों में वर्गीकृत गया है और हर वर्ग के लिए खास कार्रवाई नीचे रेखांकित किया गया है। बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में वांछित बदलाव लाने के लिए प्रस्तावित र ानीतियां प्रत्येक कारकों से निपटने के लिए मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक कार्रवाइयों के साथ आवश्यक कदमों का सेट प्रस्तुत करेगा। ये ज्यादातर रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर जिन हितधारकों से विचार विमर्श किया गया उनके विश्लेष ा एवं अनुशंसाओं पर आधारित हैं। रणनीति में मुक्त कराए गए बच्चों एवं उनके माता–पिता के प्रतिकूल परिस्थितियों एवं चुनौतियों की पहचान की गई है जिनके कारण बाल श्रम की समस्या खड़ी होती है।

सुझाई गई र ानीतियां इस प्रचलन के मुख्य निर्धारक तत्वों तथा बाल श्रम की अंतर्निहित गतिशीलता से निपटने के लिए आवश्यक हैं। विशेष तौर पर, अभिभावकों, स्कूल छोड़ने वालों, सामाजिक मानदंडों से प्रभावित प्रचलनों, स्कूलकर्मियों, बाल श्रम से संबंधित कानूनों एवं नियमनों, मुक्त कराए गए बाल मजदूरों तथा समुदाय के नेताओं के स्तर पर इसके काम करने की उम्मीद है। र ानीतियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित सात संवर्गों का इस्तेमाल किया गया है:

रणनीति के प्रमुख वर्ग	
1	बाल श्रम से निपटने के लिए अंतर–विभागीय समन्वय
2	रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा की महत्वपूर्णयोजनाओं से वंचना को निपटाना
3	कर्जदारों के अनुकूल शर्तों पर कर्ज की सुलभता को बेहतर बनाना
4	स्कूल स्तर की प्रक्रियाओं की जीवंतता बढ़ाना
5	सीएसओ एवं कॉम्पेन ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर तथा अन्य के साथ साझेदारी
6	बाल मजदूरों की तलाश, मुक्ति एवं पुनर्वास
7	न्यायसंगत विकल्पों का संचार , विशेषकर अभिभावकों, बच्चों तथा बड़े पैमाने पर समाज को ध्यान में रखकर

5 1 बाल मजदूरी से निपटने के लिए अंतर–विभागीय समन्वय

बाल श्रम की जटिलता एवं विविध पहलुओं को देखते हुए विभिन्न सरकारी विभागों एवं एजेंसियों की ओर से निरोधक कार्रवाइयां शुरू करने की जरूरत होगी। ये कार्रवाइयां उच्चतर स्तर के समन्वय व्यवस्था की मांग करती है। इस दिशा में एक विशेष पहल अंतर विभागीय अभिसरा एव समन्वय के जरिये रणनीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उच्चस्तरीय कार्यदल का गठन करना होगा। विशेष रूप से यह अभिसर ा एवं समन्वय श्रम संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंचायती राज विभाग, गृह विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आदि के बीच करने की जरूरत होगी। रणनीति के कार्यान्वयन प्रक्रिया के संचालन के लिए श्रम संसाधन विभाग केंद्रीय (नोडल) संगठन क तौर पर काम कर सकता है। कार्यदल को बाल श्रम उन्मूलन, मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए बिहार राज्य कार्य योजना के कार्यान्वयन का अधिकार दिया जा सकता है और राज्य के विकास आयुक्त इसके अध्यक्ष हो सकते हैं।

5 2 रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा की महत्वपूर्णयोजनाओं से वंचना को निपटाना

विमर्श से यह अनुभूति हुई कि आहार एवं रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित रहने के कारण बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से वंचित परिवार हाशिये पर हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्णहोगा कि समाज कल्या ा, रोजगार सृजन तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों एवं नीतियों का लाभ समाज के वंचित समुदायों को मिले। इसे निम्न उपायों से हासिल किया जा सकता हैः

5.2.1 कल्याण योजनाओं एवं सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करः

रणनीति के तौर पर , यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्णहोगा कि गांव के सभी कमजोर परिवार तक महत्वपूर्णयोजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाया जाए। इसे महत्वपूर्णसरकारी नीतियों के लाभ से वंचित समुदाय की मैपिंग कर एवं पात्रता आधारित योजना प्रक्रिया अपना कर हासिल किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी योजना या सेवाओं से वंचित सभी योग्य लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने एवं लाभ के अंतर को पाटने के लिए बजट की जरूरत होगी। सामुदायिक कार्यकर्ताओं एवं जीविका जैसे कार्यक्रमों के तहत सृजित नेटवर्क का बेहतर इस्तेमाल जानकारी एवं सुविधाओं के समन्वयक एवं एजेंट के रूप में करना कल्याण योजनाओं एवं आदयेता की सुलभता को बढ़ा सकती है।

5.2.2विकास स्तर के अनुसार पंचायतों / गांवों के स्तरीकर ा का तंत्र शुरू करना

पंचायतों एवं गांवों के श्रे ीकर ा का तंत्र बनाना बच्चों को बाल मजदूर बनने से रोकने के संबंध में गांवों की आधारभूत स्थितियों पर नजर रखने में मदद कर सकती है। ग्राम विकास सूचकांक की संकल्पना की जा सकती है (भारत में जिलों की घदई समिति के स्तरीकर ा के तर्ज पर)। रणनीति के हिस्से के तौर पर विकास के निम्न स्तर वाले गांव पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है।

5 3 कर्जदारों के अनुकूल शर्तों पर कर्ज की बेहतरसुलभता बनाना

विमर्श के दौरान अृ ाग्रस्तता बाल श्रम के बड़े पैमाने पर बने रहने का एक मुख्य कारण के तौर पर उभर कर सामने आया। राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से वंचित बहुत बड़ी संख्या में लोग कर्ज के लिए स्थानीय साहूकारों पर आश्रित होते हैं और ब्याज दर अक्सर बहुत ही शोष ाभरा होता है। इसके कारण कर्जदार भारी कर्ज के बोझ से दब जाता है। इस तरह की आर्थिक मजबूरी, विशेष रूप से कर्ज का बोझ, बाल श्रम के एक मुख्य कारण के रूप में सामने आया। कर्जदारों के अनुकूल शर्तों पर कर्ज की सुलभता सुनिश्चित करने को रणनीति का एक आवश्यक अंग बनाने की जरूरत है।

5.3.1 बिहार साहूकार (लेनदेन का नियमन) अधिनियम 1938 को सख्ती से लागू करने के साथ नकद–जमा (सीडी) अनुपात तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कर्ज देने के उत्तरदायित्वों को लागू करना

बिहार साहूकार (लेनदेन का नियमन) अधिनियम 1938 (1939 एवं 1972 के संशोधनों समेत) के प्रावधानों को लागू करना महत्वपूर्णहै। इस कानून के अनुसार कर्ज की वसूली के लिए साहूकारों पर सिवाय दीवानी मुकदमा कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि किसी भी हालत में वसूली गई रकम (ब्याज एवं मूलधन समेत) कर्ज ली गई रकम से दुगुनी नहीं होनी चाहिए। यह कर्ज लेने वालों को अदालत के मार्फत भी कर्ज अदा करने का विकल्प देता है।

दूसरा आवश्यक उपाय सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के नकद–जमा अनुपात में भारतीय रिजव बैंक के मानकों के अनुसार सुधार, को लागू करना है, खासकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में। चूंकि बिहार के बहुत सारे ग्रामीण परिवारों का खाता कॉऑपरेटिव बैंकों और ग्रामीण बैंकों में रहता है इसकारण इन बैंकों द्वारा ग्रामीण परिवारों की कर्ज की जरूरतों को पूरा करने में सुधार की जरूरत है। जीविका जैसा कार्यक्रम भी गरीब परिवारों की कर्ज की जरूरतों को स्वयं सहायता समूहों एवं फेडरेशनों के माध्यम से उपभोक्ता के अनुकूल शर्तो पर पूरा करने में भूमिका निभा सकता है।

5 4 स्कूल स्तर की प्रक्रियाओं की जीवंतता बढ़ाना

बच्चों को स्कूल में बनाए रखना उन्हें बाल मजदूर बनने से रोकने के लिए एक महत्वपूर्णपूर्व–शर्त है। विमर्श के दौरान हितधारकों ने इसके लिए शिक्षण की गुण वत्ता एवं बेहतर आधारभूत संरचनाओं की सुविधाओं को जरूरी बताया। स्कूल से ड्राप आउट की समस्या से निपटने में स्कूल स्तर की प्रक्रियाओं में जीवंतता बढ़ाना प्रभावी होगा। रणनीति रेखांकित करते वक्त, स्कूल स्तर पर सुधार के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका पर मुख्य रूप से ध्यान देने की बात सामने आयी।

5.4.1. शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सुधार एवं मनोरंजक शिक्षण पर जोर देते हुए शिक्षकों का प्रशिक्षण

स्कूल स्तर की प्रक्रियाओं में सुधार प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) और संकुल संसाधन केंद्र (सीआरसी) के काम का एक अहम हिस्सा माना जाता है। सीआरसी से शिक्षकों की मासिक बैठक करने एवं समुदाय के सदस्यों समेत शिक्षकों के साथ–साथ विद्यालय प्रबंधन

समिति के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने की अपेक्षा की जाती है। प्रशिक्षण का स्वरूप सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) या राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पर्षद (एससीइआरटी) या डीआइइटी द्वारा निर्धारित की जाती है। बीआरसी प्रशिक्षण कोष प्राप्त करता है और उसका प्रबंधन करता है, कार्यक्रम तय करता है, तथा प्रशिक्षण से संबंधित रिकार्ड को रखता है। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में शिक्षण की सृजनात्मक एवं मनोरंजक तरीकों को बढ़ावा देना सहायक हो सकता है। शिक्षण शैली के अंग के तौर पर सृजनात्मक एवं मनोरंजक तरीकों का इस्तेमाल करने वाले प्रोजेक्टों के अनुभव बताते हैं कि इस तरह की गतिविधियों ने बच्चों में रुचि पैदा की तथा ड्रॉप आउट दर एवं बच्चों को स्कूल में बनाये रखने के दर पर इनका अच्छा प्रभाव पड़ा। बीआरसी एवं सीआरसी द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण के बाद स्कूल स्तर पर बेहतर शिक्षण शैली का इस्तेमाल किस स्तर तक किया गया, इसकी मॉनिटरिंग की अपेक्षा की जाती है।

5.4.2 सीखने के परि णामों में वृद्धि तथा बच्चों के लिए समय व्यतीत करने के लिए अनुकूल स्थान उपलब्ध कराने के लिए ' बच्चों के अनुकूल स्कूल' तथा ' विकास के लिए खेल 'की नीति को बढ़ावा देना

स्कूलों को बच्चों के लिए आकर्षक जगह बनाने का मकसद ' बच्चों के अनुकूल स्कूल' तथा ' विकास के लिए खेल' जैसी नीतियों जिससे स्कूलों को आनंददायक जगह माना जा सके और स्कूल बच्चों को समय व्यतीत करने के लिए आकर्षित करे ,को अपनाकर हासिल किया जा सकता है। स्कूल स्तर की प्रक्रियाओं में बच्चों की क्षमताओं को प्रोत्साहन एवं बढावा देने के लिए छात्रों की शिक्षकेत्तर गतिविधियों को मजबूत करने की जरूरत है।

5.4.3शिक्षकों के कामकाज पर नजर रखने तथा उच्च उपलब्धियां दर्ज कराने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत करने के तंत्र को सुदृढ करना

शिक्षकों के कामकाज पर नजर रखने का तंत्र नहीं रहने पर शिक्षक स्कूल में अपने दायित्व क निर्वहन में ढिलाई बरत सकते हैं। शिक्षकों के काम में कमियों से निपटने के लिए शिक्षकों की उपलब्धियों को मॉनिटर करने के तंत्र को प्रभावी बनाने की जरूरत है। शिक्षकों की उपलब्धियों को देखने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति को स्पष्ट भूमिका तय की जा सकती है जिसमें उन्हें शिक्षकों द्वारा काम में लापरवाही बरतने पर समयबद्ध कार्रवाई का अधिकार प्राप्त हो। इसके अलावा बिहार लोक शिकायत निवार ा अधिकार अधिनियम 2016 के तहत उपलब्ध समाधानों का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कूलों में अपने कामकाज में उल्लेखनीय सुधार दर्ज कराने वाले शिक्षकों को प्रेत्साहित करने का इस्तेमाल सक्षम शिक्षकों का मनोबल बढाने के तरीके के तौर पर किया जा सकता है।

5.4.4बाल श्रम मुक्त स्कूल यानी जिस विद्यालय के एक भी छात्र बाल मजदूर नहीं हों, सुनिश्चित कराने वाले विद्यालय प्रबंधन समितियों को प्रोत्साहित करना/ स्कूलों में बेहतर उपस्थिति दर्ज कराने वाले विद्यालय प्रबंधन समितियों को प्रोत्साहित करना

स्कूलों की कार्यकलापों एवं पर्यवेक्ष ा में समुदाय की सक्रिय भागीदारी के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति एक महत्वपूर्णमाध्यम है। स्कूलों में बच्चों की नियमितता एवं कुल उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति को सक्रिय बनाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। समुदाय से होने के कारण विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य अपने बच्चों को काम पर लगाने वाले कमजोर परिवारों की पहचान करने एवं उन बच्चों को फिर से स्कूल ले आने में सहायक हो सकते हैं। स्कूल में छात्रों की कुल उपस्थिति को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने वाली या स्कूल के प्रभाव क्षेत्र में एक भी बाल मजदूर नहीं हो, यह सुनिश्चित कराने वाली विद्यालय प्रबंधन समितियों को पुरस्कार प्रारंभ कर पुरस्कृत किया जाना चाहिए। सघन क्षेत्र आधारित तरीका बाल मजदूरी के फैलाव से व्यापक तरीके स निपटने में मददगार हो सकता है, जैसा कि एमवी फाउंडेशन के अनुभवों से स्पष्ट है (देखें बॉक्स 5.2)।

5.4.5स्कूल में छात्रों के किसी भी अप्रिय अनुभव को दर्ज करने एवं उस पर कार्रचाई करने का तंत्र बनाना

अक्सर स्कूल की अप्रिय घटनाएं (जैसे अपमान या भेदभाव) ड्रॉप आउट का कारण बन जाता है। रणनीति के तौर पर महसूस किया गया कि स्कूल में एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जो कम से कम किसी अप्रिय घटना को रिकार्ड में लाए ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। ऐसे तंत्र को बच्चों का विश्वास प्राप्त होना चाहिए जहां वे बगैर किसी भय के अपनी बात कह सकें। ऐसी घटनाएं रिकार्ड की जाए इसके लिए विद्यालय प्रबंधन समिति एवं सामाजिक न्याय समिति (या पंचायती राज संस्था) के अलावा न्याय मित्र, टोला सेवक, एवं चौकीदारों को एक विशिष्ट भूमिका दी जा सकती है । शिकायतकर्ता के ाम का खुलासा नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन को सशक्त/स्थापना की जा सकती है।

5.4.6एसएसए, आरएमएसए एवं आरटीइ के मानकों के अनुपालन में कमी की पहचान करना तथा उन्हें दूर करना

विमर्श से निकली बातों में इस बात का संकेत मिला कि स्कूलों में शौचालय का नहीं होना या लड़कियों के लिए अलग शौचालय का नहीं होना या गांव से स्कूल की दूरी आधारभूत संरचनाओं की सुविधाओं की कमियां स्कूलों में ड्रॉप आउट, (विशेषकर लड़कियों का) का बहुत बड़ा कारण है। यू–डीआइएसआइ के ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार के 1896 बस्तियों में अभी भी सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के अनुसार एक किलोमीटर की दूरी पर प्राइमरी स्कूल उपलब्ध कराना बाकी है। इसके लिए कमजोर समुदायों के संकेंद्र ा वाले

इलाकों में स्कूल की उपलब्धता की मैपिंग, संभवतः जीआइएस तकनीक का इस्तेमाल कर, करने और तात्कालिक कमियों को सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एचं शिक्षा का अधिकार का अधिकार अधिनियम के तहत हल करने के लिए चिन्हांकित करने की जरूरत है । रणनीति को आरटीइ मानकों , विशेषकर बच्चों के सतत नामांकन तथा निर्धारित मानकों के अनुसार स्कूलों की स्थापना, को सख्ती के साथ लागू करने की जरूरत है। स्पष्ट शब्दों में प्राइवेट स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटों के कोटा को गंभीरता के साथ लागू करने की जरूरत है।

5.4.7 शिक्षकों के बेहतर प्रदर्शन को लागू कराने के लिए पंचायती राज संस्था/ विद्यालय प्रबंधन समिति को सक्षम बनाने वाले विकेंद्रीकृत तंत्र की स्थापना, जैसे इन संस्थाओं को शिक्षक द्वारा स्कूल में व्यतीत किये घंटों की संख्या का रिपोर्ट कार्ड देने का अधिकार

पंचायतों का स्कूलों के कामकाज पर सीमित प्रशासनिक नियंत्रण है। हालांकि शिक्षा विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार हस्तांतरित करने के लिए समय–समय पर निर्देश निर्गत किया है लेकिन यह प्रभावी नहीं हो सका है। इसके कारण स्कूल स्तर की प्रक्रियाएं एवं लेनदेन विद्यालय प्रबंधन समितियों या पंचायती राज संस्थाओं जैसी समुदाय आधारित निकायों के सार्थक प्रभाव से वस्तुतः अछूता हैं। इन संस्थाओं को हस्तांतर ा आदेश के पुनःसत्यापन के जरिये अधिकार दिया जा सकता है । इन्हें रिपोर्ट कार्ड के स्वरूप में शिक्षकों के कामकाज एवं स्कूल की सुविधाओं के बारे में जानकारी देने का अधिकार सोंपा जा सकता है।

5 5 सीएसओ एवं कॅम्पेन ऑन एलिमिनेशन ऑॅफ चाइल्ड लेबर तथा अन्य के साथ साझेदारी

यह देखते हुए कि विभिन्न संगठन बाल अधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बच्चों, विशेषकर बाल मजदूरों , के मुद्दों पर काम करने वाले संगठनों का मीडिया हाउस, कॉरपरोट, नागरिक कल्याण समितियों, जैसे प्रमुख संगठनों, तथा बिहार उद्योग संघ, एवं महासंघ, तथा फेडरेशन ऑफ वीमेंस ग्रूप के साथ नेटवर्क बनाना बाल श्रम का उन्मूलन कर बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में साझा समझ पैदा कर सकते हैं।

5.5.1 ज्ञात हस्तक्षेपों के प्रमा ित सर्वोत्तम तरीकों को बढ़ाना – जैसे एमवी फाउंडेशन, बचपन बचाओ आंदोलन आदि
बाल मजदूरों के संरक्ष ा, मुक्ति, पुनर्वास तथा जागरूकता पैदा करने (बॉक्स 5.2 , 5.3 एवं 5.4 में की गई चर्चा के अनुसार) के बारे में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों के सफल पहलों से सीखा जा जा सकता ह तथा प्रमा ित सर्वोत्तम तरीकों को बाल मजदूरी के उन्मूलन की रणनीति के तौर पर बढ़ाया जा सकता है।

बॉक्स 5.2 क्षेत्र आधारित तरीका के जरिये सामाजिक लामबंदी

एमवी फाउंडेशन ने सामाजिक लामबंदी के जरिये विभिन्न तरह के कामों में लगे बच्चों को शामिल कर बाल श्रम मुक्त क्षेत्र (सीएलफजेड) बनाने की रणनीति अपनाया है। नीचे के चार्ट में रणनीति के कार्यान्वयन के तरीके को रेखांकित किया गया है:—

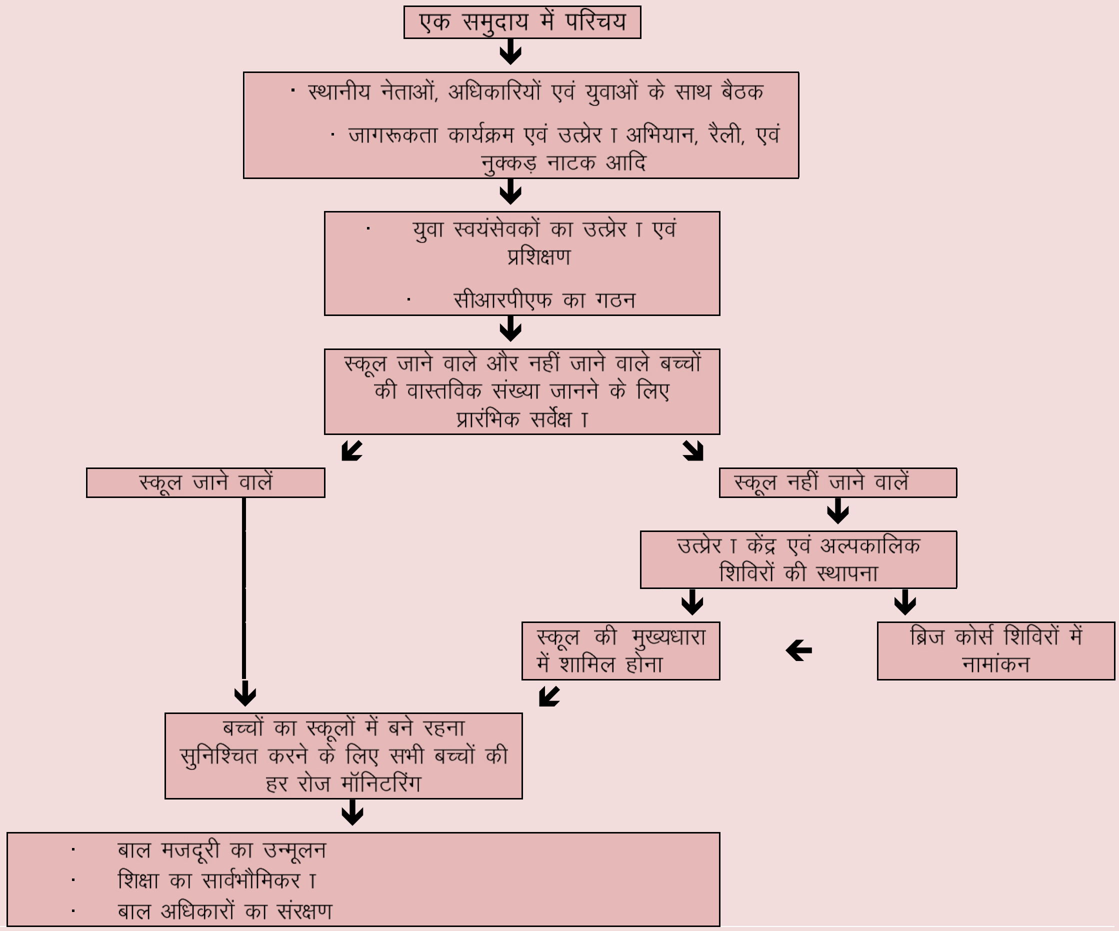

5 6बाल मजदूरों की तलाश, मुक्ति एवं पुनर्वास

बाल श्रम को रोकने के लिए बाल मजदूरों की तलाश, मुक्ति एवं पुनर्वास की बेहतर रणनीति का होना अत्यधिक महत्वपूर्णमहसूस किया गया, जिसके लिए निम्नलिखित र ानीतियां अपनायी जा सकती हैं:

5.6.1 प्रवासियों /बेघर परिवारों की संख्या बहुत अधिक रहने वाले क्षेत्रों की पहचान तथा ड्रॉप आउट करने वाले संभावित बच्चों की पहचान एवं उन्हें स्कूल में बनाये रखना संभव बनाने के लिए संकुल संसाधन केंद्र (सीआरसी) स्तर पर विशेष कोषांग की स्थापना

प्रवासी या बेघर परिवारों के बच्चों की स्कूली पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र के नहीं होने के मद्देनजर जिन क्षेत्रों से अधिक पलायन होता है उनकी पहचान करने की जरूरत है। साथ ही ऐसे इलाको में पर्याप्त संख्या मे ंआश्रय गृहों एवं आवासीय विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है। सीआरसी के लिए इस संबंध में भूमिका सुनिश्चित की जा सकती है। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र के दुर्गम स्थानों पर रह रहे समुदायों की मैपिंग तथा इन समुदाय के बच्चों को स्कूल में बनाए रखन का काम सौंपा जा सकता है,।

5.6.2 आदर्श प्रारूप के अनुसार आश्रय गृहों की व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं का मानकीकर ा करना

मुक्त कराए गए बच्चों के साथ विमर्श के दौरान कई तरह के शोषण के उदाहरण सामने आए। बच्चों को बाल श्रम के जाल में फंसने और इसके कारण होने वाले शोषण से बचाने की रणनीति के तौर पर जीवन कौशल के बारे में दिलचस्प पाठ्यक्रम तथा मुक्त कराए गए बच्चों की आदयेता के बारे में आवश्यक जानकारी आश्रय गृहों में निश्चित तौर पर उपलब्ध कराने की जरूरत महसूस की गई। आश्रय गृहों में रह रहे बच्चों को कारखाना अधिनियम, 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 तथा किशोर न्याय अधिनियम और बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986 के प्रावधानों से भी अवगत कराया जा सकता है। कारखाना अधिनियम 1948 में कारखानों में किशोरों के लिए काम करने की स्थिति तथा खतरनाक मशीनों के पास किशोरों को लगाने पर प्रतिबंध का उल्लेख है। इसी तरह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 म सभी तरह के रोजगार के लिए एक सामान्य कार्यदिवस के लिए काम का घंटा और न्यूनतम मजदूरी तय किया हुआ है।

बॉक्स 5.3 में मुक्त कराए गए बच्चों के जीवन कौशल से जुड़ी जरूरतें पूरी करने का सचित्र विवर ा दिया गया है, जिसे रेनबो फाउंडेशन ने विकसित किया है।

बॉक्स 5.3–आश्रय गृहों में सुविधाओं/प्रक्रियाओं/ देखभाल के नयाचार (प्रोटाकॉल) का मानकीकर ा

मुक्त कराए गए बाल मजदूर फिर से बाल मजदूरी न करने लगें, इसे रोकने में आश्रय गृहों की अत्यंत ही महत्वपूर्णभूमिका होती है। ऐसे में **प्रथम** (जो मुक्त कराए गए बाल मजदूरों के लिए ज्ञानशाला चलाता है) एवं **रेनबो फाउंडेशन** जैसे संगठनों के अनुभव बेहतर पुनर्वास के लिए आश्रय गृहों के स्तर में सुधार के लिए मददगार हो सकते हैं। नीचे के चित्र में बच्चों के सीखने एवं क्षमता सृजन के प्रमुख क्षेत्रों का चित्र ा आश्रय गृहों में विभिन्न तरह के देखभाल के स्तर के बारे में रेनबो फाउंडेशन द्वारा तैयार सचित्र विवर ा में प्रस्तुत किया गया है।

5.6.4 गांव से बाहर जाने वालों के साथ ही साथ गांव में रहने वाले सभी बच्चों के पंजीकरण की अनिवार्य प्रक्रिया शुरू करना

बाल मजदूरों का पता लगाने की रणनीति के तौर पर समुदाय के जिन परिवारों में बाल मजदूर है उन परिवारों की पहचान करने एवं गांव से बाहर जाने वाले बच्चों के साथ–साथ गांव में रहने वाले बच्चों का विवर ा एवं ठिकाने का पंजीकरण सुनिश्चित कराने में समुदाय ट्रैकिंग रजिस्टर के जरिये सक्रिय भूमिका अदा कर सकता है। यह काम वार्ड की बाल संरक्षण समिति पंचायत के मार्गदर्शन में कर सकती है। बाल संरक्षण समिति द्वारा किया जा सकता है। यह नियोजक या कार्यस्थल के एजेंटों के साथ सांठगांठ की जानकारी पाने में सहायक हो सकता है। आम जनता द्वारा बाल मजदूर के बारे में जानकारी देने का तंत्र (जैसे हेल्पलाइन नंबर एवं ह्वाटसअप नंबर जारी कर) विकसित किया जा सकता है और जानकारी मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई हो सकती है।

5.6.5 बाल श्रम मुक्त गांवों के समर्थक (चैंपियन) के रूप में समुदाय के नेता

बच्चों को काम पर नहीं भेजने के लिए माता–पिता को समझा–बुझा कर राजी करने में समुदाय के नेताओं की महत्वपूर्णभूमिका होती है। बाल मजदूरों एवं उनका अता–पता के पंजीकरण का मकसद बच्चों के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल माहौल बनाना है जो एजेंट/ठेकेदारों एवं समुदाय के प्रभावशाली लोगों के बीच के सांठ–गांठ का पता लगाने में भी मददगार हो सकती है। इस रणनीति को सामुदायिक व्यवस्था की रणनीति के तौर पर अपनाने की जरूरत है । इस तरह की रणनीति बचपन बचाओ आंदोलन के अभियान में प्रभावी साबित

हुई है।बचपन बचाओ आंदोलन ने समुदाय और खासकर बच्चों को साथ लेकर बाल मित्र ग्राम एवं मुक्ति कारवां जैसी पहलों से बाल मजदूरी कम करने में अग्र ी भूमिका निभाया है। बचपन बचाओ आंदोलन की रणनीति को बॉक्स 5.4 में रेखांकित किया गया है।

बॉक्स 5.4– बाल श्रम से निपटने में बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा अपनायी गई रणनीति

बाल मित्र ग्राम बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा संस्थापित अवधारणा है। इसका मकसद गांवों को बाल मजदूर मुक्त बनाना है जहां स्कूल जाने वाले उम्र के हर बच्चे को स्कूल सुलभ कराना है। यह रणनीति नवादा जिला के हिसुआ में सफल हुई है और हिसुआ को बाल मजदूर मुक्त प्रखंड घोषित किया गया है। अभियान स्थानीय समुदाय के अलावा बच्चों को शामिल करता है जो बाल पंचायत बनाते हैं। बाल पंचायत निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से प्रभावित करता है। बाल मित्र ग्राम की विशिष्टता ग्रामीण बच्चों की सक्रिय भागीदारी से पंचायता, समुदायों, स्कूलों तथा परिवारों में बच्चे अपने लिए लोकतांत्रिक जगह बना रहे हैं। बाल मित्र गांव की अवधारणा बाल मजदूरी के सवाल पर ग्राम पंचायत एवं कर्मचारियों को संवेदनशील बनाकर हाशिये पर रहने वाले समुदायों एवं बच्चों के सशक्तीकर ा तथा बाल पंचायत एवं दूसरे सामुदायिक समूहों के बीच सहयोगात्मक रुख को बढ़ावा देकर सामाजिक–आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों को हल करने पर आधारित है।

मुक्ति कारवां

जागरूकता अभियान बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा संगठित मुक्ति कारवां से सीख ले सकता है। यह पूर्व बाल मजदूरों द्वारा संचालित कार्यक्रम है। चूंकि बाल मजदूर की पीड़ा को वे स्वयं सह चुके होते हैं , इसलिए बाल मजदूरों को जिस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर किया है और उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसे गांव वालों को वे सबसे अच्छी तरह से बता सकते हैं। ये बच्चे समाज से बाल श्रम पूरी तरह खत्म करने के लिए शिक्षा की जरूरत, एवं शिक्षा की सुलभता एवं गुण वत्ता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गांवों का भ्रम ा करते हैं।

बच्चे चलंत यूनिट (अभियान सामग्री एवं ऑडियो–वीडियो संयंत्र से लैश कारवॉ वैन) के साथ उन जगहों पर जाते है जहां से बाल मजदूर आते हैं। वहां वे बच्चों के शोषण के सवाल पर नुक्कड़ नाटक करते हैं, सामजिक संदेशों से प्रभावित लोक गीत गाते है, पर्चा बांटते हैं, जनसभा एवं जागरूकता शिविर आयोजित करते हैंक वाला हैं। ग्रामी ों पर अधिक प्रभाव के लिए ऑडियो–वीडियो प्रस्तुति भी करते हैं।

5.6.6 शिक्षा का अधिकार के मानकों को सख्ती से लागू करना, विशेष रूप से सतत नामांकल सुनिश्चित करना

काम से मुक्त कराए गए बच्चों के लिए अक्सर पढ़ाई जारी रखना कठिन हो जाता है। साथ ही, आश्रय गृह की स्थिति अक्सर गुण वत्तायुक्त पनर्वास के लायक नहीं रहती। काम से मुक्त कराए गए बच्चों को आधारभूत संरचना को बेहतर बनाकर, शिक्षको की तैनाती एवं शिक्षण शैली की गुण वत्ता बढ़ाने में निवेश कर शिक्षा प्रणाली में वापस लाने की जरूरत है। छात्रों के लिए राष्ट्रीय मुक्त स्कूली शिक्षा प्रणाली का विकल्प भी शुरू किया जा सकता है।

5.6.7 मुक्त कराए गए बाल मजदूरों की पसंद का व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नि ियानुसार माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकर ा के केंद्र प्रायोजित योजना को अप्रैल 2013 के प्रभाव से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया है) और शिक्षा का बाल अधिकार कॉन्वेंशन की धारा 28 बी (जो सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा समेत माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों के विकास के साथ, उन्हें हर बच्चे के लिए सुलभ बनाने तथा जरूरत पड़ने पर निःशुल्क शिक्षा शुरू करने तथा वित्तीय सहायता जैसे उपयुक्त उपाय करने जोर देता है) के प्रावधानों की तर्ज पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाना रणनीति का अंग हो सकता है।

रणनीति के हिस्से के तौर पर,महसूस किया गया कि कॅरियर मार्गदर्शन के अंश वाली अर्थपूर्णअध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना बच्चों को भविष्य के लिए अपने जीवन को आकार देने में मदद कर सकती है। श्रम एवं नियोजन मंत्रालय की एक कौशल विकास पहल योजना कम आयु के ड्रॉप आउट बच्चों, बेरोजगार किशोरों, पहले बाल मजदूर रह बच्चों एवं उनके परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है। इस योजना का मकसद इन सब को व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, उनकी नियोजनीयता बढ़ाना, अनौपचारिक रूप से प्राप्त उनके कौशल को प्रमा ित करना तथा इन कौशलों का उन्नयन करना है। रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय निदेशालय (श्रम एवं नियोजन मंत्रालय) नियोजन (जॉब प्लेसमेंट)के लिए नियोजनालय में पंजीकरण की सुविधा तथा किशोरों के लिए कॅरियर काउंसिलिंग एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) किशोरों को क्लास VIIIया X के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। एक अन्य रणनीति अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए नियोजनालय स्थापित करने की हो सकती है। रणनीति के माध्यम से जागरूकता और इनमें से कुछ विकल्पों के इस्तेमाल को बढ़ाने की जरूरत है। एक और रणनीति प्राथमिक स्तर के बाद स्कूल के बाहर वाले बच्चों को कौशल विकास के अवसरों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) के साथ व्यवस्था बनाने की हो सकती है।

5.6.8 नियोजक की ओर से कर्मचारियों के जीवन वृत की अनिवार्य घोष ा के लिए तंत्र बनाना

नियोजक द्वारा नियुक्त किए गए सभी कामगारों के विवर ा के अनिवार्य घोष ाा की नीति बाल श्रम को एक हद तक रोकने में मदद कर सकती है। इस घोष ाापत्र में नियोजक की ओर से यह शपथ भी शामिल किया जा सकता है कि 14 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी कामगारों को उनकी पसंद के काम के प्रभावों को समझने तथा पढ़ाई के लिए वापस जाने के बारे में अनिवार्य काउंसिलिंग करा दी गई है।

5.6.9 बिचौलियों की निरंतर मैपिंग एवं ट्रैकिंग के लिए तंत्र बनाना

गांव के स्तर पर काम करने वाले बिचौलिये एवं एजेंटों की पहचान एवं उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गांव के स्तर पर ट्रैकिंग तंत्र बनाने की जरूरत है। इस तरह के तंत्र के संचालन की जवाबदेही वार्ड एवं पंचायतसतर पर गठित बाल संरक्षण समिति को सौंपी जा सकती है। बच्चों की तलाश एवं मुक्ति के लिए महत्वपूर्णसंवेदनशील जगहों पर एजेंटों एवं बिचौलियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को भी सुग्राही एवं सक्षम बनाने की जरूरत है।

5.6.10 बाल एवं किशोर श्रम (निषेघ एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को लागू करने के लिए आदर्श कार्य प्रणाली बनाना एवं लागू करना

विभिन्न स्थानों पर माता–पिता से हुए विमर्श में **बाल एवं किशोर श्रम (निषेघ एवं विनियमन) अधिनियम, 1986** के बारे में बहुत ही सीमित जागरूकता का संकेत मिला। हालांकि सरकारी अधिकारियों का बड़ा हिस्सा अधिनियम के बारे में जानता है लेकिन विस्तार से इसके प्रावधानों और ज्यादा महत्वपूर्णहै कि इसे लागू करने के आयामों से अनभिज्ञ लगा। इसलिए रणनीति के हिस्से के तौर पर आदर्श कार्य प्रणाली बना कर बाल श्रम (निषेध एवं नियमन)अधिनियम को लागू करने की जरूरत है। विभिन्न विभागों के सरकारी पदाधिकारियों , विशेषकर पुलिस पदाधिकारियों, श्रम पदाधिकारियों एवं फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को अधिनियम लागू करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है तथा इसके क्रमिक कार्यान्वयन की विस्तृत योजना की जानकारी दी जा सकती है।

5.6.11 बाल श्रम मुक्त क्षत्र/ उद्यम की पहचान/पुरस्कार

विमर्श से मिली जानकारियों में कुछ व्यवसायों में बाल मजदूरों की बहुत अधिक मांग का संकेत मिला। इस चुनौती से निपटने के लिए, जो उद्यम बाल मजदूरों को काम पर नहीं लगाते हैं उन्हें श्रम संसाधान विभाग जैसा संबद्ध विभाग, बिहार उद्योग संघ और मीडिया हाऊसों के साथ मिलकर पुरस्कृत कर सकत हैं। रणनीति के तौर पर, यह बाल श्रम मुक्त उद्यमों के लिए अनुकूल माहौल बनाएगा तथा बाल मजदूरों की मांग में कमी लाने में सहयोग कर सकता है। इसके अलावा, जिन इलाकों में बाल श्रम की व्यापकता ज्यादा है , जैसे उच्चपथ के किनारे ढाबो आदि में, उन इलाकों को बालश्रम मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए अभियान शुरू की जा सकती है।

5 7 तर्कसंगत विकल्पों का संचार , विशेषकर अभिभावकों, बच्चों तथा बड़े पैमाने पर समाज को ध्यान में रखकर

' तर्कसंगत विकल्पों' का संचार , बाल श्रम के व्यवहारगत आयाम को हल करने की रणनीति का महत्वपूर्णअंग हो सकता है। इस प्रक्रिया में विकल्पों के फायदे पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अधिक से अधिक लोगों को इससे अवगत कराना होगा। संचार अभियान को बाल विवाह से जुड़े सामाजिक मानकों , जिसके अनुसार लोग युवा दुल्हे से जिम्मेवार व्यक्ति बनने के लिए जल्द कमाई शुरू करने की अपेक्षा करते ह , पर फोकस करने की जरूरत होगी। इसके अलावा बच्चे की कमजोरियों के बारे में धार ाा, शहरी क्षेत्र के कार्यस्थल की असलियत तथा युवा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में निवेश करने की तर्कसंगता पर ध्यान देना होगा। स्पष्ट शब्दों में निम्नलिखित रणनीति को आगे बढ़ाया जा सकता है।

5.7.1 गरीबी से बाहर निकलने के एक समर्थ साधन के रूप में शिक्षा की ताकत के सम्मोहक सबूत के तौर पर आदर्श प्रतिमान (रोल मॉडल्स)

स्थानीय लोगों के परिचित ऐसे रोल मॉडल्सों के उदाहरण को , जिन्होंने अत्यधिक वंचित पृष्ठभूमि वाले होने के बावजूद शिक्षा प्राप्त कर सफलता हासिल की हो, स्थिति की बेहतरी मेंएक साधन के तौर पर शिक्षा की ताकत को दर्शाने के अभियान की शुरुआत के लिए के लिए चुना जा सकता है। ऐसी कहानियों को जनसंचार के साधनों का इस्तेमाल कर उन बाल मजदूरों की बहुलता वाले इलाकों में प्रचारित किया जा सकता है , जो एक बच्चे के जीवन में शिक्षा के महत्व का एहसास कराने में काफी मदद कर सकता है। विमर्श के दौरान विभिन्न हितधारकों से प्रभावी संचार अभियान की विशिष्ट जरूरतों के बारे में उनकी राय मांगी गई । प्रक्रिया के दौरान विभिन्न तरह के लोगों की पहचान की गई, जिनके पास सही संदेश के साथ पहुंचने की जरूरत है। बॉक्स 5.1 में विमर्श प्रक्रिया से तैयार वैसे सुझावों को प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें व्यापक संचार अभियान में शामिल करने की जरूरत है।

बॉक्स 5.1–विभिन्न तरह के लोगों के लिए संदेश की विशेषताओं का व्याख्यात्मक नमूना

लक्षित लोग	पहुंच के माध्यम	संदेश का सारांश
समुदाय के सदस्य	वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य	बच्चों के भविष्य को आकार देने में शिक्षा की भूमिका
महिला	आंगनवाड़ी सेविकाएं/ आशा	बच्चों के काम करने की शोषण भरी स्थितियां
बच्चे/ किशोर लड़कियां एवं लड़के	नुककड़ नाटक,/ रेडियो/टीवी/सोशल मीडिया, विशेषकर फेसबुक एवं ह्वाट्सएप	*बाल श्रम के प्रभाव पर संदेश * काम के लिए दूर जाने पर जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसकी जानकारी
माता–पिता/ समुदाय के सदस्य	समुदाय , जीविका कार्यक्रम के संगठनकर्ता,/ टोलासेवक/वार्ड सदस्य	*बच्चों के भविष्य, विशेष रूप से एक बच्चे के भविष्य को आकार देने मेंं शिक्षा किस तरह महत्वपूर्णभूमिका निभा सकती है * शिक्षा एवं मनरेगा रोजगार से संबंधित सरकार की नीतियों के बारे में सही जानकारी * बाल श्रम पर मौजूदा कानूनों के बारे में जानकारी
निर्वाचित प्रतिनिधि/ शिक्षक/ जीविका/समुदाय के सदस्य/ आंगनवाड़ी सेविकाएं	प्रशिक्षण	हाशिये पर रहने वाले वर्गों के बीच कल्याण योजनाओं के लाभ के वितर ा का तरीका
नियोजक/एजेंट	समाचार पत्र	बाल मजदूरों के नियोजन से संबंधित नियम–कानून, विशेषकर दंड
माता–पिता/बच्चे	टेलीफोन/ प्रोमोशनल कॉल	बाल मजदूर के रूप में बच्चों की संभावित नुकसान
समुदाय के सदस्य /माता–पिता	फिल्म	बाल मजदूर का जीवन

5.7.2 किशोरावस्था के चर ा से जुड़े असुरक्षा पर संचार सामग्री तैयार करने के लिए विशेषज्ञों का एक छोटा समूह तैयार करना

संचार अभियान को किशोरास्था के चर ा से जुड़े असुरक्षा के बारे में समुदाय को जागृत करने पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि किशोरों को अक्सर काम करने एवं अपना खर्च चलाने के लिए परिपक्व मान लिया जाता है। इस संबंध में, संचार रणनीति कॅरियर मार्गदर्शन, सुरक्षित पलायन, सेक्स एवं प्रजनन से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आदि के अलावा उच्च शिक्षा हासिल करने पर उपलब्ध कॅरियर विकल्पों के बारे में फोकस कर सकती है। सुरक्षित पलायन पर सामग्री बच्चों को कम आयु पलायन के जोखिमों से अवगत करा सकती है।

5.7.3 जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों, मदरसाओं, एवं बच्चां के स्थानीय समूह के साथ जुड़ाव बनाना

स्कूलों एवं मदरसाओं का इस्तेमाल बाल श्रम की स्थिति एवं कुप्रभावों के बारे में जागरूकता सृजित करने के मंच के तौर पर किया जा सकता है। मीना मंच एवं बाल संसद जैसे मंच बच्चों एवं छोटे किशोरों को कार्यस्थलों पर बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों के बारे में जानकारी देने के लिए संदेशवाहिका का काम कर सकते हैं। मुक्त कराए गए बाल मजदूरों की मित्र–मंडली के साथ जुड़ना दूसरे बच्चों के साथ–साथ अभिभावकों को जागरूक बनाने में मददगार हो सकता है जो अंततः समुदाय को बेहतर तरीके से जागरूक बनाने में मदद करेगा।

5.7.4 सुरक्षित पलायन ,विशषकर अपरिपक्व आयु में पलायन के नुकसान पर ध्यान देने तथा वयस्कता हासिल करने के पहले स्व–विकास में निवेश करने का महत्व लोगों को बताना

राज्य में बच्चों के पलायन के पैमाने को देखले हुए, बाहर के काय्रस्थलों पर नाबालिगों के लिए जोखिम और खतरों के अलावा किसी नाबालिक के स्व विकास के अवसरों की कीमत पर उसे काम करने के लिए बाध्य करने की कीमत के बारे में समुदाय का मार्गदर्शन करने की रणनीति काफी प्रासंगिक हो सकती है।

5.7.5 समुदाय के नेताओं तथा स्थानीय हितधारकों को बाल अधिकारों के हनन के अवरोधक के तौर बनी सामाजिक योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारियों से सशक्त बनाना

कम आयु में विवाह के प्रतिकूल प्रभावों पर ध्यान केंद्रित कर ' सुरक्षित एवं जिम्मेदार विवाह तथा अभिभावकता ' को बढ़ावा देने के लिए संचार अभियान की जरूरत होगी , जहां विवाह देर से करने तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जैसी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के तरीकों पर मुख्य ध्यान दिया जा सकता है। ग्राम स्वास्थ्य,स्वच्छता एवं पोषण समिति (वीएचएसएनडी), किशोरी समूह, मीना मंच, बाल संसद, नेहरू युवा केंद्र जैसे मौजूदा मंचों का इस्तेमाल खास संदेशों के प्रसार के लिए किया जा सकता है, जैसे सेक्स एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा जीवन कौशल आदि के बारे में जानकारी। इसी तरह, सामुदायिक कार्यकर्ता एवं जीविका जैसे कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क का इस्तेमाल समावेशन संबंधी सूचना के एजेंट एवं मददकर्ता के तौर पर महत्वपूर्णकल्याण योजनाओं एवं अधिकारिता की बेहतर सुलभता के लिए की जा सकती है। समुदाय के नेता ' बाल श्रम मुक्त गांव ' के चैंपियनों से प्रभावशाली लोगों/ समुदाय के वैसे स्वाभाविक नेताओं के जरिये जुड़ सकते हैं, जो बाल अधिकारों को सुरक्षा के महत्व पर सकारात्मक तरीके से बात करने को तैयार होते हैं।

6 बाल श्रम नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई एवं रोकथाम

एसबीसी रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से किए गए विभिन्न विमर्शों एवं सहायक शोध से मिली जानकारी एवं अंतदृष्टि संकेत देते हैं कि बाल श्रम मुद्दे की बेहतर समझ एवं इसे रोकने की कार्रवाई को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों की ओर से बहुआयामी हस्तक्षेप की मांग करता है। राज्य में बाल श्रम को रोकने के लिए विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों को परिवारों एवं समुदायों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने में ठोस भूमिका निभाने की जरूरत है।

दस्तावेज के इस खंड में प्रस्तावित सामाजिक एवं व्यवहारगत बदलावों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों पर फोकस किया गया है। साथ ही इस खंड में मध्यम अवधि की समयसीमा क अंदर वांछित परि णाम पाने के लिए कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग व्यवस्था का प्रसताव रखा गया है।

चित्र 6.1– बाल श्रम को रोकने में प्रमुख हितधारों की भूमिकाओं का एक नमूना। इन भूमिकाओं की पहचान विमर्श के दौरान की गई।

बच्चों/ बाल मजदूरों की ट्रैकिंग से संबंधित	महत्वपूर्णयोजनाओं एवं सेवाओं के वितर ा से संबंधित	जागरूकता सृजन से संबंधित	मॉनिटरिंग एवं निगरानी से संबंधित
पंचायतस्तर पर प्रवासियों का रिकार्ड रखना, क्योंकि पंचायत को अक्सर यह मालूम रहता है कि बच्चे कहां हैं/ कहां पलायन किए हैं **–पीआरआइ सदस्य**	बीपीएल सूची की जांच एवं अत्यधिक जरूरतमंद परिवारों को शामिल करना **–पीआरआइ सदस्य/मुखिया**	मुक्त कराए गए बाल मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं सुविधाओं के बारे में जागरूकता अभियान **–पीआरआइ सदस्य/ मुखिया/ समुदाय कार्यकर्ता /फ्रंटलाइन कार्यकर्ता**	पीडीएस केंद्रों में अधिकारिता का निःशुल्क एवं उचित वितर ा सुनिश्चित करना **–पीआरआइ सदस्य**
आयु प्रमा ा पत्र के बगैर पहचान पत्र निर्गत नहीं करना **–पीआरआइ सदस्य/ मुखिया**	सुनिश्चित करना कि सर्वाधिक असुरक्षित परिवारों को बीपीएल सूची में जोड़ लिया गया है **–विकास मित्र**	कार्यस्थलों की स्थिति के बारे में जागरूकता **–मुक्त कराए गए बाल मजदूर**	स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग **–वार्ड सदस्य, एसएमएसी, पीआरआइ एवं शिक्षक संघ**
एससी/ महादलित परिवारों पर नजर रखना ताकि इन परिवारों के बच्चे ड्रॉप आउट नहीं करे **–वार्ड सदस्य, टोला सेवक**	सुनिश्चित करना कि वार्ड का हर बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र जाये **–वार्ड सदस्य**	शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं एवं अधिकारिता के बारे में जागरूकता **–विकास मित्र, रोल मॉडल्स**	सुनिश्चित करना कि स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चों के साथ कोइ भेदभाव नहीं हो **–तालिमी मरकाज**
प्रत्येक परिवारों के पास जाना तथा उनसे अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अपील करना **–विकास मित्र एवं टोला सेवक**	बाल मजदूर वाले परिवारों को मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करना **–पीआरआइ सदस्य**	अगर माता–पिता बच्चे को काम पर भेजने की जिद पर अड़े हुए हों तो उन्हें बाल श्रम पर रोक से संबंधित कानूनी प्रावधानों को बताना **–विकास मित्र**	
वैसे परिवारों की पहचान करना जहां बाल मजदूर हों **–विकास मित्र**	कानूनी प्रक्रिया शुरू करना तथा नियोजक के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना **– सरपंच**	घर–घर जाकर/ वीएचएसएनडी के जरिये बाल श्रम के प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना **–आंगनवाड़ी सेविका**	
स्कूलों में बेहतर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वंचित/हाशिये पर रहने वाले समुदायों के पास पहुंच बनाना **–तालिमी मरकाज**		चूंकि कम आयु में विवाह बाल श्रम का एक कारण है, इसलिए बाल श्रम एवं कम आयु में विवाह से संबंधित महत्वपूर्णकानूनों तथा अल्प शिक्षा के नकारात्मक प्रभाव, कम आयु में विवाह एवं बच्चे का जन्म से संबंधित जानकारी प्रचारित करना **आंगनवाड़ी सेविका**	

मुद्दे की जटिलता एवं बाल श्रम की व्यापकता को प्रभावित करने वाले प्रत्यक्ष और साथ ही अंतर्निहित कारकों की विविधता को देखते हुए विभिन्न प्रमुख विभागों और सामुदायिक नेतृत्व वाले संगठनों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। निष्कर्ष स्पष्ट रूप से बच्चों के लिए सुरक्षित समाज बनाने के लिए बाल अधिकार, सामाजिक बुराइयां, प्रमुख अधिकारिता एवं सामजिक दायित्व जैसे सवालों पर विभिन्न प्रमुख हितधारकों के जागरूकता सृजित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। इसके साथ ही सामुदायिक नेतृत्व वाली संस्थाओं को अधिकार

युक्त बनाने तथा अपनी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभाने के लिए उन्हें शासनादेश एवं संसाधन सौंपने की जरूरत है। परि णाम का आकलन करने एवं समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक ठोस ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग तंत्र भी जरूरी है।

जागरूकता सृजन

गुण वत्तायुक्त शिक्षा बच्चों के सर्वाधिक महत्वपूर्णअधिकारों में एक है, विशेषकर वैसे बच्चों के लिए जिनके जीवन एवं भविष्य निर्मा ा के लिए कोई अन्य सहारा नहीं है। 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का कानून बन जाने के बावजूद,जरूरतमंद एवं असुरक्षित बच्चों के एक बड़े वर्ग द्वारा शैक्षिक अधिकारों का लाभ उठाया जाना बाकी है। शिक्षा प्रदान करने के तंत्र में सुधार के साथ बच्चों एवं माता–पिता , विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग के, के बीच शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना समान रूप से जरूरी है ।

अक्सर परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए बच्चे पर परिवार की निर्भरता के पीछे आर्थिक बाधाएं मुख्य कारण होती हैं। विभिन्न महत्वपूर्णआदयेता से संबंधित जागरूकता सृजित करन तथा गारंटी के साथ कार्यदिवस की उपलब्धता, रियायती कीमत पर राशन, कौशल, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा तथा आसानी से कर्ज की उपलब्धता जैसे लाभों को निश्चित तौर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने से इस तरह की आदयेता की मांग में निश्चित ही वृद्धि होगी और परिणाम स्वरूप काम पर जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी आएगी।

जागरूकता सृजित करने के लिए एक व्यापक अभियान उपयुक्त माध्यमों का इस्तेमाल कर शुरू करने और जानकारियां प्रचारित करने की जरूरत है ताकि कोई भी समय पर आवश्यक मदद प्राप्त कर सके। यह जागरूकता अभियान सेक्स एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों, कम आयु में विवाह जैसे सामाजिक कुरीति के दुष्प्रभावों, बड़े शहरों की सपनीली तस्वीर, जो किशोरों को आकर्षित करती है, के पीछे की असलियत, तथा कम आयु के बच्चों को काम पर लगाने सें संबंधित कानूनी प्रावधानों के संबंध में चलायी जा सकती है।

विभिन्न विभागों के अधीनस्थ फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं ,जैसे विकास मित्र, टोला सेवक, सेविका, आशा, रोजगार सेवक, किसान मित्र, और कई अन्य, का संवर्ग जागरूकता फाने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। साथ ही पंचायती राज संस्थाएं एवं शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण विभाग जैसे प्रमुख विभाग श्रम संसाधन विभाग के सहयोग से हितधारों के बीच जागरूकता सृजन में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। नीचे के तालिका 6.1 में विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

तालिका 6.1– जागरूकता सृजन

विभाग / एजेंसियां	अपेक्षित कार्रवाई	प्रासंगिक विवर ा	उपलब्धि का आकलन	समय–सीमा
श्रम संसाधन विभाग तथां सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	गरीबी से बाहर आने के लिए शिक्षा को एक मजबूत साधन बताने पर जोर देते हुए दमदार तर्क तैयार करना एवं लोगों तक संचारित करना । कामयाब हुए लोगों की कहानी तैयार करना, और उसके आधार पर संचार अभियान चलाना ।	शिक्षा के जरिये स्थानीय स्तर पर परिचित रोल मॉडल्स की पहचान और उनकी कहानी को प्रचारित किया सकता है (इस बात पर फोकस करते हुए कि साधार ा पृष्ठभमि के लोगों ने किस तरह शिक्षा के जरिये कामयाबी हासिल की)।	सचार रणनीति विकास एवं कार्यान्वयन ।	जनवरी–जून 2017
शिक्षा विभाग, श्रम संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग	संचार अभियान के लिए किशोरावस्था की असुरक्षाओं पर फोकस करते हुए संचार कार्य योजना बनाना तथा लागू करना	कार्य योजना कॅरियर मार्गदर्शन , सुरक्षित पलायन, एसआरएचआर, कौशल विकास आदि पर फोकस करेगा।	कार्य योजना का प्रकाशन।	दिसंबर अंत 2017
शिक्षा विभाग, श्रम संसाधन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान, उनके माता–पिता तक पहुंचना, उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी करना तथा पंचायतों के साथ मिलकर मनरेगा जैसी योजनाओं का इस्तेमाल सुलभ बनाना	स्थानीय अधिकारियों से बच्चों का रिकार्ड एवं बाल मजदूरों के बारे में डाटा रखने की अपेक्षा की जाती है।	प्रत्येक स्कूल के प्रभाव क्षेत्र में बाल श्रम में लगे बच्चों की संख्या (परिवर्तन) प्रयेक स्कूलों में सूचीबद्ध।	2017 में शुरू हो सकती है।

शिक्षा विभाग (बाल संसद एवं मीना मंच)	कार्यस्थलों पर बाल मजदूरों को जिन प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता है उनके बारे में बताते हुए संचार सामग्री तैयार करना, तथा बाल संसद, मीना मंच आदि के जरिये उसे प्रचारित करना।	कार्यस्थलों पर बाल मजदूरों को जिन प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पडता है उनके बारे में बताते हुए संचार सामग्री तैयार करना, तथा बाल संसद, मीना मंच आदि के जरिये उसे प्रचारित करना A	विकास एवं संचार सामग्री वितरित।	दिसंबर 2017 तक
श्रम संसाधन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	उपयुक्त संचार रणनीति बनाना, जिसमें अपरिपक्व उम्र में पलायन के नुकसानों तथा वयस्क बनने के पहले स्व–विकास में निवेश के फायदों को बताया गया हो तथा इस रणनीति को आगे बढ़ाना	संचार रणनीति में अपरिपक्व उम्र में पलायन के नुकसानों तथा वयस्क बनने के पहले स्व–विकास में निवेश के फायदों को बताया जाना चाहिए	संचार अभियान की शुरूआत	जून 2018 तक
समाज कल्याण विभाग	कम आयु में विवाह रोकने के लिए उसके प्रतिकूल प्रभावों पर फोकस करते हुए संचार अभियान। मद्दे पर संवाद का मंच बनाना, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए । किशोरों एवं माता–पिता को लक्षित कर 'सुरक्षित एवं जवाबदेह विवाह तथा अभिभावकत्व' पर अभियान ,मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना तथा शैक्षिक योजनाओं एवं कार्यक्रमों जैसी योजनाओं के साथ जोड़कर ।	पंचायती राज संस्थाओं, बाल संरक्षण समितियों एवं फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में विलंब से विवाह पर जोर दिया जा सकता है।	अभियान की शुरुआत इस सवाल पर	दिसंबर 2017 तक
शिक्षा विभाग	स्कूलों में बेहतर उपस्थिति सुनिश्चित करने वाले एसएमसी को प्रोत्साहित करना। एसएमसी के सदस्यों के प्रशिक्षण में स्पष्ट तरीके से बाल श्रम रोकने में उनकी भूमिका पर जोर देना। बेहतर उपलब्धि वाले एसएमसी के लिए पुरस्कार शुरू करना।	एसएमसी सदस्यों के प्रशिक्षण के मॉड्यूल में बाल श्रम रोकने की परिदृश्य आधारित विमर्श को शामिल किया जा सकता है ।	विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य बाल श्रम रोकने में अपनी भूमिका का प्रशिक्षण पा रहे।	अप्रैल 2017–मार्च 2018
श्रम संसाधन विभाग	बाल श्रम मुक्त क्षेत्रों/उद्यमों की पहचान/ मान्यता प्रदान करना बाल श्रम मुक्त क्षेत्रों/उद्यमों के सत्यापन/स्व–सत्यापन का तंत्र विकसित करना तथा इसे बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाना।	अभियान को आगे बढ़ाने में नागरिक कल्याण समिति, बाजार कल्याण संघ, नगरपालिका वार्ड कमेटी, स्कूल, मीडिया हाउस आदि शामिल हो सकते हैं।	अभियान का शुभारंभ, आवधिक रिपोर्ट ।	2017 में शुरू हो सकती है

महत्वपूर्णआदयेता का कुशल वितर ा

हालांकि राज्य में कई महत्वपूर्णनीतियां एवं योजनाए हैं जो गुण वत्ता युक्त शिक्षा का न्यूनतम स्तर, काम की गारंटी, बुनियादी सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न स्तर पर छात्रवृत्ति, कौशल सृजित करने के अवसर तथा इसी तरह की अन्य आदयेता सुनिश्चित करती हैं। लेकिन सही एवं योग्य पात्रों तक इन आदयेताओं को पहुंचा पाने की अक्षमता के कारण वंचित आबादी पर इनका वांछित असर नहीं पड़ सका है। इन आदयेताओं के वितर ा में सुधार किए बगैर राज्य में बाल श्रम को रोकना एक दूर का सपना बना रहेगा।

हाल के वर्षों में बिहार ने आदयेता आधारित योजना की शुरुआत की है लेकिन अभी भी वह शैशवास्था में है। महत्वपूर्णसेवाओं एवं आदयेताओं, विशेषकर स्कूल शिक्षा तथा समाज के वंचित वर्ग के आजीविका से संबंधित, के वितर ा में सुधार के लिए योजना प्रक्रिया को योजना के सभी योग्य लाभार्थियों को संतृप्त करने क लिए अनिवार्य रूप से बजट के प्रभावों का निर्धार ा करने वाले आदयेता

आधारित तरीके को अपनाने की जरूरत है। वितर ा प्रणाली को स्पष्ट रूप से वंचित परिवारों की पहचान करनी होगी तथा योजनाओं का लाभ उनतक पहुंचाना होगा।

बाल एवं किशोर श्रम (निषेघ एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को बेहतर तरीके लागू कराना सुनिश्चित करने के लिए श्रम संसाधन विभाग को विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभागों के लिए आदर्श कार्य प्रणाली (एसओपी) के रूप में कार्यसंपादन का दिशा–निर्देश तैयार करना चाहिए। बाल मजदूरों से सीधे जुड़े प्रतिधार ा गृहों जैसी सेवाओं को अच्छी तरह से सज्जित होना चाहिए ताकि बच्चे को जीवन में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

बच्चे के जीवन में स्कूल बहुत ही महत्वपूर्णसंस्था होती है। इसलिए स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम को इसकी सच्ची भावना के रूप में लागू करना चाहिए। शिक्षण के मनोरंजक तरीकों पर जोर देकर तथा इसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित कर शिक्षा की गुण वत्ता को बेहतर बनाने के अलावा, स्कूलों को अपने प्रभाव क्षेत्र के वंचित बच्चों/आबादी पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। ऐसे परिवारों की पहचान एवं वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए विद्यालय प्रबंधन समितियों को सशक्त करने की जरूरत है।

कर्ज तथा उपभोकता के अनुकूल शर्तां पर वित्तीय मदद की बाल मजदूरो के लिए जिम्मेवार एक अन्य प्रमुख कारण है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दायित्वों को सख्ती से लागू कराने तथा कर्ज देने की शोषण भरी तरीकों को नियंत्रित करने की जरूरत हैं। कमजोर एवं असुरक्षित परिवारों को जीविका जैसे कार्यक्रमों से जोड़ने से जरूरत के समय वित्तीय मदद की उनकी सुलभता बढ़ेगी।

तालिका 6.2 में योजना एवं विकास विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग जैसे कई अन्य विभागों द्वारा समाज के वंचित या कमजोर वर्ग के लोगों को आवश्यक सेवाएं सुलभ कराने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों का उल्लेख है।

तालिका 6.2 महत्वपूर्णयोजनाओं एवं सेवाओं का कुशल वितर ा

विभाग/ एजेंसियां	अपेक्षित कार्रवाई	प्रासंगिक विवर ा	उपलब्धि का आकलन	समय–सीमा
शिक्षा, एससीइआरटी, आइसीडीएस, शिक्षक संघ	· शिक्षण शैली को और अधिक मनोरंजक बनाने में शिक्षकों द्वारा इस्तेमाल किए जा सकने खेलों एवं उनकी विधियों के संकलन की संकल्पना तैयार करना एवं प्रकाशित करना , इन विधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था · सीखने के परि णाम को बढ़ाने के लिए 'बच्चों के मनोनुकूल स्कूल' एव ' विकास के लिए खेल' की नीतियों को आगे बढ़ाना · शिक्षकों के कामकाज पर नजर रखने के तंत्र को मजबूत बनाना · आरटीइ मानकों का सख्ती से पालन, विशेषकर निरंतर नामांकन सुनिश्चित करना · मुक्त कराए गए बाल मजदूरो, विशेषकर 14 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए उनकी पसंद का व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाना	बेहतर पठन–पाठन सामग्री की उपलब्धता तथा बाल मजदूरों की बहुलता वाले इलाकों में शिक्षण के आनंदभरे तरीके जानने वाले शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करना महत्वपूर्णहोगा। रिपोर्ट बनाने तथा सभी कल्याण योजनाओं एवं सेवाओं के सभी योग्य दावेदारों को संतृप्त करने के लिए पर्याप्त बजटीय संसाधन आवंटित करने के लिए ।	शिक्षण के मनोरंजक तरीके का इस्तेमाल करने वाले शिक्षकों का अनुपात जानने के लिए शिक्षण शैली का आवधिक अंकेक्ष ा ।	दिसंबर 2017 तक
योजना एवं विकास	· वंचना की रिपोर्ट बनाने तथा सभी कल्याण योजनाओं एवं सेवाओं के सभी दावेदारों को संतृप्त कने के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन के लिए अधिकारिता आधारित योजना प्रक्रिया अपनाना · विकास के स्तर के अनुसार	महत्वपूर्णयोजनाओं/सेवाओं के तहत व्याप्ति/ वंचना की मैपिंग।	आदयेता आधारित योजना तरीके का इस्तेमाल करने वाले विभागों की संख्या, व्याप्ति में वृद्धि की रिपोर्ट ।	2018 के अंत तक

	गांवों के स्तरीकर ा का तंत्र शुरू करना			
स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण विभाग	· वीएचएसएनडी एवं किशोरी सम्मोह जैसे मंचों को सक्रिय करना · अर्श क्लीनिक जैसे संस्थाओं की उपलब्धता बढाना। एसआरएचआर एवं जीवन कौशल की पहुंच युवा किशोरों तक बड़े पैमाने पर बढ़ाना	आंगनवाड़ी कर्मचारियों को पूरी तरह सक्षम बनाना । सक्षम काउंसिलरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत ।	युवा लोगों के साथ संपन्न सत्रों की संख्या ।	2017 में शुरू की जा सकती है
श्रम संसाधन विभाग	· व्यापक पैमाने पर हुए विमर्श के आधार पर आदर्श कार्य प्रणाली तैयार करना तथा उसे लागू करने के लिए फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	आदर्श कार्य प्रणाली लागू करने के लिए फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ।	प्रमुख अधिकारी, जैसे,श्रम अधीक्षक,एलइओ, पुलिस अधिकारी आदि आदर्श कार्य प्रणाली के बारे में प्रशिक्षित।	अक्तूबर 2017–दिसंबर 2018
श्रम संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग	· आश्रय गृहों में आदर्श प्रचलनों के अनुसार व्यवस्था एवं प्रक्रिया का मानकीकर ा करना · आश्रय गृहों की व्यवस्था के संचालन के लिए आदर्श दिशा निर्देश तैयार करना	आश्रय गृहों को प्रासंगिक जानकारियों, आदयेताओं, एवं जीवन कौशल के बारे में संदेशवाहिका के तौर पर काम करने की जरूरत है	आदर्श दिशा–निर्देश तैयार ।	जुलाई 2017–दिसंबर 2018
श्रम संसाधन विभाग,	· अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए नियोजनालय की स्थापना करना	आजीविका ब्यूरो एवं बेयरफूट जैसी एजेंसियों के पहल की तर्ज पर	प्रस्तावित तंत्र की शुरुआतA	रणनीति शुरू होने के 2 वर्षों के भीतर
शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग	निम्न कामों के लिए स्कूलों के प्रशासन में पीआरआइ के अधिकारों के संबंध में अधिसूचना जारी करना • स्कूल के कामकाज में पीआरआइ एवं एसएमसी के प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में तंत्र बनाना • स्कूलों में बढ़ी हुई उपस्थिति सुनिश्चित कराने वाले एसएमसी को प्रोत्साहित करना • बेहतर काम करने वाले एसएमसी के लिए पुरस्कार शुरू करना	विगत में अधिकारों के हस्तांतर ा को लेकर उभरी अस्पष्टता को देखते हुए स्कूलों के मामले में पीआरआइ के अधिकारों का पुनःसत्यपान मददगार साबित होगा	पीआरआइ के अधिकारों के बारे में अधिसूचना का पुनःसत्यापन ।	जुलाई–दिसंबर 2017
योजना एवं विकास, ग्रामीण विकास	· भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार बैंकों द्वारा दिये गये कर्ज की मॉनिटरिंग करना डीएलबीसी करेगी। इसके अलावा बिहार साहूकार (लेनदेन का नियमन) अधिनियम 1938 के मानकों के अनुसार नकद–जमा अनुपात सुनिश्चित करना तथा प्राथमिक क्षेत्रों को कर्ज देने के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दायित्वों को पूरा कराना · जीविका जैसे कार्यक्रमो से जुड़कर वंचित परिवारों के	विशेष उद्देश्य वाले वाहनों की व्यवस्था ट्रैकिंग तथा कपटी महाजी के प्रचलन को पकड़ने के लिए किया जा सकता है ;जीविका जैसे कार्यक्रमों की पहुंच का विस्तार करना	सार्वजनिक क्षेत्र के एवं सहकारिता बैंकों के नकद–जमा अनुपात में सुधार ।	2017 में शुरू हो सकती है

	वित्तीय समावेशन में तेजी लाना			

बच्चों एवं बाल मजदूरों की ट्रैकिंग

समाज से बाल श्रम की समस्या को खत्म करने के लिए रोकथाम के साथ–साथ बाल मजदूरों का पुनःएकीकर ा समान रूप से महत्वपूर्णहै। बच्चों को बाल श्रम के जाल में फंसने से रोकने के लिए उनकी ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग के मजबूत एवं कुशल तंत्र की जरूरत है। पंचायती राज संस्थाओं, बाल संरक्षण समितियों, विद्यालय प्रबंधन समितियों तथा सामुदायिक नेतृत्व वाली ग्राम पचायत, ग्रामस्तर पर गठित अन्य समितियों को समुदाय के बच्चों की ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग में अहम भूमिका निभाने की जरूरत है। साथ ही बच्चों मामले मे हस्तक्षेप करने वाले विभाग भी अपना मॉनिटरिंग तंत्र बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल कर वे ड्रॉपआउट करने वाले बच्चों की पहचान कर सकते हैं तथा कुशलतापूर्वक उन्हें ड्रॉपआउट करने से रोक सकते हैं। अपराधियों की दोष साबित करने एवं सजा के लिए एक समर्पित टीम विकसित की जा सकता है, जिसके उदाहरण को बाल मजदूरों के नियोजन के खिलाफ अवरोधक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के क्षेत्र या कमजोर वर्ग के लोगों की घनी आबादी वाले में बस्तियों में स्थित स्कूलें कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष योजना चला सकती हैंया इसके साथ ऐसे बच्चों की सघन मॉनिटरिंग की जा सकती है। पंचायतें अपने इलाके के बच्चों की अद्यतन रिपोर्ट रख सकती हैं। इसके अलावा इलाके से लंबे समय के लिए बाहर जाने वाले बच्चों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पंजीकरण का अधिकार वार्ड सदस्यों तथा ग्राम पंचायतों की सामाजिक कल्याण समितियों को दिया जा सकता है तथा बच्चों की ट्रैकिंग पंचायती राज विभाग कर सकती है।

नीचे के तालिका 6.3 में बच्चों, विशेषकर असुरक्षित आबादी की ट्रैकिंग के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों का उललेख है।

6.3 बच्चों / बाल मजदूरों की ट्रैकिंग				
विभाग / एजेंसियां	**अपेक्षित कार्रवाई**	**प्रासंगिक विवर ा**	**उपलब्धि का आकलन**	**समय–सीमा**
शिक्षा, श्रम संसाधन विभाग	बड़े पैमाने पर प्रवासियों / बेघरों वाले इलाको की पहचान की पहचान की रूपरेखा तैयार करना तथा ट्रैकिंग एवं संभावित ड्रॉप आउट को रोकने के लिए सीआरसी के स्तर पर विशिष्ट कोषांग बनाना। बाल मजदूरों की बड़ी संख्या वाले इलाकों में आश्रय गृहों एवं आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाना।	बच्चों के लिए प्रतिधार ा केंद्र या आश्रय गृह चलाने वाले सिविल सोसायटी संगठनों के अनुभवों का इस्तेमाल किया जा सकता है।	आश्रय गृहों में रखे गए पहचाने गए कमजोर वंचित छात्रों के अनुपात पर रिपोर्ट।	जुलाई 2017– दिसंबर 2018
पंचायती राज विभाग	' बाल श्रम मुक्त गांव ' बनाने के लिए समुदायनीत हस्तक्षेपों की अहम जरूरत पर जोर देते हुए संचार अभियान। सभी बच्चों के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल माहौल बनाने में समुदाय की भूमिका बताने वाले तर्कों की पहचान एवं उसे बढ़ावा देना गांव में रह रहे सभी बाल मजदूरों का पंजीकरण उनके अता–पता के साथ सुनिश्चित करना ।	आसपास के इलाके से सफलता की कहानियां जानी जा सकती हैं और उन्हें समुदाय के नेताओं को बताया जा सकता है।	बाल श्रम मुक्त गावों की पहचान की शुरुआत तथा निर्धारित समय सीमा के अंदर इनकी पहचान।	2018– 2020
पंचायती राज	गांव के सभी बच्चों को कवर करते हुए ट्रैकिंग रजिस्टर	रजिस्टर में बच्चे का नाम, गंतव्य स्थान का विवर ा तथा साथ जाने	अता पता के साथ मालूम	जुलाई 2017–

संस्था	बनाना, विशेष किशोर पुलिस यूनिट से जोड़कर गांव में निगरानी का तंत्र शुरू करना ।	वाले व्यक्ति संपर्क विवर ा दर्ज किया जाना चाहिए	किये गये बच्चों का अनुपात	दिसंबर 2018
एससी एसटी कल्या ा, अल्पसंख्यक कल्या ा, बीसी, इबीसी कल्याण विभाग	महत्वपूर्णयोजनाओं की पहुंच, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, मुस्लिम, अति पिछड़ा समुदाय के बीच, की ट्रैकिंग करना ।	योजनाएं किस तरह चल रही है इस पर नजर रखने के लिए फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं एवं संस्थाओं, जैसे विकास मित्र एवं तालिमी मरकाज को अधिकार दिया जा सकता है।	एससी, एसटी, इबीसी तथा मुस्लिम समुदाय के कमजोर परिवारों के वंचना पर रिपोर्ट	जुलाई 2017 से शुरू की जा सकती है

मॉनिटरिंग एवं निगरानी

बाल संरक्षण समिति जैसे समूहों द्वारा संचालित सख्त मॉनिटरिंग एवं निगरानी तंत्र समुदाय के स्तर पर स्थापित की जानी चाहिए। मॉनिटरिंग का मकसद सभी आवश्यक सेवाओं की पहचान तथा बेहतर उपलब्धि को बढ़ावा देना, बच्चों को बाल मजदूर बनने से रोकना, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे स्कूल जायें तथा यथासंभव बाल श्रम मुक्त जगह बनाने की कोशिश करना होना चाहिए। असुरक्षित परिवारों पर नजर रखने के लिए गांव के सभी परिवारों का विस्तृत डाटा ग्रामपंचायत सतर पर रखा जाना चाहिए।

तालिका 6.4 मॉनिटरिंग एवं निगरानी

विभाग / एजेंसियां	अपेक्षित कार्रवाई	प्रासंगिक विवर ा	उपलब्धि का आकलन	समय–सीमा
विद्यालय प्रबंधन समिति, बाल संरक्षण समिति	स्कूल के बाहर के बच्चों की पहचान करना, उनके अभिभावकों तक पहुंचना, उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी करना तथा मनरेगा जैसी योजनाओं का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए पंचायत के साथ जुड़ाव बनाना। स्कूलों में अप्रिय अनुभवों को रिकार्ड करने का तंत्र बनाना	स्थानीय अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले छात्रों के रिकार्ड में बाल मजदूरों का डाटा शामिल करने को कहना एसएमसी या सीपीसी स्कूलों की अप्रिय घटनाओं को रिकार्ड करने का तंत्र एसएमसी, एजेंसी , और एफएलडब्लू की मदद से शुरू कर सकती है। साथ ही एक हेल्पलाइन शुरू किया जाना चाहिए ।	प्रत्येक स्कूल के प्रभाव क्षेत्र में बाल श्रम में लगे बच्चों की संख्या (परिवर्तन) की सूची बनी । बाल श्रम के उन्मूलन तथा स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढाने में एसएमसी सफल पाये गये । ऐसे तंत्र द्वारारिपोर्ट तैयार की गई ।	अक्तूबर 2017– दिसंबर 2018
शिक्षा विभाग	शिक्षकों से बेहतर काम लेने के लिए पीआरआइ / एसएमसी को अधिकार देने के संबंध में प्रशासनिक नियंत्रण के विकेंद्रीकृत तंत्र की स्थापना की अधिसूचना	अधिकार हस्तांतरित करने के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा पहले की गई कार्रवाइयों का पुनःसत्यापन एवं उन्हें फिर से शुरू करने की जरूरत (जैसे पत्रांक 8/*wa*3-431/ 95/ 1662/P A, दिनांक 29.04.2001, पत्रांक11/*wa*1-54/2001/ 986/[illegible]du, दिनांक25.09.2001; पत्रांक13/*Sa* 01/2001/ 2383 दिनांक 25.9.2001)	ऐसे तंत्र के इस्तेमाल के प्रभाव पर रिपोर्ट	अक्तूबर 2017– दिसंबर 2018
शिक्षा विभाग	पूरे राज्य में नियमित आधार पर सीखने का आकालन करने के लिए उपयुक्त एजेंसी की पहचान एवं उसे काम सौंपना	स्कूलों में बेहतर काम दर्ज कराने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए	आकलन रिपोर्ट का आवधिक प्रकाशन	जुलाई 2017 से शुरू की जा सकती है
श्रम संसाधन विभाग, उद्योग संघ	नियोजकों द्वारा अनिवार्य रूप से कामगारों के जीवनवृत की घोष ाा कराने की संकल्पना करना इसके लिए तंत्र शुरू करना	ऐसे तंत्र के द्वारा बनायी गयी रिपोर्ट घोष ाा में कामगारों के जीवनवृत में उनकी आयु का उल्लेख रहेगा । साथ ही अगर कामगार नाबालिग है तो नियोजकों को वचन देना होगा कि उसे काम नहीं करने की सलाह दी जा चुकी है		अक्तूबर 2017– दिसंबर 2018
योजना विभाग	पंचायतों एवं गांवों के स्तरीकर	गांव विकास सूचकांक की संकल्पना	बिहार के गावों की	जुलाई 2017 से

	ा का तंत्र बनाना निम्नस्तर के गांवों के विकास के लिए योजना बनाना	की जा सकती है (जैसे गधई कमेटी की भारत के जिलों के स्तरीकर ा की तर्ज पर)	स्तरीकृत सूची का प्रकाशन	शुरू की जा सकती है
पंचायती राज विभाग	गांवों में असुरक्षित परिवारों की पहचान तथा उन्हें अपने बच्चों को काम पर नहीं भेजने के लिए मनाने का सक्रिय प्रयास	बालश्रम मुक्त पंचायतों/गांवों के लिए पुरस्कार शुरू की जा सकती है	बिहार के गावों की स्तरीकृत सूची का प्रकाशन	अक्तूबर 2017– दिसंबर 2018
शिक्षा विभाग	स्कूलों की स्थापना में मानकों के उल्लंघन का पता करना, विशेषकर असुरक्षित समुदाय की घनी आबादी वाले इलाकों में तथा इसे ठीक करना	स्कूलों की उपलब्धता तथा असुरक्षित समुदायों के संकेंद्र ा से संबंधित डाटा का जीआइएस मैपिंग यू–डीआइएसइ जैसे के इस्तेमाल में सहायक हो सकता है	असुरक्षित समुदाय की घनी आबादी वाले इलाकों के लिए स्कूलों की दूरी से संबंधित कमियों की रिपोर्ट	अक्तूबर 2017– दिसंबर 2018
आईटी विभाग	प्रासंगिक स्रोतों को समाकलित कर व्यापक डाटाबेस बनाना, इसका विश्लेष ा करना तथा बाल मजदूरी की व्यापकता के बारे में परिष्कृत डाटा सर्जिकल स्ट्राइक के लिए उपलब्ध कराना	विभिन्न स्रोतों से प्राप्त स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों , आइसीडीएस, एसइसीसी, बाल श्रम मजदूरी/बंधुआ मजदूरी की व्यापकता तथा आबादी से संबंधित डाटाबेस को समाकलित किया जा सकता है	प्रभावित कर सकने वाले प्रासंगिक चीजों का व्यापक डाटाबेस तैयार करना	अक्तूबर 2017– दिसंबर 2018
पुलिस विभाग	पुलिसकर्मियों का सघन प्रशिक्षण कराना तथा कार्यस्थल के विवेकहीन एजेंटों को पकड़ने के लिए प्रत्येक प्रखंड में निगरानी तंत्र स्थापित करना	बिहार पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी के पाठ्यक्रम में जोड़ा जा सकता है	ऐसा तंत्र शुरू करने की अधिसूचना	जुलाई 2017 से शुरू की जा सकती है

सिविल सोसायटी संगठनों, अभियानों एवं अन्य हितधारों के साथ साझेदारी

विभिन्न सिविल सोसायटी संगठनों, अभियानों, मीडिया हाऊसों तथा बाल श्रम के मुद्दे से जुड़े अन्य संस्थाओं के अनुभवों की अधिकता को देखते हुए इन संस्थाओं के साथ साझेदारी के लिए कार्रवाई की एक आवश्यक धारा बनाने की आवश्यकता होगी।

तालिका 6.5 साझेददारी सक्रिय करना

विभाग/ एजेंसियां	अपेक्षित कार्रवाई	प्रासंगिक विवर ा	उपलब्धि का आकलन	समय–सीमा
श्रम संसाधन विभाग	बाल श्रम पर रोक के लिए सीएसओ तथा अन्य संस्थाओं के ज्ञात हस्तक्षेपों में से सर्वरेष्ठ हस्तक्षेपों को अपनाना तथा उसे और आगे बढ़ाना	श्रम संसाधन विभाग बाल श्रम के मुद्दे पर काम करने वाली विभिन्न एजेंसियों का एक फोरम बना सकता है और यह फोरम एसबीसी रणनीति को लागू करने की प्रक्रिया में सहभागी हो सकता है	सरकारी अधिकारियों एवं सिविल सोसायटी संगठनों के फोरम का गठन	2017 से शुरू की जा सकती है

7 उपसंहार और आगे का रास्ता

रणनीति तैयार की प्रक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न हितधारकों के विश्लेष ा से स्पष्ट है कि बिहार से बाल श्रम खत्म करने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे विभिन्न हितधारकों की ओर से ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। मोटे तौर पर, स्कूल स्तर की प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं से जुड़कर यथासंभव अधिक से अधिक स्कूल से बाहर के बच्चों को स्कूल में वापस लाने के प्रयास पर फोकस देना होगा। बच्चों की स्कूली शिक्षा का मुख्य जोर प्रारंभिक स्तर को पार कराने का होना चाहिए और अधिक से अधिक बच्चों में उच्चतर शिक्षा की लालसा पैदा करनी चाहिए। यह काम अनुकूल सामाजिक एवं प्रणालीगत सुधार समेत विवाह की आयु में विलंब कराने की रणनीति एवं बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य की मांग के इर्दगिर्द विचार–विमर्श की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की मदद से की जा सकती है। चित्र 7.1 में इस संबंध में किए जाने वाले व्यापक हस्तक्षेपों का सार प्रस्तुत किया गया है। इन हस्तक्षेपों में मुख्य रूप से स्कूलस्तर की प्रक्रियाओं में सुधार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का हस्तक्षेप, आदयेता का बेहतर वितर ा, समुदाय के नेताओं एवं अभिभावको से संवाद, **बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986** का सख्ती से पालन, मुक्त कराए गए बाल मजदूरों का प्रभावी पुनःएकीकर ा, तथा बच्चों, विशेषकर किशोरों के जीवन में उच्चस्तर की उपलब्धि के महत्व को बढावा देने के लिए नियोजन लायक कौशल और क्षमताओं को प्राप्त करने के अवसरों तक व्यवस्थाओं की मदद से की पहुंच सुनिश्चित कराने के अहम महत्व पर फोकस किया गया है।

चित्र 7.1 बाल श्रम से निपटने के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों का सार

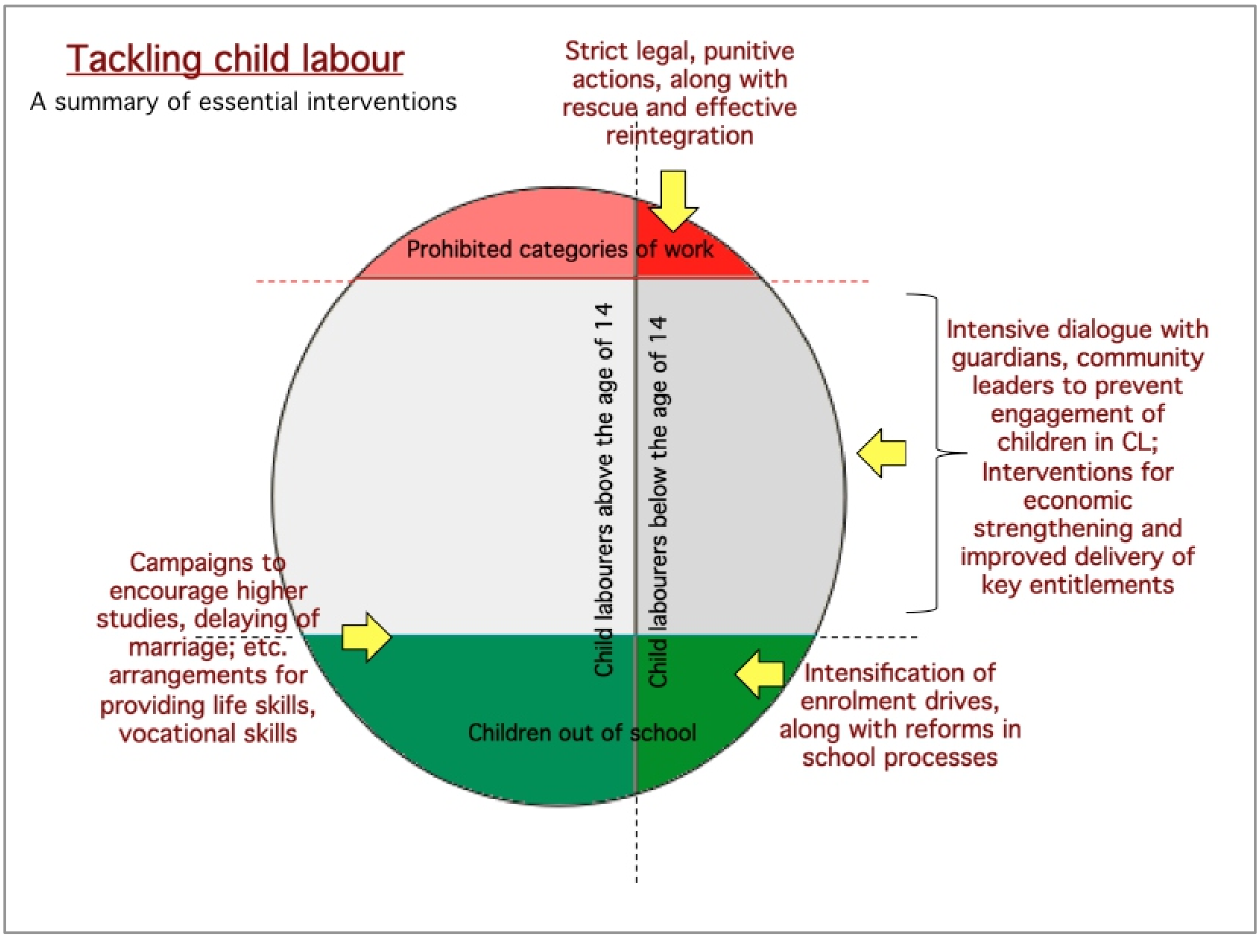

प्रासंगिक सरकारी विभागों के बीच संमिलन एवं तालमेल स्थापित करना

बाल श्रम की विविधताओं को देखते हुए कई सरकारी विभागों एवं एजेंसियों की ओर से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू करने की जरूरत ह, जो उच्चतम क्षमता वाली समन्वय व्यवस्था की मांग करती है। अंतर विभागीय संमिलन एवं समन्वय के जरिये रणनीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने क लिए उच्चस्तरोय कार्यदल बनाने की जरूरत है। विशेष रूप से श्रम संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, गृह विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचितजनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग –अति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अलावा अन्य विभागों के बीच इस अंतर विभागीय संमिलन एवं समन्वय की जरूरत है। श्रम संसाधन विभाग रणनीति कार्यान्वयन प्रक्रिया के संचालन के लिए नोडल संगठन के तौर पर काम कर सकता है। कार्यदल को विशेष रूप से बिहार बाल श्रम उन्मूलन कार्य योजना के कार्यान्वयन का अधिकार दिया जाना चाहिए और बिहार के विकास आयुक्त इस टास्क फोर्स के प्रधान हो सकते हैं।

अध्याय 5 में पहले की गई चर्चा के अनुसार रणनीति के माध्यम से जिन विशेष कार्यों पर बल देने की जरूरत है वे निम्न हैं:

- बाल श्रम से निपटने के लिए अंतर–विभागीय समन्वय;
- बाल मजदूरों की तलाश, मुक्ति एवं पुनर्वास;
- जनसंचार के तर्कसंगत विकल्प , विशेषकर अभिभावकों, बच्चों एवं बड़े पैमाने पर समाज को लक्षित;
- स्कूलस्तर के प्रक्रियाओं की जीवंतता बढ़ाना;
- रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा की महत्वपूर्णयोजना से वंचना को दूर करना;
- कर्जदारों के अनुकूल शर्तों पर कर्ज की सुलभता बेहतर बनाना; और
- बाल श्रम उन्मूलन के लिए सिविल सोसायटी संगठनो एवं अभियानों के अलावा अन्य संस्थाओं के साथ साझेदारी

पिछले अध्याय में प्रस्तावित कार्यों और प्रतिबंधों की तर्ज पर बाल श्रम से निपटने के लिए एक बहु–एजेंसीय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्णप्रमुख योजनाओं के लिए मौजूदा बजटीय आवंटन से अधिक सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझपड़ने की संभावना है , क्योकि प्रस्तावित अधिकांश कार्रवाइयां विभिन्न विभागों के आदेशों के अनुरूप हैं। बिहार सरकार की योजना के कई बजट मद प्रत्यक्ष तौर पर बाल श्रम के उन्मूलन से जुड़े हुए हैं और उनके लिए पर्याप्त धनराशि आवटित की गई है।

बाल श्रम उन्मूलन के लिए सामाजिक एवं व्यावहारगत बदलावों के लिए उभरती रणनीति को माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में से एक निश्चय **आर्थिक हल, युवाओं को बल** को हासिल करने के एक महत्वपूर्णअंग के रूप में देखा जा सकता हैक्योंकि आज के किशोरों के लिए सुरक्षित एवं उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कराना राज्य में सशक्त युवाओं के उदभव का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सर्वोत्तम निवेश होगा।

प्राथमिक हितधारकों, विशेषकर बच्चों के साथ आवश्यक जुड़ाव

प्राथमिक हितधारकों के स्तर पर किसी भी पहल में बच्चों को सुधार की प्रक्रियाओं के सक्रिय पक्षधर के रूप में देखने की जरूरत है। संभवतः मुक्त कराए गए बच्चों को बाल संरक्षण समितियों के काम के तरीके में सन्निहित सहकर्मी नेतृत्व की भूमिका सौंप कर ऐसा किया जा सकता है। प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक संवाद को शामिल करते हुए सघन क्षेत्र आधारित दृष्टिको ा, तथा बच्चों की सघन ट्रैकिंग के आधार पर बाल श्रम के हर उदाहरण ों पर ध्यान देना काफी मददगार होगा, जैसा कि एमवी फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के अनुभवो से दिखता है। बिहार में कार्यरत सिविल सोसायटी संगठनों का अनुभव सीबीओ नीत बदलाव प्रक्रियाओं की उच्च प्रभावोत्पादकता के बारे में बताता है। बच्चे जब संस्थागत ढांचे में आ जाते हैं जो उनके साथ जुड़ने की प्रक्रिया अभिनव , जीवन कौशल उन्मुख संवाद पर आधारित होनी चाहिए जिनकी क्षमता का पता प्रतिधारक केंद्रों, विशेष ज्ञान केंद्रों, ज्ञानशालाओं, आवासीय ब्रिज कोर्स, रेनबो होम्स की पहलों में लगता है। इन पहलों में दुनिया के बार में बच्चों की समझ को प्रभावित किया जाता है और आवश्यक सेवाओं से वंचना को हल करने में ये प्रभावी भूमिका निभाते हैं ।

सिविल सोसायटी संगठनों, अभियानों तथा अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी सक्रिय करना

बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अनुभवी सिविल सोसायटी संगठनों एवं अभियानों के अलावा अन्य के साथ साझेदारी की विस्तृत श्रृंखला की जरूरत होगी । इसके लिए नेटवर्किंग की पहल को मीडिया, धार्मिक संगठनों, आस्था से जुड़े नेताओं, वकीलों, अखबारों, व्यापार घरानों आदि समेत हर संभावित हितधारक तक सक्रिय रूप से पहुंच बनानी होगो। बॉक्स 7.2 में बाल श्रम को कम करने में योगदान के लिए सिविल सोसायटी संगठनों की प्रमुख भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है। इन भूमिकाओं की पहचान सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा उनके साथ हुए विमर्श के दौरान की गई है।

बॉक्स 7.2 बाल श्रम को कम करने में सिविल सोसायटी के संगठनों की संभावित भूमिका

- विभिन्न स्तरों पर जागरूकता अभियान चलाना
- बाल संरक्षण समितियों एवं विद्यालय प्रबंधन समितियों के गठन एवं उन्हें मजबूत बनाने में मदद करना
- आम सभा की बैठकों में बाल श्रम पर बातचीत के लिए पंचायती राज संस्था के सदस्यों को जोड़ना
- मीना मंच, बाल संसद आदि जैसे बच्चों के फोरम के प्रशिक्षण में मदद करना तथा समूह के साथ बच्चों को जोड़ना
- बाल मजदूरों की तलाश में मदद करना
- बाल मजदूरों की मुक्ति प्रकिया एवं संभावित बाल मजदूरों की पहचान में जमीनी नेटवर्क के जरिये मदद करना
- कठिन परिस्थितियों, जैसे आपदाओं के दौरान में शोषण की घटनाओं पर नजर रखना
- आदर्श 'बाल श्रम मुक्त प्रखंड' एवं आश्रय गृह बनाना
- समेकित बाल संरक्षण योजना जैसी योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं कार्यान्वयन में सहयोग करना
- मांग एवं सेवाओं की मांग एवं इस्तेमाल के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद करना

संचार रणनीति के निहितार्थ

एसबीसी की एक प्रमुख अनिवार्यता प्राथमिक एवं द्वितीयक हितधारकों तक पहुंच बनाने के लिए एक विस्तृत संचार योजना बनाने की होगी । विवरा त्मक या उपदेशात्मक पंक्तियों के बजाए गरिमा, अधिकार तथा दर्शकों के तर्कसंगत लाभ के अलावा बाल मजदूरी अपनाने के खतरों पर फोकस करती समानुभूतिपूर्ण संदेश मददगार हो सकते हैं। संदेशों एवं संचार सामग्रियों को तैयार करने की प्रक्रिया को यथासंभव दर्शक केंद्रित होने की जरूरत है। यह प्रक्रिया परस्पर संवादात्मक के साथ–साथ स्थिर माध्यमों के संयोजन के इस्तेमाल पर आधारित होगी। बॉक्स 7.3 में बाल श्रम के खिलाफ बीबीसी मीडिया एक्शन तथायूनीसेफ–टाइम्स ऑफ इंडिया अभियान की सचार रणनीति के प्रमुख तत्वों को रेखांकित किया गया है। ।

बॉक्स 7.3– बाल श्रम के खिलाफ बीबीसी मीडिया एक्शन तथा यूनीसेफ–टाइम्स ऑफ इंडिया अभियान की संचार रणनीति के प्रमुख तत्व

श्रोता गांव

श्रोता गांव ('मजबूर किसको बोला' परियोजना के तहत बीबीसी द्वारा संकल्पित) की पसंद के अनुसार संचार हस्तक्षेप संदेश/जानकारी को प्रभावी तरीके से लोगों के मुद्दों पर फोकस करते हुए तथा मनोरंजक अंदाज में लेकिन सामग्री को दर्शक/श्रोता पर केंद्रित रखते हुए पहुंचाने का काम कर सकता है। रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला समूह की सेटिंग में किए गए और कार्यक्रम के बाद विचार–विमर्श हुआ। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता ने इन विचार–विमर्श का संचालन किया। इसने जानकारियों के आदान–प्रदान की दोतरफा प्रक्रिया बनाई। इस तरह के हस्तक्षेप की ताकत यह है कि आगे की कड़ी के विषय का चयन श्रोताओं/दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर उनसे बातचीत कर किया जाता है । उनके लिए एक फोरम बनाया गया जहां वे मिस कॉल कर अपने मुद्दों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। साथ एक माध्यम के तौर पर रेडियो का लागत कम होता है आर इसकी पहुंच आमजन तक होती है। समूह की सेटिंग में श्रोता एक दूसरे से अलग–थलग नहीं रहता । इस कारण सामूहिक कार्रवाई की संभावना अधिक होती है और समूह समय–समय पर कार्रवाई की प्रगति की मॉनिटरिंग कर सकता है।

शिकायतों के सामूहिक निष्पादन का मंच

जनसुनवाई जैसा मंच आयोजित करना एक प्रभावी तरीका होगा। इसमें अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी एकत्र हो सकते ह और जनता अपनी शिकायतें उनके सामने रख सकती है । उदाहरण रूवरूप, बीबीसी मीडिया एक्शन ने ' मजबूर किसको बोला 'प्रोजेक्ट के तहत जनता और अधिकारियों के बातचीत कराने के लिए 'श्रोता संवाद 'आयोजित किया। और यह एक सफल हसतक्षेप रहा क्योंकि कई बार लोगों की शिकायतें उसी स्थान पर दूर कर दी गईं। इसने व्यवस्था की ओर से अपनी जवाबदेहियां प्रभावी तरीके से पूरी करने के लिए अधिक जवाबदेही भो सुनिश्चित कराया।

मीडिया के माध्यम से सृजनात्मक अपील तथा स्व–सत्यापन के लिए प्रोत्साहन

टोकेंगे, रोकेंगे, बदलेंगे, यूनीसेफ एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के इस अभियान में अखबारों एवं सोशल मीडिया का इस्तेमाल व्यापक अपील के लिए मंच के तौर पर किया। इस अभियान में लोगों को जागरूक बनाने के लिए सृजनात्मक उक्तियां, कठोर आंकड़ों तथा भावनात्मक संदेशों के साथ पोस्टर एवं स्टीकर का इस्तेमाल किया गया। इसमें बच्चों के जीवन में बदलाव लाने के लिए छात्रों, नागरिक समूहों, वकीलों, सिविल सोसायटी तथा जनमत बनाने वाले अन्य लोगों समेत विभिन्न तरह के हितधारकों को शामिल किया गया।

साथ ही लोगों एवं उद्योगों को खुद यह सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित करना कि वे बाल श्रम मुक्त हैं, एक अनोखा ख्याल है जिसका इस्तेमाल ***टोकेंगे, रोकेंगे, बदलेंगे***, (बाल श्रम मुक्त घर/ दुकान/ वाहन का प्रदर्शन पट्ट लगाना) पटाखो पर '**कोई बाल मजदूर नहीं लगाया गया है'** ' का स्टीकर लगवाकर बाल श्रम के वियद्ध अभियान चलाया गया। ।

बॉक्स 7.4 में '**बदलाव के रास्ते**' का सांचा प्रस्तुत किया गया है। इसमें बाल श्रम के मुद्दे से निपटने के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों , विशेषकर संचार से संबंधित विवर ा गया है।

बॉक्स 7.4–बदलाव के रास्ते : बाल श्रम रोकने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप

रणनीति के कार्यान्वयन का क्रमविकास

विमर्श से तैयार हुई एसबीसी रणनीति कोकार्रवाई की चार प्रमुख श्रे ाियों पर फोकस करते हुए अलग–अलग समयसीमा में चार वर्षों में कार्यान्वित किया जा सकता है। रणनीति के कार्यान्वयन की शुरुआत में बाल श्रम के विभिन्न स्वरूपों, कारण ों, एवं अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक व्यापक राज्य–दर–राज्यव्यापी आधारभूत अध्ययन पर जोर दिया जा सकता है और इसे आवधिक आधार पर मॉनिटर करने की जरूरत भी पड़ेगी। जागरूकता पैदा करने का अधिकांश काम स्कूल स्तर की प्रक्रियाओं में सुधार, महत्वपूर्णसेवाओं एवं अधिकारिता के वितर ा में सुधार और बाल मजदूरों की तलाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्रवाइयों के बाद शुरू की जा सकती है। ये कार्रवाइयां 2017–18 में शुरू की गई हैं। दूसरे चर ा की रणनीति में में मॉनिटरिंग एवं निगरानी के तंत्र को मजबूत बनाने के साथ संचार अभियान पर फोकस किया जा सकता है। बॉक्स 7.4 में रणनीति के कार्यान्वयन की समय–योजना का सार प्रस्तुत किया गया है।

बॉक्स 7.4 रणनीति के कार्यान्वयन का क्रमविकाश

एसबीसी रणनीति के अंग के रूप में शुरु की जाने वाली मुख्य कार्रवाइयां	कार्यान्वयन का क्रमविकाश						
	चर ा 1				चर ा 2		
	2017				2018	2019	2020
	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही			
एसबीसी कार्यक्रम तय करने की ओर							
एसबीसी रणनीति के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए उच्चस्तरीय टास्कफोर्स का गठन ।							
बाल श्रम के विभिन्न स्वरूपों, कारण ों, स्थानों एवं अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए राज्यव्यापी प्रारंभिक आधारभूत अध्ययन ।							
एसबीसी कार्यक्रम के माध्यम से लक्ष्य एवं प्रभाव के विशेष माप का निर्धार ा ।							
व्यापक एसबीसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मदद के लिए सीएसए, अभियानों तथा दूसरे हितधारकों के साथ साझदारी को सक्रिय करना ।							
महत्वपूर्णयोजनाओं एवं सेवाओं के कुशल वितर ा से संबंधित							
शिक्षण शैली को अधिक मनोरंजक बनाने के लिए खेलों एवं शिक्षकों द्वारा अपनायी जा सकने वाली विधियों के संकलन का संकल्पन एवं प्रकाशन; ऐसी विधियों के बारे में प्रशिक्षण का प्रावधान।							
सभी कल्याण योजनाओं एवं सेवाओं के सभी योग्य दावेदारों को संतृप्त करने के लिए वंचना की रिपोर्ट तैयार करने तथा पर्याप्त बजटीय संसाधन आवंटित करने के लिए योजना की अधिकारिता आधारित तरीका अपनाना।							
वीएचएसएनडी एवं किशोरी सम्मोह जैसे मंचों को सक्रिय करना; अर्श क्लीनिक जैसी संस्थाओं की उपलब्धता बढ़ाना। किशोरों तक एसआरएचआर एवं जीवन कौशल की पहुंच बढ़ाना ।							
व्यापक विमर्श के आधार पर आदर्श कार्य प्रणाली तैयार करना तथा इसके कार्यान्वयन के लिए फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना।							
आदर्श तरीकों की तर्ज पर आश्रय गृहों की व्यवस्थाओं एवं तरीकों का मानकीकर ा करना। आश्रय गृहों की व्यवस्था को देखने के लिए आदर्श दिशानिर्देश तैयार करना।							
14 वर्ष से अधिक आयु वाले मुक्त कराए गए बाल मजदूरों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना ;अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए नियोजनालयों की स्थापना करना।							

स्कूलों के प्रबंधन में पीआरआइ के अधिकारों के संबंध में अधिसूचना जारी करना। उच्च उपलब्धि वाले एसएमसी के लिए पुरस्कार शुरू करना।							
भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज की मॉनिटरिंग डीएलबीसी करेगी। जिन परिवारों को कर्ज की सुविधा नहीं मिली है, उनका वित्तीय समावेशन तेज करना।							
स्कूलों में बेहतर उपस्थिति सुनिश्चित कराने वाले एसएमसी को प्रोत्साहित करना। एसएमसी सदस्यों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण में बाल मजदूरी का रोकने में उनकी भूमिका पर स्पष्ट रूप से जोर देना। उच्च उपलब्धि वाले एसएमसी के लिए पुरस्कार शुरू करना।							
[illegible] मुक्त स्थानों/उद्यमों की पहचान/सम्मान; बाल श्रम मुक्त स्थानों/उद्यमों के सत्यापन/स्व–सत्यापन के लिए तंत्र बनाना तथा इसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना।							
बच्चों/बाल मजदूरों की तलाश से संबंधित							
किसी अप्रिय घटना को रिकार्ड कैसे कराया जाएगा, इसके तरीकों को अधिसूचित करना और उसके अनुसार काम करना, तथा ऐसी व्यवस्था शुरू किए जाने के बारे में लोगों को जानकारी देना।							
सीआरसी के अंतर्गत ऐसे कोषांगों की स्थापना के बारे में तरीका तय करना। बाल मजदूरों वाले इलाकों में आश्रय गृहों एवं आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाना।							
समुदायनीत हस्तक्षेपों की अहम जरूरत से लोगों को अवगत कराने के लिए संचार अभियान चलाना। सभी बच्चों के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल माहौल बनाने में समुदाय की भूमिका के बारे में तर्क बनाना तथा उसे बढ़ावा देना ; गांव के सभी बाल मजदूरों की पंजीकरण उनके अता–पता के साथ सुनिश्चित करना।							
गांव के सभी बच्चों को कवर करते हुए ट्रैकिंग रजिस्टर शुरू करना। एसजेपीयू के साथ जोड़कर गांव में निगरानी का तंत्र शुरू करना।							
विशेष रूप से अनुसूचित जाति, मुस्लिम एवं अति पिछड़ा वर्ग समुदायों में महत्वपूर्णयोजनाओं की पहुंच की ट्रैकिंग करना।							
मॉनिटरिंग एवं निगरानी से संबंधित							
स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान करना, उनके अभिभावकों के पास जाना , उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी कराना तथा मनरेगा जैसी योजनाओं के लाभ की पहुंच बढ़ाने के लिए पंचायत के साथ मिलकर काम करना।							
शिक्षकों को बेहतर काम के लिए बाध्य करने का अधिकार पीआरआइ/एसएमसी को देने के लिए उनके प्रशासनिक नियंत्रण को बढ़ाने के लिए विकेंद्रीकृत तंत्र की स्थापना अधिसूचित करना।							
पूरे राज्य में नियमित रूप से बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए उपयुक्त ऐंसी की पहचान करना तथा उनकी सेवा बहाल करना।							
नियोजकों द्वारा कामगारों के जीवन वृत की घोष ा अनिवार्य रूप से कराने के लिए तंत्र की संकल्पना करना तथा इसे शुरू करना।							
गांवों एवं पंचायतों के स्तरीकर ा का तंत्र बनाना। निम्नस्तर वाले गांवों के विकास की योजना बनाना।							
गांव के असुरक्षित कमजोर परिवारों की पहचान करना तथा उन्हें अपने बच्चों को काम पर नहीं भेजने के लिए समझाना–बुझाना।							
स्कूलों की स्थापना में , विशेषकर असुरक्षित समुदायों के संकेंद्र ा वाले इलाकों में, मानकों के उल्लंघन का पता करना और उन्हें हल करना।							
प्रासंगिक स्रोतों का एकीकर ा कर विस्तृत डाटाबेस तैयार करना, उनका विश्लेष ा करना तथा बाल मजदूरी की व्यापकता एवं प्रवृति के बारे में परिष्कृत डाटा को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए उपलब्ध कराना।							
पुलिसकर्मियों का सघन प्रशिक्षण कराना तथा कायस्थल के संदिग्ध एजेंटों को पकड़ने के लिए प्रत्येक प्रखंड में तंत्र बनाना।							

जागरूकता सृजन से संबंधित							
गरीबी से बाहर आने के लिए एक सशक्त माध्यम के तौर पर शिक्षा की ताकत पर जोर देते हुए मजबूत तर्क तैयार करना तथा उसे जनता तक ले जाना। शिक्षा की मदद से कामयाब होने वालों की प्रेरक कहानी एकत्र करना तथा उसके आधार पर संचार अभियान चलाना।							
किशोरावस्था से संबंधित असुरक्षाओं पर फोकस करते हुए संचार अभियान का संचार कार्य योजना बनाना तथा उसे लागू करना।							
बाल मजदूरों को कार्यस्थल पर जिन प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता है उसे बताते हुए संचार सामग्री तैयार करना तथा उसे बाल संसद, मीना मंच आदि जैसी संस्थाओं के माध्यम से प्रसारित करना।							
अपरिपक्व उम्र में पलायन के नुकसानों और वयस्कता हासिल करने के पहले स्व–विकास में निवेश के फायदों को बताते हुए उपयुक्त संचार रणनीति बनाना तथा उसे आगे बढ़ाना							
कम आयु में विवाह नहीं करने तथा इसके नुकसान पर फोकस करते हुए संचार अभियान चलाना। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए इस मसले पर संवाद का मंच बनाना।							

परिशिष्ट 1– बाल श्रम उन्मूलन के लिए एसबीसी रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर किए गए विभिन्न विचार–विमर्शों के प्रतिभागगियों की सूची

22 अक्तूबर 2016 को संपन्न राज्यस्तरीय विचार–विमर्श

अभय कुमार, प्रैक्सिस
अब्राहम डेनिसन, जस्टिस एंड केयर
अमिताभ पांडे, यूनीसेफ
अनिल कुमार शर्मा, एलएस, मुजफ्फरपुर
अनिंदो बनर्जी, प्रैक्सिस
अरू ा कुमार कुमारद्व एलइओ, समसतीपुर
अशोक कुमार , उप निबंधक, एलआरडी
अजीमुल्ला अंसारी, ओएसडी, एमडब्लूडी
बासु मित्रा, पत्रकार
बिक्रम कुमार बैद्य, एलइओ, कटिहार
विनोद कुमार प्रसाद, एलइओ समस्तीपुर
विनोद शर्मा, टाइम्स ऑफ इंडिया
दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग
देवेंद्र प्रसाद, एलइओ, नवादा
धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, बीइपीसी, पटना
दिव्यांदु, टाइम्स ऑफ इंडिया
डा. आनंद, श्रम उपायुक्त
डा. बीरेंद्र, श्रम उपायुक्त
डा. शरद कुमारी, एक्शन एड
ग ोश प्रसाद, एलएस, वैशाली
गोपाल मी ाा, श्रम आयुक्त, बिहार
गोविंद, एएलसी, श्रम संसाधन विभाग
हाफिर अली, एलइओ, मोतिहारी
हेमंत श्रीवास्तव , हिंदुस्तान
हिमांशु, बचपन बचाओ आंदोलन
इंदिरा कुमारी, किशोर न्याय सदस्या, दरभंगा
मधुरिमा राज, यूनीसेफ
महेश चौधरी, बाल सखा
म ािकांत शुक्ला, सहायक, श्रम एवं संसाधन विभाग
नासिर हुसैन, उपसचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मोख्तारूल हक, बीबीए
मोना सिन्हा, यूनीसेफ
नागम ाि, आकाशवा ाी, पटना
नैंसी प्रिया, प्रक्सिस
नवलेश कु. सिंह, सीएसीएल
नीरज नाराय ा, एलएस, नालंदा
निपुर ाा गुप्ता, यूनीसेफ
ओम प्रकाश
पी. जोसेफ विक्टर राज, सीएसहएल
पी.के.शर्मा, महासचिव, सेंटर डायरेक्ट
पद्मप्रिया शास्त्री, बीबीसी मीडिया एक्शन
र पंकज, दैनिक भाष्कर
प्रभात कुमार, यूनीसेफ
प्रमोद कुमार वर्मा, एलइओ, नालंदा
प्रशांत राहुल, एलएस, कटिहार
पुष्यमित्र, प्रभात खबर
आर.पी.सिंह
रफय एजाज हुसैन, सेव द चिल्ड्रेन
राजीव रंजन, प्रथम
राजेश कुमार सिंह, एलइओ
राजेश रंजन, एलएस, गया
र ावीर रंजन, एलएस
रवींद्र नाथ राय, सीएसीएल
अृतविक सिंह, भूमिका विहार
रोहित राज सिंह, प्रधान सचिव के ओएसडी, श्रम संसाधन विभाग
रौशन प्रकाश, सीएसइआइ
सैफउर रहमान, यूनीसेफ
समीर झा, यूनीसेफ
संजय कुतार, एलइओ, हाजीपुर
शरदिंदू बनर्जी, क्रॉइ,कोलकाता
शिल्पी, प्रैक्सिस
शिल्पी सिंह, भूमिका विहार
शिवनाथ पांडे, एलएस, वैशाली
सुधीर वर्मा, बचपन अचाओ आंदोलन
सुजाता सिंह, एलएस, पटना
सौरम्य सदानंदन, प्रथम
सुरेंद्र , जवाहर ज्योति बाल विकास केंद्र
सुरेश कुमार, प्रयास
सुरेश पासवान, विशेष सचिव, अनु. जाति, अनु.जनजाति कल्या ा
टी. श्वापम, एमवी फाउंडेशन
उमेश कुमार, एलइओ, गया
वी. बहादुर,कार्यक्रम निदेशक,आरएफआइ
विजय प्रकाश, माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग
विजेता लक्ष्मी, प्रैक्सिस
विशाखा, रेनबो फाउंडेशन, इंडिया
विष ाु कुमार , बचपन बचाओ आंदोलन
विवेक कुमार, जस्टिस एंड केयर
वी. राजेंद्र प्रसाद, एमवी फाउंडेशन
यामीन मजुमदार, यूनीसेफ
जीनत कौशर, सहायक, समाज कल्याण विभाग

जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ 29 नवंबर 2016 को संपन्न विचार विमर्श

अशोक कुमार, एलइओ, फुलपरास, मधुबनी
मो. जुबैर आलम, एलइओ, झंझारपुर, मधुबनी, मधुबनी
प्रभात कुमार, एलइओ, बिहारशरीफ
कुमार प्रमोद नाराय ा सिंह, एलएस, समस्तीपुर
अनिल कु. शर्मा, एलएस, समस्तीपुर
अरू ा कुमार पासवान, एलइओ, समस्तीपुर सदर
चंद्रकिशोर सिंह, एलइओ, वजीरगंज
आर. मिश्रा, एलएस, मधुबनी
राजेंद्र कुमार, एलइओ,, पिपरी, सीतामढी
मो. साजिद, एएमडब्लूओ, सीतामढी
राजकुमार सिंह, एडीसीपी, मोतिहारी
शैलेंद्र कुमार चौधरी, एडीसीपी, जहानाबाद
कुमार आलोक रंजन,एलएस, पूर्णिया ा
अशोक कुमार, डी.डब्लूओ, मातिहारी
नीरज कुमार खन्ना, बाल संरक्षण पदाधिकारी, सीतामढी
ब्रजेश कुमार ओझा,जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर
नीरज निगम, एलएस, नालंदा
रवींद्र भूष ा, एलइओ, जहानाबाद
रामशंकर प्रसाद, एलइओ, जहानाबाद
प्रमोद कुमार वर्मा, एलइओ, अस्थावां, नालंदा
दीपक कुमार, एलइओ, नवादा
बबलू कुमार, एलइओ, नवादा
नीतेश कुमार, एलइओ,मातिहारी
राकेश रंजन, एलएस, गया

सिविल सोसायटी संगठनों के साथ 2 दिसंबर 2016 कोसंपन्न विचार–विमर्श

पवन कुमार दास, सेव द चिल्ड्रेन
सुरम्य सदानंदन, प्रथम कॉसिल फॉर वल्नरबल चिल्ड्रेन
सुधीर कुमार, प्रथम कॉसिल फॉर वल्नरबल चिल्ड्रेन
विनीत चौबे, प्लान इंडिया
सुरेंद्र कुमार, जवाहर ज्योति बाल विकास केंद्र, समस्तीपुर
अनिल पाठक, नारी गूंजन
सुमिता कुमारी, रेनबो फाउंडेशन इंडिया
विशाखा कुमारी , रेनबो फाउंडेशन इंडिया, पटना
अब्राहम डेनिसन, जस्टिस एंड केयर, पटना
रौशन प्रकाश, सी.एस.इ.आइ.
राजकुमार सिंह, प्रयास जूवनाइल एड सेंटर, मातिहारी
मो. जाहिद हुसैन, जस्टिस वेंचर इंडिया
सावन कुमार, जस्टिस वेंचर इंडिया
मो. तफरीज, प्रयास जूवनाइल एड सेंटर
पीयूष कुमार, सेव द चिल्ड्रेन
मोख्तार–उल–हक, बिहार राज्य श्रम आयोग
सुधीर वर्मा, बचपन बचाओ आंदोलन

दिनेश कुमार, बाल सखा
सत्येंद्र कुमार, बाल सखा
पप्पू ठाकुर, निर्मा ा कला मंच
अनजारूल हक, निर्मा ा कला मंच
अजय कुमार सिंह, आजाद बचपन
उदय सिंह, जन जागर ा संस्थान, गया
शोभा देवी, जन जागर ा संस्थान, गया
डा. शरद कुमारी, एक्शन एड, पटना
संतोष कुमार, जन जागृति

मुक्त कराए गए बच्चों के साथ 18 नवंबर, 2016 को रेनबो होम्स में विचार–विमर्श

काजल कुमारी	आरती
नीझा कुमारी	जाहो
गुंजा कुमारी	अलका कुमारी
पुनीता कुमारी	चंदा
तारा कुमारी	सरोज कुमारी
ज्योति कुमारी	चंपा कुमारी
किर ा	सरिता कुमारी
मधु कुमारी	संगीता कुमारी
काजल कुमारी	आरती कुमारी
खुशबू कुमारी	कोमल कुमारी
ज्योति	बिंदु कुमारी
मरियम	जेबा कुमारी
सोनी कुमारी	

मुक्त कराए गए बाल मजदूरों, अभिभावकों एवं फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के साथ 11–12 नवंबर 2016 को चिरैया प्रखंड, मातिहारी में विचार–विमर्श

बच्चे	*माता–पिता*
अनिल कुमार	महावीर महतो एवं सीता देवी
मो. सरफराज	गनूर मियां एवं बीबी फातिमा
अशोक कुमार	रामबालक महतो एवं अनीता देवी
इबरान खान	रईस खान एवं सिरातून
जफर अली	नइमुद्दीन एवं अमरून निशा
शाहनाज आलम	अनजारूल हक एवं रूबी खातून
अरविंद कुमार	शेषनाथ राय एवं सकीला देवी
प्रमोद कुमार	विश्वनाथ यादव एवं राधिका देवी
मो. सरफराज	अली हुसैन एवं सेहरून निशा
अखिलेश कुमार	शंभु राय एवं जानकी देवी
मैनुद्दीन आलम	भिखारी मियां एवं सफीना खातून
सुलतान अंसारी	मो. अंसारी एवं सलमा खातून
ताजोमिल	कलाम मियां एवं रायसून खातून
शहबाज अली	बच्चा बाबू एवं शाहजहां खातून
मिराज आलम	अब्दुलबारी मियां एवं सईदा खातून

महताब आलम	शकूर अंसारी एवं खातून
मुजरे आलम	शेख जोरबू एवं कमरूल निशा
मो. इकरामूल	मुसाफ एवं मुन्नी खातून
छोटन कुमार	मंजू रानी एवं लागमनी देवी
रामा	अच्छेलाल राय एवं सहोदर देवी
कुमुद कुमार	मोहन राय एवं मोरबा देवी
मो. सबीर	सफीउल्लाह एवं रेहाना खातून
कुंदन कुमार	योगेंद्र मांझी एवं सोना देवी
बिरंजन कुमार	भरत राम एवं मालती देवी
मो. नसीम आलम	मंजूर अंसारी समीना खातून
मो. सलीम आलम	कलाम अंसारी एवं रौशन बेगम
फैयाज	अबलेश मौलाना एवं सजरा खातून
वैकू महतो	हीरालाल महतो एवं सुनैना देवी
साहिल मंसूरी	कलाम अंसारी एवं रौशन बेगम
शहनाज	अनजारूल हक एवं रूबी खातून

फ्रंटलाइन कार्यकर्ता

इनारमन प्र. यादव , खोदा पंचायत	पार्वती देवी, वार्ड सदस्य
नघुनी बैठा	प्रमिला देवी
शोभा कुमारी	सुरेंद्र कुमार
परमहंस भगत	नमिता कुमारी
फैयाज अहमद	शोभा देवी
अनिल कुमार	वीरलाल सिंह
लक्ष्मी प्रसाद	विजय सिंह
रौशन बैठा	नवीन पासवान
सुनीता देवी	छठिया देवी
रितु मांझी	शैल देवी
मंजू कुमारी	उबैदुल्लाह
राजेश्वर बैठा	नरगिस बेगम
बच्चा बैठा	बाल भादू सिंह
लाल बाबू शाह	रघुबीर शाह, वार्ड सदस्य
सलान साधु	अनिल कुमार सिंह, वार्ड सदस्य
शिव पासवान	मुन्नी देवी
किर ा कुमारी	मुन्ना राम, विकास मित्र
रामप्रवेश कुमार	मुखलाल मांझी
रत्नेश्वर कु. तिवारी	आशा देवी
धर्मेंद्र कुमार सिंह	सुजीत कुमार
संगीता देवी	चिंता देवी, वार्ड सदस्य
शिवनाराय ा,थाना–मिसरोलिया	शेफाली देवी, विकास मित्र
जयनाथ महतो, वार्ड सदस्य	शिवधर पासवान, वार्ड सदस्य
मनोज कुमार , थाना–खटारी	
सकीन खातून, वार्ड सदस्य	
रामाशीष राम	
पूनम देवी, वार्ड सदस्य	
जमकैया देवी, वार्ड सदस्य	

माता–पिता	*बच्चे*
नजमूल हक	मो. सद्दाम
इकराम आलम	सकीब आलम
अब्दुल साकू आलम	मो. राहिल
बीबी सोजना	मो. अरमान
शकूरा	कुद्दुस आलम
बीबी गुलशन	सरफराज
सफीना बीबी	नौशाद आलम
मो. इगरिश	अजहर
मो. नजबूल	रजीद
मुमताज	अशरफ
बीबी साबो	मो. शाहिद आलम
मिराज आलम	तौहिद आलम
मो. कैसर	अरिश
मो. मंसूर आलम	राहिल
अइनुल हक	मंसूर आलम
सलीमुद्दीन	मो. आजम
मो. अबरूबा	मनैर आलम
मो. बकरीद	गुफरान आलम
मो. फौदीन	मुमताजिर
कंजू खातून	सरफराज आलम
रूकसाना परवीन	अकरम
बीबी बिन्नी	मो. सलाम
मो. जाहिद	मो. सादिर
रकिमा खातून	मो. मसहरूल
सरूबा खातून	मो. अफताब आलम
मो. शराफत	मो. तबरीक
कुरैशा खातून	मो. रेहान
कम्मू खातून	मो. अरीश
मरजीना खातून	मो. राहिल

फ्रंटलाइन कार्यकर्ता

शमीम अख्तर, सरपंच, लखना पंचायत	कैसर आलम, वार्ड सदस्य
मुख्तार आलम, मुखिया, लखना पंचायत	नसरीन, वार्ड सदस्य
शोइर आलम, थाना–डुमरी	अली हसन, पंच, संझेली पंचायत
शानो बेगम, सरपंच, संझेली पंचायत	मो. हफीज, वार्ड सदस्य
सविता देवी, आशा	मोनाजिर आलम, तालिमी मरकाज
नजहत बानो, सेविका, बोझगांव	रिजवाना परवीन, सेविका, लखना
रूबाना खातून, तालिमी मरकाज	तराना परवीन, मुखिया, संझेली
मो. सुराब, वार्ड सदस्य, संझेली पंचायत	हजरा खातून,सरपंच, संझेली
चांदनी खातून, तालिमी मरकाज	फारून आलम, तालिमी मरकाज
रजदा शमीम, तालिमी मरकाज	बीबी सबरी,सरपंच, कुसहा
लक्ष्म ा अृषि, विकास मित्र, सिमरिया	नौशाद आलम, वार्ड सदस्य
मो. अफजल, तालिमी मरकाज, लखना पंचायत	मो. अख्तर, सरपंच, बरबत्ता

मो.सगीर, तालिमी मरकाज, गुरही
अब्दुल वाहिद, तालिमी मरकाज
कैसर आलम, तालिमी मरकाज
मो. नजामुद्दीन, तालिमी मरकाज
हिफजूर–रहमान, तालिमी मरकाज, कुसहा

मो. गुलाम अजहर, मुखिया, बरबत्ता
मुसाहिद आलम
मो. अवाफ, वार्ड सदस्य

मुक्त कराए गए बाल मजदूरों, अभिभावकों तथा फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के साथ 23 नवंबर 2016 को गया में विचार–विमर्श

बच्चे
गौतम कुमार
उपेंद्र कुमार
छोटू कुमार
आनंद कुमार
टूनटून कुमार
विनोद एवं राजू
प्रदीप कुमार
संदेश कुमार
जीतेंद्र कुमार
गुद्दु कुमार
अजय कुमार
गुद्दु कुमार
रामाशीष
नन्हक कुमार
प्रकाश
खेमचंद
कमलेश

माता–पिता
उदय मांझी
मुनरी देवी एवं शिवम मांझी
कुंती देवी एवं कालेश्चर मांझी
दुलारी देवी एवं गगेरा मांझी
सरोज देवी एवं राजेश मांझी
मुन्नी देवी एवं रामचंदर मांझी
बरती देवी
जीतनी देवी एवं रामचंदर मांझी
तेतरी देवी एवं सोहराज मांझी
कौशल्या देवी
दौलती देवी एवं ग ोश मांझी
कुपुरवा देवी एवं विपन मांझी
अनरबा देवी, बेला
उपासना खातून
र ाविजय कुमार, एम/एस, गोपालपुर
रामसुख, वार्ड सदस्य, गोपालपुर
वी ाा कुमारी, प्राचार्या , छापी
नरेश प्रजापति, गोपालपुर
रेखा कुमारी
आरती देवी
जीरा देवी एवं जुगेरा मांझी
कैली देवी एवं नरेश मांझी
कमला देवी एवं राजकुमार मांझी
कुसुमी देवी
मुनवा देवी एवं जगदीश मंडल
बरती देवी

फ्रंटलाइन कार्यकर्ता
बालेश्वर मंडल
पिंकी सिन्हा, आंगनवाड़ी सेविका,छिलम
अमरेश कुमार, टोला सेवक
रघुनंदन यादव, वार्ड सदस्य
ईश्वर चौधरी, टोला सेवक
विनोद कुमार, शिक्षक
कमला देवी, आंगनवाड़ी सेविका, बेला
मालती देवी, आंगनवाड़ी सेविका, बेला
सुनीत देवी, वार्ड सदस्य, बेला
किर ा कुमारी, आंगनवाड़ी सेविका
गायत्री देवी, एलएस, शेरघाटी
विजय चौधरी, बेला
जुबैदा खातून, वार्ड सदस्य
सविता देवी, आंगनवाड़ी सेविका
भरत यादव, वार्ड सदस्य
पार्वती देवी, समदा सेविका
गंगोत्री देवी, सेविका, छापी
प्र िता यादव, विद्यालय प्राचार्या
कंचन किर ा
क्रांति सिन्हा, शेरघाटी
आलोक रंजन, एडीसीपी, गया
राकेश रंजन, एलएस, गया
शीतला देवी , मुखिया, छापी, शेरघाटी
सुनील कुमार, बीइओ, शेरघाटी
कमला देवी
छेदी मंडल, टोलासेवक, बेला
शिव कुमार मंडल, विकास मित्र, बेला
कमलेश कुमार, विकास मित्र, छापी
रामजी भुईयां, टोलासेवक, पथलकट्टी

परिशिष्ट 2
एसबीसी रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया के तहत विचार–विमर्श की रूपरेखा

2ए– राज्यस्तरीय प्रारंभिक कार्यशाला की कार्यसूची

समय	सत्र	विवर ा
9:30पूर्वाह्न	**पंजीकरण**	**प्रैक्सिस** द्वारा चयनित कार्यकर्ताओं द्वारा किया जायेगा
10:00पूर्वाह्न	स्वागत / उद्घाटन सत्र	स्वागत / कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए–**यूनीसेफ विशेषज्ञ, सी 4डी**
10:05पूर्वाह्न	बिहार में बाल श्रम का परिदृश्य	**यूनीसेफ विशेषज्ञ, बाल संरक्षण**
10:15पूर्वाह्न	बाल श्रम का उन्मूलनः हमारी प्रतिबद्धता	**यामीन मजूमदार**, फील्ड ऑफिस प्रमुख , यूनीसेफ, बिहार
10:25पूर्वाह्न	प्रसंग से अवगत कराने वाला वक्तव्य	**प्रधान सचिव**, श्रम संसाधन विभाग
10:30 पूर्वाह्न	परिचय का संक्षिप्त क्रम	प्रतिभागी अपना परिचय देंगे
10:40पूर्वाह्न	बाल श्रम पर पहले से तैयार कारण –प्रभाव रेखाचित्र का सत्यापन	प्रतिभागियों को बाल श्रम के बारे में पहले से तैयार कारण –प्रभाव रेखाचित्र के पास आने और इसमें अतिरिक्त कारण जोड़ने को कहा जाएगा संचालन प्रैक्सिस के समन्वयकों द्वारा किया जाएगा
11:00पूर्वाह्न	**जमीनी अनुभवः** निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्षेत्र के अनुभवों को साझा करना (प्रत्येक के लिए 15 मिनट • क्राइ (समसतीपुर) • जस्टिस एंड केयर (गया) • जस्टिस वेंचर (मोतिहारी / पूर्णिया ा) • प्रथम (सीतामढी) • एमवी फाउंउेशन (वैशाली) • रेनबो होम्स	प्रस्तुति के लिए दिशा–निर्देश / रूपरेखा तैयार किया जाएगा तथा इसे प्रतिभागियों के साथ साझा किया जाएगा। प्रत्येक प्रस्तुतकर्ता को 15 मिनट का समय दिया जाएगा(14 मिनट पूरा होने पर घंटी बजेगी और फिर इसके बाद 15 मिनट पूरा होनेपर)। हर प्रस्तुति के अंत में प्रतिभागियों के सवालों को संग्रहित किया जाएगा तथा सत्र के अंत में चर्चा के लिए रखा जाएगा। सत्र का संचालन **यूनीसेफ / प्रैक्सिस समन्वयकों** द्वारा किया जायेगा
12:30	खुला सत्र : सवाल–जवाब	प्रतिभागियों के सवालों पर करीब 30 मिनट तक चर्चा होगी सत्र का संचालन **यूनीसेफ / प्रैक्सिस प्रतिनिधियों** द्वारा किया जायेगा
1:00अपराहन	दोपहर का भोजन	
1:45अपराहन	अभियानों से प्राप्त सीख • कम्पेन एगेंस्ट चाइल्ड लेबर (सीएसीएल) • बचपन बचाओ आंदोलन • बीबीसी मीडिया एक्शन • टोकेंगे! रोकेंगे!! बदलेंगे!!! (यूनीसेफ–टाइम्स ऑफ इंडिया अभियान)	इस सत्र में भी प्रस्तुति के उसी दिशा–निर्देश / रूपरेखा का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रत्येक प्रस्तुतकर्ता को 15 मिनट का समय दिया जाएगा(14 मिनट पूरा होने पर घंटी बजेगी और फिर इसके बाद 15 मिनट पूरा होनेपर)। हर प्रस्तुति के अंत में प्रतिभागियों के सवालों को संग्रहित किया जाएगा तथा सत्र के अंत में चर्चा के लिए रखा जाएगा। इसके लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। अभ्यास के लिए, संचार की पहलों में समुदाय को संदेश संप्रेषित करने वाले किसी भी कार्रवाई या रणनीति को शामिल किया जाएगा (जैसे जानकारी या सलाह देने के लिए या सामूहिक मानदंड तय करने के लिए) संचालन **यूनीसेफ / प्रैक्सिस प्रतिनिधियों** द्वारा किया जायेगा।
3:00 अपराहन	समूह कार्य (चाय के साथ) • पिछले प्रोजेक्टों के सफल तत्वों की पहचान करना • क्या सही अनुकूल तरीके से काम किया, क्या नहीं किया	प्रतिभागतियों को समूहों में बांटा जाएगा। समूह के सदस्यों को ज्ञात संचार पहलों की जांचकर (दो अलग–अलग रंगों के कार्ड का इस्तेमाल कर) प्रत्येक समूह **क्या काम करता है** (अनुकूल स्थितियों के साथ) **क्या नहीं करता है** की पहचान करेगा। सत्र पूरा समान

	· अल्पीकर ा के तत्व	विचार वाले कार्डों को एकसाथ किया जाएगा। सत्र का संचालन **प्रैक्सिस** द्वारा किया जायेगा
3:45अपराहन	रणनीति की रूपरेखा एवं घटकों को अंतिम रूप देना प्रैक्सिस द्वारा सहभागिता सत्र में प्रस्तुति	दिन में चर्चा के दौरान की गई विभिन्न प्रस्तुतियों और समूह द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर प्रैक्सिस बाल श्रम के लिए संचार रणनीति के स्वरूप के उभरते निहितार्थ के बारे में एक प्रस्तुति पेश करेगा
4: 30अपराहन	समापन सत्र	प्रतिनिधि, श्रम विभाग

2 बी. मुक्त कराए गए बाल मजदूरों के साथ विचार–विमर्श की कार्यसूची

समय	सत्र	विवर ा
10:00 पूर्वाहन	पंजीकर ा	**प्रैक्सिस** द्वारा चयनित कार्यकर्ताओं द्वारा किया जायेगा
10:30 पूर्वाहन	प्रतिभागियों का स्वागत एवं संदर्भ निर्धार ा	इसका ख्याल **कार्यशाला समन्वयक** रखेंगे
10:35 पूर्वाहन	परिचय का क्रम	प्रतिभागी अपना परिचय देंगे
10:40 पूर्वाहन – 11:00 पूर्वाहन	प्रतिभागियों का त्वरित केएपी आकलन	प्रतिभागियों से वृताकार में खड़ा होने को कहा जाएगा। 11 बयानों के सेट को जोर से पढा जाएगा। बयान पर समान तरह का जवाब देने वाले प्रतिभागियों को एकसाथ आना होगा। जो भी प्रासंगिक हो, लड़कियों एवं लड़कों के संबंध में अलग–अलग जवाब देने को कहा जाएगा। निम्नलिखित बयान को जोर से पढ़ा जाएगाः 1. **किस आयु में बच्चा काम करने लायक हो जाता है?** (प्रतिभागी समूह में खड़े पास वाले तीन लोगों की टीम बना लेंगे और गुप्त तरीके से अपना जवाब कागज के टुकड़े पर लिखेंगे) 2. **कानून के अनुसार किस आयु में काम करना शुरू कर सकता है?** (जवाब जानने वाले प्रतिभागी आगे बढ़ेंगे साथ होंगे और गुप्त तरीके से अपना जवाब कागज के टुकड़े पर लिखेंगे इसके बाद वे अपने सर्कल में वापस में चले जायेंगे।) 3. **ऐसे काम का उदाहरण दें, जिसमें कानून के अनुसार बच्चे को नहीं लगाया जा सकता है ?** (प्रतिभागी प्रतिभागी समूह में खड़े पास वाले तीन लोगों की टीम बना लेंगे और गुप्त तरीके से अपना जवाब कागज के टुकड़े पर लिखेंगे) 4. **अगर बच्चा कानून का उल्लंघन कर काम करते हुए पाया जाएगा तो दंड का भागी कौन होगा?** (प्रतिभागी प्रतिभागी समूह में खड़े पास वाले तीन लोगों की टीम बना लेंगे और गुप्त तरीके से अपना जवाब कागज के टुकड़े पर लिखेंगे)। 5. **आपके गांव में बच्चे के लिए काम करने का सबसे आम तरीका क्या है?** (प्रत्येक प्रतिभागी बारी–बारी कर किसी एक काम को जोर से बोलेंगे। किसी एक सुझाव को दोहराया नहीं जाना चाहिए) । 6. **आपके गांव में कितने बच्चे काम करते हैं? कुल कितने बच्चों में से?** (प्रतिभागी प्रतिभागी समूह में खड़े पास वाले तीन लोगों की टीम बना लेंगे और गुप्त तरीके से अपना जवाब कागज के टुकड़े पर लिखेंगे)। 7. **' बच्चों के लिए पढ़ाई करने के बजाये व्यावसायिक कौशल हासिल करना जरूरी ह'– क्या आप सहमत हैं?** (प्रतिभागी प्रतिभागी समूह में खड़े पास वाले तीन लोगा की टीम बना लेंगे और गुप्त तरीके से अपना जवाब कागज के टुकड़े पर लिखेंगे)। 8. **क्या आपके काम में कुछ ऐसा है जिसे आप नापसंद करते हैं ? (कुछ कामों की सूची रखते हुए) इनमें से किन नापसंदगियों के साथ आप नहीं रह सकते हैं?** (प्रत्येक प्रतिभागी को किसी एक नापसंदगी का जिक्र करना है। किसी भी सुझाव को दोहराया नहीं जाना चाहिए। नापंसदगियों का जिक्र होने के बाद वे सामूहिक रूप से पहचान करेंगे कि वे किन नापसंदगियों के साथ नहीं रह सकते, अगर ऐसा है तो)। 9. **आपके गांव में कितने लोग (10 में से) हैं जिन्हें स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली हकदारियों , जैसे छात्रवृत्ति, यूनीफार्म, साइकिल खरीदने के लिए पैसा आदि के बारे में जानकारी है,?** (प्रतिभागी प्रतिभागी समूह में खड़े पास वाले तीन लोगों की टीम बना लेंगे और गुप्त तरीके से अपना जवाब कागज के टुकड़े पर लिखेंगे)। 10. **आपके गांव में कितने लोग (10 में से) मनरेगा जैसी सरकार की रोजगार योजनाओं के बारे में जानते हैं?** (प्रतिभागी प्रतिभागी समूह में खड़े पास वाले तीन लोगों की टीम बना लेंगे और गुप्त तरीके से अपना जवाब कागज के टुकड़े पर लिखेंगे)। 11. **आपके गांव में कितने लोग (10 में से) मुक्त कराए गए बाल मजदूरों के हकों के बारे में जानते हैं?** (प्रतिभागी प्रतिभागी समूह में खड़े पास वाले तीन लोगों की टीम बना लेंगे और गुप्त तरीके से अपना जवाब कागज के टुकड़े पर लिखेंगे)।

		संचालन **प्रैक्सिस के समन्वयकों** द्वारा किया जायेगा
11:00 पूर्वाहन– 11:30 PMपूर्वाह्न	आदर्श बचपन के बारे में प्रतिभागियों की धारणा को समझना	प्रतिभागियों का चार समूह बनाया जाएगा। प्रत्येक समूह आदर्श अलग–अलग चित्रों या शब्दों में फ्लैश कार्ड पर बचपन की अपनी धारणा को को बताएगा। हर विचार को अलग कार्ड पर लिखना होगा। सामूहिक प्रक्रिया के अंत में , प्रत्येक समूह से सामूहिक समीक्षा एवं चर्चा के लिए कार्ड को फर्श पर रखने को कहा जाएगा। संचालन **प्रैक्सिस के समन्वयकों** द्वारा किया जायेगा
	चाय अवकाश	
11:45 पूर्वाहन – 12:25 अपराहन	बच्चों को काम के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियों की पहचान करना तथा वैसी परिस्थितियों के बारे में सोचना जो बच्चों को काम करने से राक सके (फोर्स फील्ड एप्रोच को अपनाते हुए)।	प्रतिभागी पिछले अभ्यास में बनाये गये अपने समूह में ही रहेंगे। उनसे बच्चों को काम करने के लिए बाध्य करने वाली परिस्थितियों की पहचान करने का अनुरोध किया जाएगा तथा वैसी काल्पनिक स्थितियों की पहचान करने को कहा जाएगा जिनमें बच्चों को काम करने की बाध्यता से रोका जा सके। हर स्थितियों को दो रंग के कार्ड पर लिखना होगा। एक कार्ड पर एक से अधिक परिस्थिति नहीं लिखा जाएगा। समूह चर्चा के अंत में सामूहिक समीक्षा के लिए प्रत्येक समूह से कार्ड को फर्श पर रखने को कहा जाएगा (सभी अनुकूल परिस्थितियों वाला एक साथ और प्रतिकूल परिस्थितियों वाला एक साथ) **बाल श्रम के लिए जिम्मेवार स्थितियां** 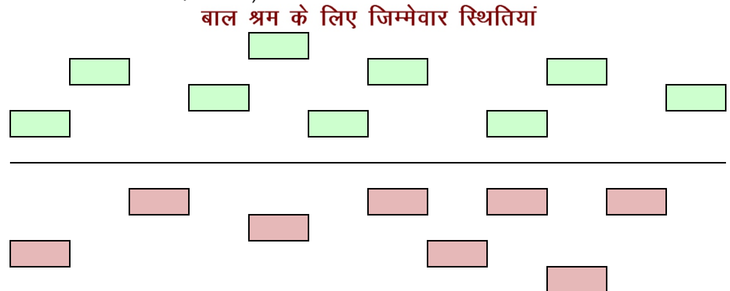 **स्थितियां जो बाल श्रम रोक सकती हैं** संचालन **प्रैक्सिस** के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा
12 25 अपराहन– 12 30 अपराहन	बाल श्रम पर एक पहले से तैयार कारण –प्रभाव रेखाचित्र का सत्यापन	प्रतिभागियों को बाल श्रम के बारे में पहले से तैयार कारण –प्रभाव रेखाचित्र के पास आने और पहले वाले समूह अभ्यास में पहचान किये गये अतिरिक्त प्रभावों को जोड़कर चित्र को अद्यतन करने को कहा जाएगा। संचालन **प्रैक्सिस के प्रशिक्षकों** द्वारा किया जायेगा
12:30 अपराहन – 1:00 अपराहन	संदेश पहुंचा सकने वाले वाले संभावित माध्यमों की पहचान करना (वेन चित्र प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए) ।	प्रतिभागियों में से कुछ स्वयंसेवकों को आगे आने का अनुरोध किया जायेगा और उनसे अपने समुदाय के कुछ ऐसे प्रभावशाली लोगों के बारे में सोचने को कहा जाएगा जो समुदाय के सदस्यों पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे लोगों का नाम एक अलग कार्ड पर लिख लिया जाएगा। भाग लेने वाले स्वयंसेवकों से फिर कार्ड को प्रभाव के घटते क्रम में फर्श पर रखने को कहा जाएगा। मतलब जिस व्यक्ति का प्रभाव सबसे अधिक होगा उसे कार्ड की कतार में सबसे ऊपर रखा जाएगा। कार्ड को इसी क्रम से रख देने के बाद स्वयंसेवकों को व्यक्ति के प्रभाव के सिाब से बड़ा छोटा कागज का कटआउट कार्ड के पास रखने को कहा जाएगा। विश्लेष ा में प्रभाव के अतिरिक्त पहलुओं (जैसे स्वीकार्यता) को भी प्रत्येक कार्ड के पास अलग–अलग संख्या में बीज रखकर शामिल किया जाएगा। बीजों की संख्या जोड़े गए अतिरिक्त पहलुओ ंके अनुपात में होगी। अलग–अलग परिदृश्यों को समाहित करने के लिए इस तरीके की कई बार दुहराया जाएगा। इसके बाद पहचान किए गए हितधारकों के एक दूसरे पर प्रभाव की मैपिंग जोड़ीवार तुलनात्मक मैट्रिक्स से की जाएगी। पूरे सत्र का संचालन **प्रैक्सिस** के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा
1:00 अपराहन – 1:45 अपराहन	संचार के वैकल्पिक माध्यमों/तरीकों का आकलन (कार्यशाला में संचार के विविध माध्यमों /तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा एवं इनके बारे में फीडबैक	प्रतिभागियों को चार समूहों में बाटा जा सकता है। प्रत्येक समूह को बाल श्रम से संबंधित महत्वपूर्णसंदेशों को संचारित करने में विभिन्न माध्यमों (जैसे रेडियो, होर्डिंगस, थियेटर, टीवी आदि) के इस्तेमाल के बारे में समूह की प्रस्तुती तैयार करने के लिए आधा घंटा का समय दिया जाएगा

	लिया जाएगा।)	इस अभ्यास के बाद सत्र में प्रतिभागियों को मालूम रहने वाले माध्यमों की लंबी सूची तैयार की जाएगी जिन्हें अलग–अलग कार्ड पर चित्रित किया जाएगा तथा लिखा जाएगा। कार्डों को फर्श पर रैखिक क्रम में रखा जाएगा और प्रत्येक प्रतिभागियों से तीन सर्वाधिक उपयुक्त माध्यमों को चुनने तथा चुने गए प्रत्येक माध्यम के पास बीज रखने को कहा जाएगा। नंबर तीन बार दिया जाएगा। एक, बच्चों तक पहुंचने के इरादे को देखते हुए, दूसरा, माता–पिता या परिवार तक पहुचने के दरादे को देखते हुए तथा तीसरा, समुदाय स्तर के निर्णय लेने वालों तक पहुंचने के दरादे को देखते हुए। संचालन **प्रैक्सिस** के समन्वयकों द्वारा किया किया जाएगा।
01:45अपराहन – 2:00 अपराहन	संचार रणनीति के लिए अनुशंसाएं	प्रतिभागियों से चर्चा समूह (अगल–बगल बैठे तीन लोगों का समूह) बनाने और बाल श्रम के लिए प्रभावी संचार पहल के लिए **क्या करना है** , **क्या नहीं करना है,** यह तय करने का अनुरोध किया जाएगा । इसके बाद प्रतिभागियों से **क्या करना है** , **क्या नहीं करना है,** का एक सेट सत्र में साझा करने को कहा जाएगा। संचालन **प्रैक्सिस** के समन्वयकों द्वारा किया किया जाएगा।
2:00 अपराहन – 2:10 अपराहन	समापन सत्र दिन भर के कार्यशाला की मुख्य बिंदुओं एवं महत्वपूर्णनि र्यों का सार तैयार करना और इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन	कार्यशाला के समन्वयक दिन भर के कार्यशाला की महत्वपूर्णबिंदुओं का सार प्रस्तुत करेंगे और इसके बाद अंत में धन्यवाद ज्ञापन होगा।
दोपहर का भोजन		

2.सी– मुक्त कराए गए बाल मजदूरों के अभिभावकों के साथ विचार–विमर्श की कार्यसूची

समय	सत्र	विवर ण
10:00 पूर्वाह्न	पंजीकर ण	**प्रैक्सिस** द्वारा चयनित कार्यकर्ताओं द्वारा किया जायेगा
10:30 पूर्वाह्न	प्रतिभागियों का स्वागत एवं संदर्भ निर्धार ण	इसका ख्याल **कार्यशाला समन्वयक** रखेंगे
10:35 पूर्वाह्न	परिचय का क्रम	प्रतिभागी अपना परिचय देंगे
10:40 पूर्वाह्न – 11:00 पूर्वाह्न	प्रतिभागियों का त्वरित केएपी आकलन	प्रतिभागियों से वृताकार में खड़ा होने को कहा जाएगा। 11 बयानों के सेट को जोर से पढा जाएगा। बयान पर समान तरह का जवाब देने वाले प्रतिभागियों को एकसाथ आना होगा। जो भी प्रासंगिक हो, लड़कियों एवं लड़कों के संबंध में अलग–अलग जवाब देने को कहा जाएगा। निम्नलिखित बयान को जोर से पढ़ा जाएगा: **1. किस आयु में बच्चा काम करने लायक हो जाता है?** (प्रतिभागी समूह में खड़े पास वाले तीन लोगों की टीम बना लेंगे और गुप्त तरीके से अपना जवाब कागज के टुकड़े पर लिखेंगे) **2. कानून के अनुसार किस आयु में काम करना शुरू कर सकता है?** (जवाब जानने वाले प्रतिभागी आगे बढगे साथ होंगे और गुप्त तरीके से अपना जवाब कागज के टुकड़े पर लिखेंगे इसके बाद वे अपने सर्कल में वापस में चले जायेंगे।) **3. ऐसे काम का उदाहरण दें, जिसमें कानून के अनुसार बच्चे को नहीं लगाया जा सकता है ?** (प्रतिभागी प्रतिभागी समूह में खड़े पास वाले तीन लोगों की टीम बना लेंगे और गुप्त तरीके से अपना जवाब कागज के टुकड़े पर लिखेंगे) **4अगर बच्चा कानून का उल्लंघन कर काम करते हुए पाया जाएगा तो दंड का भागी कौन होगा?** (प्रतिभागी प्रतिभागी समूह में खड़े पास वाले तीन लोगों की टीम बना लेंगे और गुप्त तरीके से अपना जवाब कागज के टुकड़े पर लिखेंगे)। **5. आपके गांव में बच्चे के लिए काम करने का सबसे आम तरीका क्या है?** (प्रत्येक प्रतिभागी बारी–बारी कर किसी एक काम को जोर से बोलेंगे। किसी एक सुझाव को दोहराया नहीं जाना चाहिए) । **6 आपके गांव में कितने बच्चे काम करते है? कुल कितने बच्चों में से?** (प्रतिभागी प्रतिभागी समूह में खड़े पास वाले तीन लोगों की टीम बना लेंगे और गुप्त तरीके से अपना जवाब कागज के टुकड़े पर लिखेंगे)। **7 बच्चों के लिए पढ़ाई करने के बजाये व्यावसायिक कौशल हासिल करना जरूरी ह'– क्या आप सहमत हैं?** (प्रतिभागी प्रतिभागी समूह में खड़े पास वाले तीन लोगों की टीम बना लेंगे और गुप्त तरीके से अपना जवाब कागज के टुकड़े पर लिखेंगे)। **8 क्या आपके काम में कुछ ऐसा है जिसे आप नापसंद करते हैं ? (कुछ कामों की सूची रखते हुए) इनमें से किन नापसंदगियों के साथ आप नहीं रह सकते हैं? (**प्रत्येक प्रतिभागी को किसी एक नापसंदगी का जिक्र करना है। किसी भी सुझाव को दोहराया नहीं जाना चाहिए। नापंसदगियों का जिक्र होने के बाद वे सामूहिक रूप से पहचान करेंगे कि वे किन नापसंदगियों के साथ नहीं रह सकते, अगर ऐसा है तो)। **9 आपके गांव में कितने लोग (10 में से) हैं जिन्हें स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली हकदारियों , जैसे छात्रवृत्ति, यूनीफार्म, साइकिल खरीदने के लिए पैसा आदि के बारे में जानकारी है,?** (प्रतिभागी प्रतिभागी समूह में खड़े पास वाले तीन लोगों की टीम बना लेंगे और गुप्त तरीके से अपना जवाब कागज के टुकड़े पर लिखेंगे)। **10 आपके गांव में कितने लोग (10 में से) मनरेगा जैसी सरकार की रोजगार योजनाओं के बारे में जानते हैं?** (प्रतिभागी प्रतिभागी समूह में खड़े पास वाले तीन लोगों की टीम बना लेंगे और गुप्त तरीके से अपना जवाब कागज के टुकड़े पर लिखेंगे)। **11. आपके गांव में कितने लोग (10 में से) मुक्त कराए गए बाल मजदूरों के हकों के बारे में जानते हैं?** (प्रतिभागी प्रतिभागी समूह में खड़े पास वाले तीन लोगों की टीम बना लेंगे और गुप्त तरीके से अपना जवाब कागज के टुकड़े पर लिखेंगे)। संचालन **प्रैक्सिस** के समन्वयकों द्वारा किया जाएगा

11:00 पूर्वाह्न – 11:30 अपराहन	आदर्श बचपन के बारे में प्रतिभागियों की धारणा को समझना	प्रतिभागियों को बाल श्रम के बारे में पहले से तैयार कारण –प्रभाव रेखाचित्र के पास आने और पहले वाले समूह अभ्यास में पहचान किये गये अतिरिक्त प्रभावों को जोड़कर चित्र को अद्यतन करने को कहा जाएगा। संचालन **प्रैक्सिस के समन्वयकों** द्वारा किया जायेगा।
	चाय अवकाश	
11:45 पूर्वाह्न – 12:25 अपराहन	बच्चों को काम के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियों की पहचान करना तथा वैसी परिस्थितियों के बारे में सोचना जो बच्चों को काम करने से राक सके (फोर्स फील्ड एप्रोच को अपनाते हुए)।	प्रतिभागी पिछले अभ्यास में बनाये गये अपने समूह में ही रहेंगे। उनसे बच्चों को काम करने के लिए बाध्य करने वाली परिस्थितियों की पहचान करन का अनुरोध किया जाएगा तथा वैसी काल्पनिक स्थितियों की पहचान करने को कहा जाएगा जिनमें बच्चों को काम करने की बाध्यता से रोका जा सके। हर स्थितियों को दो रंग के कार्ड पर लिखना होगा। एक कार्ड पर एक से अधिक परिस्थिति नहीं लिखा जाएगा। समूह चर्चा के अंत में सामूहिक समीक्षा के लिए प्रत्येक समूह से कार्ड को फर्श पर रखने को कहा जाएगा (सभी अनुकूल परिस्थितियों वाला एक साथ और प्रतिकूल परिस्थितियों वाला एक साथ) 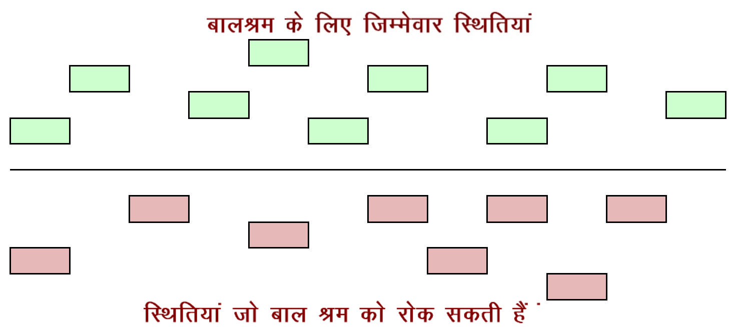 संचालन **प्रैक्सिस के समन्वयकों** द्वारा किया जायेगा।
12 25 अपराहन – 12 30 अपराहन	बाल श्रम पर एक पहले से तैयार कारण –प्रभाव रेखाचित्र का सत्यापन	प्रतिभागियों को बाल श्रम के बारे में पहले से तैयार कारण –प्रभाव रेखाचित्र के पास आने और पहले वाले समूह अभ्यास में पहचान किये गये अतिरिक्त प्रभावों को जोड़कर चित्र को अद्यतन करने को कहा जाएगा। संचालन **प्रैक्सिस के समन्वयकों** द्वारा किया जायेगा।
12:30 अपराहन – 1:00 अपराहन	संदेश पहुंचा सकने वाले वाले संभावित माध्यमों की पहचान करना (वेन चित्र प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए) ।	प्रतिभागियों में से कुछ स्वयंसेवकों को आगे आने का अनुरोध किया जायेगा और उनसे अपने समुदाय के कुछ ऐसे प्रभावशाली लोगों के बारे में सोचने को कहा जाएगा जो समुदाय के सदस्यों पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे लोगों का नाम एक अलग कार्ड पर लिख लिया जाएगा। भाग लेने वाले स्वयंसेवकों से फिर कार्ड को प्रभाव के घटते क्रम में फर्श पर रखने को कहा जाएगा। मतलब जिस व्यक्ति का प्रभाव सबसे अधिक होगा उसे कार्ड की कतार में सबसे ऊपर रखा जाएगा। कार्ड को इसी क्रम से रख देने के बाद स्वयंसेवकों को व्यक्ति के प्रभाव के सिाब से बड़ा छोटा कागज का कटआउट कार्ड के पास रखने को कहा जाएगा। विश्लेष ा में प्रभाव के अतिरिक्त पहलुओं (जैसे स्वीकार्यता) को भी प्रत्येक कार्ड के पास अलग–अलग संख्या में बीज रखकर शामिल किया जाएगा। बीजों की संख्या जोड़े गए अतिरिक्त पहलुओ के अनुपात में होगी। अलग–अलग परिदृश्यों को समाहित करने के लिए इस तरीके की कई बार दुहराया जाएगा। इसके बाद पहचान किए गए हितधारकों के एक दूसरे पर प्रभाव की मैपिंग जोड़ीवार तुलनात्मक मैट्रिक्स से की जाएगी। संचालन **प्रैक्सिस के समन्वयकों** द्वारा किया जायेगा।
1:00 अपराहन – 1:45 अपराहन	संचार के वैकल्पिक माध्यमों/तरीकों का आकलन (कार्यशाला में संचार के विविध माध्यमों /तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा एवं इनके बारे में फीडबैक लिया जाएगा।)	प्रतिभागियों को चार समूहों में बाटा जा सकता है। प्रत्येक समूह को बाल श्रम से संबंधित महत्वपूर्णसंदेशा को संचारित करने में विभिन्न माध्यमों (जैसे रेडियो, होर्डिंगस, थियेटर, टीवी आदि) के इस्तेमाल के बारे में समूह की प्रस्तुती तैयार करने के लिए आधा घंटा का समय दिया जाएगा

		इस अभ्यास के बाद सत्र में प्रतिभागियों को मालूम रहने वाले माध्यमों की लंबी सूची तैयार की जाएगी जिन्हें अलग–अलग कार्ड पर चित्रित किया जाएगा तथा लिखा जाएगा। कार्डों को फर्श पर रैखिक क्रम में रखा जाएगा और प्रत्येक प्रतिभागियों से तीन सर्वाधिक उपयुक्त माध्यमों को चुनने तथा चुने गए प्रत्येक माध्यम के पास बीज रखने को कहा जाएगा। नंबर तीन बार दिया जाएगा। एक, बच्चों तक पहुंचने के इरादे को देखते हुए, दूसरा, माता–पिता या परिवार तक पहुचने के दरादे को देखते हुए तथा तीसरा, समुदाय स्तर के निर्णय लेने वालों तक पहुंचने के दरादे को देखते हुए। संचालन **प्रैक्सिस** के समन्वयकों द्वारा किया किया जाएगा।
01:45 अपराहन – 2:00 अपराहन	संचार रणनीति के लिए अनुशंसाएं	प्रतिभागियों से चर्चा समूह (अगल–बगल बैठे तीन लोगों का समूह) बनाने और बाल श्रम के लिए प्रभावी संचार पहल के लिए **क्या करना है** , **क्या नहीं करना है,** यह तय करने का अनुरोध किया जाएगा । इसके बाद प्रतिभागियों से **क्या करना है** , **क्या नहीं करना है,** का एक सेट सत्र में साझा करने को कहा जाएगा। संचालन **प्रैक्सिस** के समन्वयकों द्वारा किया किया जाएगा।
2:00 अपराहन – 2:10 अपराहन	समापन सत्र दिन भर के कार्यशाला की मुख्य बिंदुओं एवं महत्वपूर्णनि र्यों का सार तैयार करना और इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन	कार्यशाला के समन्वयक दिन भर के कार्यशाला की महत्वपूर्णबिंदुओं का सार प्रस्तुत करेंगे और इसके बाद अंत में धन्यवाद ज्ञापन होगा।

दोपहर का भोजन

2डी– फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के साथ विचार–विमर्श का कार्यक्रम

समय	सत्र	विवर ा
10:00 पूर्वाह्न	पंजीकरण	**प्रैक्सिस** द्वारा चयनित कार्यकर्ताओं द्वारा किया जायेगा
10:30 पूर्वाह्न	प्रतिभागियों का स्वागत	कार्यशाला के समन्वयकों द्वारा शुरू की जाएगी
10:35 पूर्वाह्न	परिचय का क्रम	
10:40 पूर्वाह्न	कार्यशाला का उद्देश्यः पूर्ण चर्चा	कार्यशाला का उद्देश्य एवं एजेंडा समन्वयक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिभागियों से भी अपनी अपेक्षाएं एवं सुझाव रखने को कहा जाएगा।
10:50 पूर्वाह्न – 11:15 पूर्वाह्न	बाल श्रम के इवसरों की विभिन्नता को समझना – इन्हें सूचीबद्ध करना तथा समूहों में बांटना।	प्रतिभागियों को समूहों में बांट दिया जाएगा और बाल श्रम के जितने अवसर उन्हें मालूम है उनकी सूची बनाने एवं उन्हें अलग–अलग कार्ड पर लिखने को कहा जाएगा । अगर कोई नया अवसर बना है (जैसे कोई हाल के वर्षों में) तो उस पर प्रकाश डालने या रेखांकित करना होगा। समूह के इस अभ्यास के बाद प्रत्येक समूह को अपना कार्ड फर्श पर रखने को कहा जाएगा और समान अवसर वाले कार्डों को एकसाथ किया जाएगा। संचालन **प्रैक्सिस** के समन्वयकों द्वारा किया किया जाएगा।
11:15 पूर्वाह्न – 11: 45 पूर्वाह्न	बच्चों को काम के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियों, इसमें अहम भूमिका अदा करने वालों तथा अन्य कारकों की पहचान करना तथा वैसी परिस्थितियों के बारे में सोचना जो बच्चों को काम करने से रोक सके (फोर्स फील्ड एप्रोच को अपनाते हुए)।	प्रतिभागी पिछले अभ्यास में बनाये गये अपने समूह में ही रहेंगे। उनसे बच्चों को काम करने के लिए बाध्य करने वाली परिस्थितियों की पहचान करने का अनुरोध किया जाएगा तथा वैसी काल्पनिक स्थितियों की पहचान करने को कहा जाएगा जिनमें बच्चों को काम करने की बाध्यता से रोका जा सके। हर स्थितियों को दो रंग के कार्ड पर लिखना होगा। एक कार्ड पर एक से अधिक परिस्थिति नहीं लिखा जाएगा। समूह चर्चा के अंत में सामूहिक समीक्षा के लिए प्रत्येक समूह से कार्ड को फर्श पर रखने को कहा जाएगा (सभी अनुकूल परिस्थितियों वाला एक साथ और प्रतिकूल परिस्थितियों वाला एक साथ) **बाल श्रम के लिए जिम्मेवार स्थितियां** 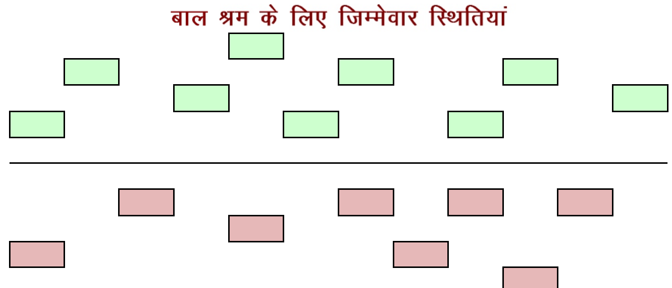 **स्थितियां जो बाल श्रम को रोक सकती हैं** संचालन **प्रैक्सिस** के समन्वयकों द्वारा किया किया जाएगा।
11 45 पूर्वाह्न – 11 55 पूर्वाह्न	बाल श्रम पर एक पहले से तैयार कारण –प्रभाव रेखाचित्र का सत्यापन	प्रतिभागियों को बाल श्रम के बारे में पहले से तैयार कारण –प्रभाव रेखाचित्र के पास आने और पहले वाले समूह अभ्यास में पहचान किये गये अतिरिक्त प्रभावों को जोड़कर चित्र को अद्यतन करने को कहा जाएगा। संचालन **प्रैक्सिस के समन्वयकों** द्वारा किया जायेगा।
चाय अवकाश *(10 minutes)*		
12:10 अपराहन – 12:50 अपराहन	विभिन्न हितधारकों (व्यक्ति/ संस्था) के लिए प्रमुख तर्क/ संदेश तैयार करना	प्रतिभागी संदर्भगत प्रासंगिक वैसे संदेशों या तर्कों की पहचान और उन पर चर्चा करने के लिए अपने समूह में लौटेंगे, जिन्हें बाल श्रम की किसी भी संचार रणनीति में शामिल करना चाहिए। चार में से प्रत्येक समूह को एक विशेष लक्षित समूह दिया जा सकता है जिनके लिए वे संदेश विकसित करेंगे। चार चयनित लक्षित समूह निम्नलिखित लोगों का हो सकता हैः · बच्चे · माता–पिता/ अभिभावक · नियोजक · स्कूल/आइसीडीएस के अधिकारी प्रत्येक संदेश चार्ट पेपर से बने अलग–अलग प्लेकार्ड पर लिखा जाना चाहिए

		तथा चर्चा के अंत में उन्हें दीवाल पर टांगा जाना चाहिए। प्रतिभागियों से प्रत्येक प्लेकार्ड को पढ़ने के लिए वहां जाने को जाने और संदेश बनाने वाले समूह से स्पष्टीकर ा मांगना होगा, जहां कहीं इसकी जरूरत हो।
12:50 अपराहन – 1 30 अपराहन	संचार सामग्री तैयार करने की सावधानियां–**क्या काम करेगा**? **क्या नहीं करेगा**?	प्रतिभागियों से संचार के किसी माध्यम से वैसे महत्वपूर्णसंदेशों के बारे में सोचने को कहा जाएगा जो उन्हें स्पष्टता के साथ याद हो। सत्र में नए सुझावों एवं उनके महत्व पर चर्चा करने के बाद प्रतिभागी समूह में लौट जाएंगे तथा सामूहिक से संचार के उन विभिन्न तरीकों को याद करेंगे जिन्हे वे जानते हैं। वे जिन तरीकों को जानते हें उनके आकलन के आधार पर वे संचार की उन पहलों की सूची बनायेंगे जो **काम करता है** और जो **काम नहीं करता** है। प्रत्येक समूह के द्वारा दो अलग–अलग रंग के कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चों, परिवारों एवं समुदाय के नेताओं तथा बाकी सभी (सेवा प्रदाताओं या नियोजकों) तक पहुंच वाले संदेशों को अलग करने के लिए विभिन्न तरह की बिंदियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सामूहिक प्रक्रिया के अंत में, प्रत्येक समूह फर्श पर रखे कार्ड के पास आयेंगे और संदेशों का सामूहिक पाठ करेंगे तथा उनपर चर्चा करेंगे। संचालन **प्रैक्सिस के समन्वयकों** द्वारा किया जायेगा।
	दोपहर का भोजनावकाश	
2:15 अपराहन– 3:00 अपराहन	**विभिन्न प्रोफाइल के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की संभावित भूमिका**	प्रतिभागियों को अपने प्रोफाइल के अनुसार नए समूह में बंट जाने के लिए कहा जाएगा। उदाहरण के लिए सभी विकास मित्र एक समूह में आ जाएंगे। प्रत्येक समूह बाल श्रम के सवाल पर संचार की प्रक्रिया में अपनी जो भूमिका महसूस करता है उसे बताएगा। संभावित भूमिका पर चर्चा के बाद प्रत्येक समूह अपनी राय रखेगा। उनसे वैसे दूसरे लोगों की भी पहचान करने को कहा जाएगा जो बाल श्रम के उन्मूलन में महत्वपूर्णभूमिका निभा सकते हैं। संचालन **प्रैक्सिस के समन्वयकों** द्वारा किया जायेगा।
3:00 अपराहन	**समापन सत्र**	दिनभर की कार्यशाला में हुई चर्चा के समापन के तौर पर प्रतिभागियों से वृताकार में खड़ा हो जाने तथा बाल श्रम से संबंधित संचार नीति की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान उनके दिमाग में जो एक प्रमुख सलाह/एहतियात उभरा हो उसे बताने को कहा जा सकता है। उनसे बाल श्रम रोकने के लिए व्यवस्था एवं तंत्र के बारे में स्पष्ट सुझाव देने को कहा जा सकता है। राय–विचार साझा करने के एक चक्र के बाद समन्वयक कुछ प्रमुख बिंदुओं पर फिर से प्रकाश डालेंगे।
3:30 अपराहन	**धन्यवाद ज्ञापन**	कार्यशाला समन्वयक

2 ई–जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श का कार्यक्रम

समय	सत्र	विवर ा
10:00 पूर्वाह्न	पंजीकरण	**प्रैक्सिस** द्वारा चयनित कार्यकर्ताओं द्वारा किया जायेगा
10:30 पूर्वाह्न	प्रतिभागियों का स्वागत	कार्यशाला के समन्वयकों द्वारा शुरू की जाएगी
10:35 पूर्वाह्न	परिचय का क्रम	
10:40 पूर्वाह्न	कार्यशाला का उद्देश्यः पूर्ण चर्चा	कार्यशाला का उद्देश्य एवं एजेंडा समन्वयक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिभागियों से भी अपनी अपेक्षाएं एवं सुझाव रखने को कहा जाएगा।
10:50 पूर्वाह्न – 11:15 पूर्वाह्न	बाल श्रम के अवसरों की विभिन्नता को समझना – इन्हें सूचीबद्ध करना तथा समूहों में बांटना।	प्रतिभागियों को उनके काम के स्थल के आधार पर बिहार नौ प्रशासनिक प्रमंडलों में वर्गीकृत किया जाएगा। उनसे बाल मजदूरी के जितने भी अवसरों की उन्हें जानकारी हो उसका उल्लेख अलग–अलग कार्ड में करने को कहा जाएगा। अगर कोई नया अवसर बना है (जैसे जो सिर्फ हाल के वर्षों में बना है) तो उनपर प्रकाश डालने या रेखांकित करने को कहा जाएगा। कार्ड के कोने में प्रमंडल/जिला का उल्लेख करना होगा। समूह प्रक्रिया के अंत में प्रत्येक समूह से अपने कार्ड को फर्श पर रखने को कहा जाएगा तथा समान अवसरों का उल्लेख करने वाले कार्डों को एकसाथ कर दिया जाएगा। संचालन **प्रैक्सिस के समन्वयकों** द्वारा किया जायेगा।
11:15 पूर्वाह्न – 11 45 पूर्वाह्न	बच्चों को काम के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियों, इसमें अहम भूमिका अदा करने वालों तथा अन्य कारकों की पहचान करना तथा वैसी परिस्थितियों के बारे में सोचना जो बच्चों को काम करने से रोक सके (फोर्स फील्ड एप्रोच को अपनाते हुए)।	प्रतिभागी पिछले अभ्यास में बनाये गये अपने समूह में ही रहेंगे। उनसे बच्चों को काम करने के लिए बाध्य करने वाली परिस्थितियों की पहचान करने का अनुरोध किया जाएगा तथा वैसी काल्पनिक स्थितियों की पहचान करने को कहा जाएगा जिनमें बच्चों को काम करने की बाध्यता से रोका जा सके। हर स्थितियों को दो रंग के कार्ड पर लिखना होगा। एक कार्ड पर एक से अधिक परिस्थिति नहीं लिखा जाएगा। समूह चर्चा के अंत में सामूहिक समीक्षा के लिए प्रत्येक समूह से कार्ड को फर्श पर रखने को कहा जाएगा (सभी अनुकूल परिस्थितियों वाला एक साथ और प्रतिकूल परिस्थितियों वाला एक साथ) **बाल श्रम के लिए जिम्मेवार स्थितियां** 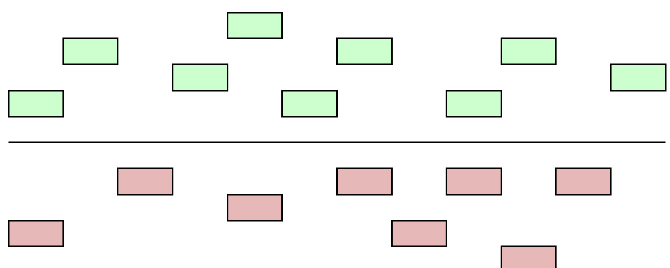 **स्थितियां जो बाल श्रम को रोक सकती हैं** संचालन **प्रैक्सिस के समन्वयकों** द्वारा किया जायेगा।
11 45 पूर्वाह्न – 11 55 पूर्वाह्न	बाल श्रम पर एक पहले से तैयार कारण –प्रभाव रेखाचित्र का सत्यापन	प्रतिभागियों को बाल श्रम के बारे में पहले से तैयार कारण –प्रभाव रेखाचित्र के पास आने और पहले वाले समूह अभ्यास में पहचान किये गये अतिरिक्त प्रभावों को जोड़कर चित्र को अद्यतन करने को कहा जाएगा। संचालन **प्रैक्सिस के समन्वयकों** द्वारा किया जायेगा।
	चाय अवकाश *(10 minutes)*	
12:10 अपराहन – 12:50 अपराहन	विभिन्न हितधारकों (व्यक्ति/ संस्था) के लिए प्रमुख तर्क/ संदेश तैयार करना	प्रतिभागी संदर्भगत प्रासंगिक वैसे संदेशों या तर्कों की पहचान और उन पर चर्चा करने के लिए अपने समूह में लौटेंगे, जिन्हें बाल श्रम की किसी भी संचार रणनीति में शामिल करना चाहिए। चार में से प्रत्येक समूह को एक विशेष लक्षित समूह दिया जा सकता है जिनके लिए वे संदेश विकसित करेंगे। चार चयनित लक्षित समूह निम्नलिखित लोगों का हो सकता हैः · बच्चे · माता–पिता/ अभिभावक · नियोजक · स्कूल/आइसीडीएस के अधिकारी

		प्रत्येक संदेश चार्ट पेपर से बने अलग–अलग प्लेकार्ड पर लिखा जाना चाहिए तथा चर्चा के अंत में उन्हें दीवाल पर टांगा जाना चाहिए। प्रतिभागियों से प्रत्येक प्लेकार्ड को पढ़ने के लिए वहां जाने को जाने और संदेश बनाने वाले समूह से स्पष्टीकर ा मांगना होगा, जहां कहीं इसकी जरूरत हो।
12:50 अपराहन – 1 30 अपराहन	संचार सामग्री तैयार करने की सावधानियां–**क्या काम करेगा? क्या नहीं करेगा?**	प्रतिभागियों से संचार के किसी माध्यम से वैसे महत्वपूर्णसंदेशों के बारे में सोचने को कहा जाएगा जो उन्हें स्पष्टता के साथ याद हो। सत्र में नए सुझावों एवं उनके महत्व पर चर्चा करने के बाद प्रतिभागी समूह में लौट जाएंगे तथा सामूहिक से संचार के उन विभिन्न तरीकों को याद करेंगे जिन्हे वे जानते हैं। वे जिन तरीकों को जानते हें उनके आकलन के आधार पर वे संचार की उन पहलों की सूची बनायेंगे जो **काम करता है** और जो **काम नहीं करता** है। प्रत्येक समूह के द्वारा दो अलग–अलग रंग के कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चों, परिवारों एवं समुदाय के नेताओं तथा बाकी सभी (सेवा प्रदाताओं या नियोजकों) तक पहुंच वाले संदेशों को अलग करने के लिए विभिन्न तरह की बिंदियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सामूहिक प्रक्रिया के अंत में, प्रत्येक समूह फर्श पर रखे कार्ड के पास आयेंगे और संदेशों का सामूहिक पाठ करेंगे तथा उनपर चर्चा करेंगे। संचालन **प्रैक्सिस के समन्वयकों** द्वारा किया जायेगा।
	भोजनावकाश	
2:15 अपराहन – 3:00 अपराहन	**विमर्श में भाग ले रहे विभिन्न प्रोफाइल के मध्यम स्तरीय अधिकारियों की संभावित भूमिका**	प्रतिभागियों को अपने प्रोफाइल के अनुसार नए समूह में बंट जाने के लिए कहा जाएगा। उदाहरण के लिए भाग ले रहे सभी एडीसीपी एक समूह में आ जाएंगे। प्रत्येक समूह बाल श्रम के सवाल पर संचार की प्रक्रिया में अपनी जो भूमिका महसूस करता है उसे बताएगा। संभावित भूमिका पर चर्चा के बाद प्रत्येक समूह अपनी राय रखेगा। उनसे वैसे दूसरे लोगों की भी पहचान करने को कहा जाएगा जो बाल श्रम के उन्मूलन में महत्वपूर्णभूमिका निभा सकते हैं। संचालन **प्रैक्सिस के समन्वयकों** द्वारा किया जायेगा।
3:00 अपराहन	**समापन सत्र**	दिनभर की कार्यशाला में हुई चर्चा के समापन के तौर पर प्रतिभागियों से वृताकार में खड़ा हो जाने तथा बाल श्रम से संबंधित संचार नीति की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान उनके दिमाग में जो एक प्रमुख सलाह/एहतियात उभरा हो उसे बताने को कहा जा सकता है। उनसे बाल श्रम रोकने के लिए व्यवस्था एवं तंत्र के बारे में स्पष्ट सुझाव देने को कहा जा सकता है। राय–विचार साझा करने के एक चक्र के बाद समन्वयक कुछ प्रमुख बिंदुओं पर फिर से प्रकाश डालेंगे।
3:30 अपराहन	**धन्यवाद ज्ञापन**	कार्यशाला समन्वयक

2 एफ –विभिन्न सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श का कार्यक्रम

समय	सत्र	विवर ा
9:30 पूर्वाह्न	पंजीकरण	**प्रैक्सिस** द्वारा चयनित कार्यकर्ताओं द्वारा किया जायेगा
10:00 पूर्वाह्न	प्रतिभागियों का स्वागत	कार्यशाला के समन्वयकों द्वारा शुरू की जाएगी
10:05 पूर्वाह्न	परिचय का क्रम	
10:10 पूर्वाह्न	कार्यशाला का उद्देश्यः पूर्ण चर्चा **अब तक हुए विमर्श के प्रमुख सीखों की प्रस्तुति**–प्रस्तुति एवं चर्चा (प्रतिभागियों द्वारा मिली जानकारी के आधार पर सीखों को अद्यःतन करना)	कार्यशाला का उद्देश्य एवं एजेंडा समन्वयक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिभागियों से भी अपनी अपेक्षाएं एवं सुझाव रखने को कहा जाएगा।
10:20 पूर्वाह्न – 10 45 पूर्वाह्न	**बाल श्रम के ज्ञात कारण ों का वर्गीकरण करना**	बाल श्रम के ज्ञात कारण ों (जिन्हें पहले प्रस्तुत किया जा चुका है और चर्चा हो चुकी है) को पहले से कार्ड पर लिखकर फर्श पर रख दिया जाएगा। प्रतिभागियों से आगे आने और कार्ड को जटिलता के आरोही क्रम में रखने को कहा जाएगा। मतलब समस्या जितनी अधिक कार्रवाई योग्य होगी उसके कार्ड का क्रम उतना ऊपर होगा। प्रक्रिया के अंत में प्रतिभागियों से कार्ड को विशेष क्रम में रखने का तर्क समझाने को कहा जाएगा। संचालन **प्रैक्सिस के समन्वयकों** द्वारा किया जायेगा।
	चाय	
11:00 पूर्वाह्न – 1:00 अपराहन	**आवश्यक र ानीति/ निवेश की पहचान** बनाम मुक्त कराए गए बाल मजदूरों, अभिभावकों, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं तथा मध्यस्तरीय अधिकारियों के साथ विमर्श में पहचान किए गए प्रमुख मुद्दे।	प्रतिभागियों को तीन समूहों में बांटा जाएगा। प्रत्येक समूह को बच्चों, उनके अभिभावकों तथा फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के साथ विमर्श में उभरे मुद्दों का एक सेट मुद्दे को हल करने के लिए आवश्यक र ानीति/ निवेश के अलावा उनके तरीकों एवं चुनौतियों की पहचान का जिम्मा दिया जा सकता है। मुद्दों को निम्न तरीके से सौंपा जा सकता हैः · **समूह 1**–परिवारों के स्तर का मुद्दा · **समूह 2**–समुदायस्तर के हितधारकों (जैसे, पीआरआइ सदस्य, फ्रंटलाइन कार्यकर्ता, स्थानीय संस्था) के स्तर का मुद्दा · **समूह 3**– जिला, विभागों तथा राज्यस्तर का मुद्दा
	भोजनावकाश	
2:00 अपराहन– 3:00 अपराहन	**प्रतिभागी सिविल सोसायटी संगठनों की संभावित भूमिका**	प्रतिभागियों से अपने समूह में वापस चले जाने को कहा जाएगा। प्रत्येक समूह से बाल श्रम की व्यापकता कम करने के संबंध में सिविल सोयाटी की क्या भूमिका हो सकती है, और इस भूमिका के निर्वहन में सरकार से अपेक्षित सहयोग के बारे में अपनी राय देने को कहा जाएगा। संभावित भूमिका पर चर्चा करने के बाद प्रत्येक समूह अपनी राय रखेगा। संचालन **प्रैक्सिस** के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा।
3:00 अपराहन – 3 30 अपराहन	**प्रस्तुति**	
3:30 अपराहन	**समापन सत्र**	दिनभर की कार्यशाला में हुई चर्चा के समापन के तौर पर सत्र में दिए गए वैसे प्रमुख सुझावों/ एहतियातों की पहचान की जायेगी जिन्हें बाल श्रम पर सामाजिक एवं व्यवहारगत बदलाव की रणनीति तय करते वक्त दिमाग में रखना चाहिए।
4:00 अपराहन	**धन्यवाद ज्ञापन**	कार्यशाला समन्वयक

बाल श्रम के विरुद्ध बिहार